वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2010-2011

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार
Government of India

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2010-11

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-4
2	विशिष्टताएं	5-7
3	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	8-12
4	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	13-18
5	अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान	19-20
6	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	21-24
7	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	25
8	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	26
9	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	27-28
10	कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता	29-30
11	प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	31-32
12	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	33-34
13	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान की योजना	35
14	वर्श 2009–10 की नई योजनाएं	36-37
15	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	38-39
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	40-42
17	वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद	43-45
18	दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955	46-47
19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	48-49
20	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	50-51
21	जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग	52-53
22	सूचना का अधिकार अधिनियम	54
23	विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई	55
24	सरकारी लेखापरीक्षा संबंधी पैरा	56-57
25	परिणाम ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर तथा शिकायत निवारण तंत्र	58-59
	अनुलग्नक	60-74

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर बल देना सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक ढांचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सृजन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था।

1.2 दिनांक 19 जनवरी, 2011 के मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/34/1/2011–मंत्रि. के तहत दिनांक 20 जनवरी, 2011 से श्री सलमान खुर्शीद, जल संसाधन मंत्री का कार्यभार ग्रहण किये हैं। उनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार होगा। इसी तारीख को श्री विन्सेंट एच. पाला ने भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। वह जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार भी संभालते रहेंगे। मंत्रालय के सचिव के कार्य में एक संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) तथा तीन संयुक्त सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या 94 है। मंत्रालय की स्वीकृत पदों की संख्या और भरे गए पदों को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक**–I पर है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक**–II पर दिया गया है।

कार्यों का आबंटन

1.3 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए कार्य इस प्रकार हैं :–

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विकास तथा विनियामक ढांचे और कार्यक्रमों पर समग्र नीति तैयार करने, योजना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (जो अब निरस्त हो गया है) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंगलो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(ix) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निबटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(xiii) दरगाह ख्वा़जा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त प्रबंध।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्शन में अल्पसंख्यकों और उनकी सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

(xviii) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

(xix) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई अन्य विषय।

सांविधिक, वैधानिक और स्वायत्त निकाय

1.4 इस मंत्रालय के निम्नलिखित सांविधिक / वैधानिक / स्वायत्त निकाय आदि हैं :–

(i) आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

(iii) केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(iv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान।

(vi) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर।

अधिनियमों का प्रशासन

1.5 यह मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है :–

(i) दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

(iii) वक्फ अधिनियम, 1995

23 जनवरी, 2011 को श्री सलमान खुर्शीद, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा श्री विंसेन्ट एच. पाला, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्री विवेक मेहरोत्रा, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करते हुए।

राजभाषा का प्रयोग

1.6 मंत्रालय द्वारा अपने सभी महत्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की गईं। मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2010 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा पुरस्कार भी वितरित किए गए।

सतर्कता एकक

1.7 श्री अमेजिंग लुईखम, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी सहायतार्थ एक उप सचिव और एक अवर सचिव हैं, जो अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त इन कार्यों को भी देख रहे हैं। मंत्रालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 25 अक्तूबर से 01 नवम्बर, 2010 तक किया गया।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.8 मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना विकसित करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2009 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह) मनाया गया।

ई–गवर्नेंस

1.9 मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल www.minorityaffairs.gov.in पर है। मंत्रालय के कार्यकलापों और उसके कार्यक्रमों/स्कीमों, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से संबंधित सूचना तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, असमानता सूचकांक पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, समान अवसर आयोग पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, भारत में अल्पसंख्यकों का भौगोलिक वितरण में अड़चनों के संबंध में, अन्तर–मंत्रालयी कार्य–बल की रिपोर्ट, सम्बद्ध संगठन, निविदा सूचनाएं, रोजगार संबंधी विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां, बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ, प्रगति रिपोर्टें और आंकड़े आदि से संबंधित आधारित सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विभिन्न योजनाओं के अधीन जिल छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं, उनके नाम भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रवृत्ति योजना का विस्तृत ब्यौरा के अतिरिक्त, छात्रों की सहायतार्थ विभिन्न बार–बार पूछे गए प्रश्नों को भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। वेबसाइट की विषय–वस्तु को लगातार अद्यतन किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.10 इस अधिनियम के अधीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में छह पदनामित अधिकारी हैं तथा तीन संयुक्त सचिवगण पदनामित अपीलीय अधिकारी हैं।

बजट

1.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में मंत्रालय को इसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹ 7000 करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया था। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान में ₹ 2600 करोड़ के योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमान में कम कर ₹ 2500 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान में ₹15.37 करोड़ के गैर–योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में 2010–11 के संशोधित अनुमान में कम कर ₹ 14.50 करोड़ कर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना की योजना/कार्यक्रमवार परिव्यय, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2010–11 (31 दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक**–III में दिया गया है।

फाइल ट्रैकिंग सिस्टम

मंत्रालय में नवम्बर, 2010 से फाइल ट्रैकिंग सिस्टम कार्यरत है। इस प्रणाली के लिए (सिस्टम) सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मंत्रालय के फाइलों के एक स्तर से दूसरे स्तर तक के संचलन की स्थिति पर निगरानी रखी जा सकती है, मंत्रालय में प्राप्त सभी पत्रों की प्राप्ति और उनके निस्तारण और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।

अध्याय–2

विशिष्टताएं

2.1 मंत्रालय ने दिनांक 29.1.2011 को अपने गठन के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं।

2.2 वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित नयी योजनाएं शुरू/अनुमोदित की गईः–

i) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

ii) राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण।

iii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना।

2.3 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजनागत स्कीम के तहत इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों की एक योजना भी 04 दिसम्बर, 2009 को शुरू की गई।

2.4 वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 2600 करोड़ (संशोधित अनुमान स्तर पर ₹ 2500 करोड़) के वार्षिक योजना आवंटन में से 31 दिसम्बर, 2010 तक ₹ 1470.00 करोड़ (58.82 प्रतिशत) व्यय किया गया है।

2.5 मंत्रालय ने अपने गठन के समय से 31 दिसम्बर, 2010 तक मंत्रालय की मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 67.43 लाख से अधिक छात्रवृत्तियां वितरित की जा चुकी हैं। इन तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 (31 दिसम्बर, 2010 तक) संवितरित छात्रवृत्तियों का उल्लेख नीचे की सारणी में किया गया है –

वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 (31.12.2010 तक) के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियों का संवितरण दर्शाने वाला विवरण :–

(विद्यार्थियों की संख्या लाख में)

योजनाएं	2008-09	2009-10	2010-11 (31.12.2010 तक)
मैट्रिक–पूर्व	5.13	17.29	34.05
मैट्रिकोत्तर	1.70	3.64	4.20
मेरिट–सह–साधन	0.27	0.36	0.37
कुल	7.10	21.29	38.62

जागरूकता लाने की दृष्टि से प्रत्येक स्कॉलरशिप/कोचिंग स्कीम के संदर्भ में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार, पारदर्शिता लाने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की सूची को उनके वेबसाइटों पर अपलोड किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेबसाइटों को मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ा गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है।

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 89 जिलों की योजनाओं पर विचार किया गया है, जिनमें से 41 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः और 48 जिलों की योजनाओं को आंशिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वर्ष 2008–09 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 1829.31 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि वे चालू तथा पूर्ण हो चुके कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें। ये फोटोग्राफ प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

2.6 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं तथा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2010 को लोक सभा द्वारा 07 मई, 2010 को पारित किया गया था और उसे स्वीकृति के लिए राज्य सभा में भेज दिया गया था। यह विधेयक राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया है।

2.7 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वर्ष 2006 में संचित निधि ₹ 100 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2010–11 में ₹ 550 करोड़ कर दिया गया है।

2.8 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर ₹ 1500 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार की इक्विटी भागीदारी ₹ 975 करोड़ (65 प्रतिशत) है। भारत सरकार ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक एनएमडीएफसी के इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 760.36 करोड़ (77.36 प्रतिशत) का अंशदान किया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक एनएमडीएफसी की इक्विटी शेयर पूंजी में राज्य सरकारों और अन्य का अंशदान ₹ 163.21 करोड़ है।

2.9 अक्तूबर, 2004 में भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) का गठन धार्मिक एवं भाषाई अल्पसख्यकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु मानदंड सुझाने तथा सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण सहित उनके कल्याण संबंधी उपाय की अनुशंसा करने के लिए किया गया था। एनसीआरएलएम की वर्ष 2009 की रिपोर्ट को संसद में 18 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत किया गया था।

2.10 श्री नन्दलाल जोटवानी विंग कमांडर (सेवा निवृत्त) को दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक नियुक्त किया गया है। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की 45वीं और 46वीं वार्षिक रिपोर्ट को वर्ष 2010 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में रखा गया।

2.11 मंत्रालय द्वारा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यों को देश में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों से अवगत कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों और गैर–सरकारी संगठनों के नॉडल अधिकारियों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के आयोजन का कार्य शुरू किया गया है।

श्री सलमान खुर्शीद, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री का दिनांक 15 मई, 2010 को संवाददाताओं के साथ वार्तालाप

अध्याय–3

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

3.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इसमें निश्चित लक्ष्य सहित कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों का प्रावधान है, जिसे निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

3.2 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचे, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15: अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

3.3 इस कार्यक्रम का लक्षित समूह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं–मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, बहुमत में है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य हैं – जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

3.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है तथा उसके बाद मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा इस कार्यक्रम के जून, 2007 में शुरूआत के बाद से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा 8 बार की जा चुकी है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे तंत्र की परिकल्पना की गई है।

3.5 नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल एवं निर्धारण योग्य योजनाओं की सूची इस प्रकार है :–

- समेकित बाल विकास सेवा योजना जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
- सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
- इन्दिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल तथा वर्ष 2010–11 के दौरान (31 दिसम्बर, 2010 की अवधि तक) निर्धारण योग्य मानी गयी योजनाओं की उपलब्धियां –

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वास्तविक)
1.	सर्व शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
(i)	निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या	3300
(ii)	निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	811
(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षों की संख्या	25604
(iv)	खोले गए नए प्राइमरी स्कूलों की संख्या	11501
(v)	खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	1886
(vi)	स्वीकृत शिक्षकों की संख्या	30759
(vii)	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित हो गए हैं। वर्ष 2010–11 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।
2.	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय	111785

3.	इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। ग्रामीण विकास मंत्रालय	363122
4.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थी। आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	
(i)	शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के तहत इंडिविजुवल एंटर प्राइजेज	4300
(ii)	शहरी निर्धनों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण	9672
5.	समन्वित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	3406

क्रम सं0	**योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग**	**उपलब्धि (वित्तीय) (₹ करोड़ में)**
1.	इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण विकास मंत्रालय	926.08
2.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना : आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय 'अनंतिम	5.83
3.	आईटीआई को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जाना : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	121.35
4.	प्राथमिकता श्रेत्र ऋण : वित्तीय सेवा विभाग	128382.43

इस कार्यक्रम में वर्ष 2009–10 में तीन नई योजनाओं को शामिल किया गया है –

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (पेय जल आपूर्ति विभाग)

(ख) शहरी अवसंरचना एंव शासन; तथा

(ग) लघु एवं मध्यम नगरों की शहरी अवसंरचना विकास की योजना (शहरी विकास मंत्रालय)

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गयी उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वित्तीय) कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत। कुल स्वीकृति की प्रतिशतता कोष्ठक में दी गई है।
1.	शहरी निर्धनों को आधारभूत सेवाः आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	17 नगरों के लिए ₹ 5588.05 करोड़
2.	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम : आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	132 नगरों के लिए ₹ 1817.38 करोड़
3.	शहरी अवसंरचना और शासनः शहरी विकास मंत्रालय	17 नगरों के लिए ₹ 8623.66 करोड़
4.	लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना : शहरी विकास मंत्रालय	108 नगरों के लिए ₹ 2620.31 करोड़
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रमः पेय जल आपूर्ति विभाग	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कुल 20804 परिवारों के लक्ष्य में से 6706 परिवारों के लिए स्वीकृत कुल राशि में ₹ 2618.84 करोड़

3.6 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी निर्धनों को आधारभूत सेवाएं तथा समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय) के तहत जिन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों, नगरों/शहरों को लाभ हो रहा है उनकी निगरानी प्रधानंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत की जा रही है।

इस कार्यक्रम में शामिल इन नई स्कीमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लाकों/जिलों, कस्बों/शहरों को दिये जाने वाले लाभों की निगरानी प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ही की जाती है।

3.8 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2009 में, सरकार ने, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति में लोक सभा से दो सांसद और राज्य सभा से एक सांसद को शामिल करने तथा राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के दो सदस्यों को नामित करने की मंजूरी दी है। तथापि, राज्य स्तरीय समिति में शामिल किए गए सदस्यों में लोक सभा के एक तथा विधान सभा के सदस्य को उन राज्यों के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले में से चुना हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक सदस्य जिसे केन्द्र

सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, के अलावा उस जिले के सभी संसद सदस्य और सभी विधान सभा सदस्य इस जिला स्तरीय समिति में शामिल किए जाएंगे। दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दोनों समितियों का गठन कर लिया गया है।

अध्याय–4

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :–

4.1 वित्तीय सेवा विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007–08 में ऐसे जिलों में 523 शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2008–09 में 537 नई शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2009–10 में 743 नई शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2010–11 में 30 सितम्बर, 2010 तक 308 नई शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2007–08 से कुल 2111 शाखाएं खोली गई हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा बढाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 5 जुलाई, 2007 को संशोधित किया है। वर्ष 2007–08 से दिसम्बर, 2010 तक ₹ 128382.43 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 13 प्रतिशत है।

(iii) प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शन समितियों (डीसीसी) को अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 4,67,082 खाते खोले गए तथा वर्ष 2010–11 में उन्हें ₹ 3373 करोड़ का लघु ऋण दिया गयाा।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया गया है। वर्ष 2010–11 में ऐसे क्षेत्रों में 1905 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(vi) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में 313 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है –

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय

औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी ब्लॉकों (53.67% : वर्ष 2001 की जनगणना) को योजना में शामिल किया जा सके। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वीकृत सभी विद्यालय संचालित हो गए हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक–एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं।

(घ) सब–मिशन ऑफ पालीटेक्नीक्स योजना के तहत अन–सर्व्ड और अन्डर–सर्व्ड जिलों में पालीटेक्नीक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 35 जिलों को पालीटेक्नीक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी गई है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल 19 जिलों में 233 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है।

(च) क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 325 करोड़ के आवंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। दूसरी योजना, सहायता प्राप्त/सहायता–रहित निजी अल्पसंख्यकों संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 125 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया है।

(छ) उच्चत्तर शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोले गए हैं।

(झ) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढ़ांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। वर्ष 2009–10 में साक्षर भारत के तहत अल्पसंख्यक बहुल 19 जिलों को शामिल किया गया।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008–09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक आमेलन और बहिष्कार नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्र की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, 1280 समान अवसर केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2009–10 के दौरान 51 विश्वविद्यालयों में की गई है तथा वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः 1345 और 1367 केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

4.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। इस रिपोर्ट पर तथा विविधता सूचकांक से संबंधित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर अनुमोदित तौर–तरीकों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन संबंधी एक विधेयक लोक सभा में 27 अप्रैल, 2010 को प्रस्तुत किया गया तथा 7 मई, 2010 को पारित हुआ। इसके बाद इसे राज्य सभा में 13 सदस्यीय चयन समिति को भेजा गया है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को सिद्धान्ततः स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया है। फर्म ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। परामर्शक से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 338 नगरों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबद्ध मंत्रालय/विभागों से इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएच0डी तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2010–11 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 38.62 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹ 610.48 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वयन के लिए एम0फिल और पीएच0डी के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति नामक योजना भी शुरू की गई है और 756 अध्येतावृत्तियां स्वीकृत की गयी है तथा वर्ष 2009–10 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों/शोधार्थियों को 757 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की ₹ 100 करोड़ की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दूना बढ़ाकर ₹ 200 करोड़ कर दिया गया था। संचित निधि में वर्ष 2007–08 में ₹ 50 करोड़ की वृद्धि तथा वर्ष 2008–09 में ₹ 60 करोड़ की वृद्धि की गई थी। वर्ष 2009–10 में संचित निधि में ₹ 115 करोड़ की वृद्धि तथा वर्ष 2010–11 में ₹ 125 करेाड़ की वृद्धि की गई जिसके बाद प्रतिश्ठान की संचित निधि ₹ 550 करोड़ हो गई है। प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत वर्ष 2007–08 से अब तक 280 गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता–अनुदान प्रदान किया गया है तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्राओं को 31145 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(छ) वर्ष 2006–07 में एक संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी जिसके तहत 31 दिसम्बर, 2010 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 4725 छात्र/अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं।

(ज) वर्ष 2008–09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरु किया गया। योजना की शुरूआत से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल 89 जिलों की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना की शुरूआत से 31 दिसम्बर, 2010 तक ₹ 1829.21 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

4.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है।

4.5 योजना आयोग :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस तंत्र में शामिल हैं–नेशनल कॉउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।

4.6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। माड्यूल को कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजा गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने भी संगठित सिविल सेवाओं की जानकारी के लिए एक माड्यूल तैयार किया है जिसे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें।

4.7 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च शक्तिप्राप्त समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) साम्प्रदायिक सद्भाव पर संशोधित दिशा–निर्देश जारी किया गया है। साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और प्रभावितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

4.8 शहरी कार्य मंत्रालय और आवास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय :

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं ताकि ऐसे नगरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हो।

(क) यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत ₹ 2620.31 करोड़ अल्पसख्यक बहुल 108 नगरों के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) आई०एच०एस०डी०पी० के तहत ₹ 1817.38 करोड़ लागत की परियोजनायें 131 अल्पसख्यक बहुल आबादी वाले नगरों के लिए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, लक्षदीप, पुडूचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है।

4.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

4.10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मण्डलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठक हो चुकी है।

4.11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

4.12 पंचायती राज मंत्रालय :

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

4.13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008–09 में एक मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया था। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भी वर्ष 2010–11 में मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया था।

अध्याय–5

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान

5.1 वर्ष 1987 में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किसी जिले में 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की आबादी मात्र के एकल मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची तैयार की गई थी ताकि इन जिलों पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विशेष बल दिया जा सके।

5.2 सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2001 की अल्पसंख्यक जनगणना और पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर जिलों की पहचान की गई। इसलिए वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से कार्य किया गया :

(क) जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर;

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

(ख) जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों की प्रतिशतता;

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; और

(iv) वाटर क्लोजेट लैट्रीन सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता

5.3 यद्यपि, समग्र साक्षरता और कार्य भागीदारी दर में महिला साक्षरता और कार्य भागीदारी को शामिल किया गया है, फिर भी इन पर अलग–अलग विचार किया जाना महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये विकास स्तर मुख्यतः लिंग भागीदारी के स्वतंत्र संकेतक का निर्माण करती है।

5.4 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान का कार्य इस प्रकार किया गया है :–

(i) (क) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आबादी के कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ख) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों और 20% से अधिक किन्तु 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता वाले 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन जिलों की पहचान की गई जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 15% तक है तथा अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में है, किन्तु वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदाय की दृष्टि से बहुसंख्यक हैं।

(ii) इसके बाद, "पिछड़ेपन" के संदर्भ में इन जिलों की स्थिति का मूल्यांकन सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतकों के दो मानकों को ध्यान में रखकर किया गया। वर्ष 2007 में वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है तथा जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतक की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे और अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, की पहचान की गई। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 53 जिलों को "ए" श्रेणी में रखा गया है। "ए" श्रेणी के जिले सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानक दोनों दृष्टि से पिछड़े हैं। शेष 37 जिले "बी" श्रेणी में हैं जिनमें से 20 जिले सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से और 17 जिले आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से पिछड़े हैं। इन्हें क्रमशः उपश्रेणी "बी1" और "बी2" में रखा गया है। इन जिलों की सूची **अनुलग्नक**–IV **(क), IV (ख) और IV (ग)** में है।

5.5 अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 90 जिलों की पहचान को अनुमोदित करते समय सरकार ने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया है।

5.6 इन जिलों में अपर्याप्त विकास के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। सर्वेक्षण कार्य आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया गया है।

अध्याय–6

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

6.1 इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आधारभूत सुविधा के सामाजिक–आर्थिक मानदंडों में सुधार लाना तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। अभिनिर्धारित "अपर्याप्त विकास" की समस्या का समाधान जिला विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से स्कूल और माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकानों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतर अवसंरचना के प्रावधान के साथ–साथ आय सृजक गतिविधियों के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। विकास प्रक्रिया को गति देते हुए आय सृजक गतिविधियों और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपेक्षित सम्पर्क सड़क, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, समन्वित बाल विकास सेवा केन्द्र, कौशल विकास और विपणन सुविधा आदि जैसे नितांत आवश्यक और अवसंरचना श्रृंखला को योजना के तहत शामिल किया जा सकेगा। कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

6.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कार्य/कल्याण कार्य से जुड़े विभाग द्वारा लाइन विभागों/एजेंसियों को सौंपी गई परियोजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए जहां कहीं तंत्र स्थापित है, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकता है कि परियोजना का संचालन अर्हता प्राप्त, ख्याति प्राप्त और अनुभव प्राप्त एजेंसी के साथ–साथ विख्यात एवं स्वीकार्य गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कराए, जिसके औचित्य से संबंधित विवरण का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाएगा।

6.3 इस कार्यक्रम के तहत नए पदों के सृजन की कड़ाई से मनाही है। राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों के संचालन के लिए अपेक्षित स्टाफ या तो पहले से उपलब्ध हो या उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.4 कथित जिले में कार्यान्वित किसी भी केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा–निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके लिए यह योजना अतिरिक्त धन उपलब्ध कराएगी। जहां तक संभव होगा कार्यक्रम के तहत उपयुक्त सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा न कि व्यक्तिगत लाभार्थी को लक्षित किया जाएगा। यदि कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए योजनाओं को शुरू किया जाता है तो जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची से लाभार्थियों के चयन हेतु वर्तमान मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा ताकि अतिरिक्त धनराशि से गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को लाभ हो, न कि केवल चयनित अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को। किसी जिले की बहु–क्षेत्रीय जिला विकास योजना की तैयारी इस ढंग से की जाएगी कि इन जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं में स्थान दिया जा सके।

6.5 इन जिलों में 'अपर्याप्त विकास' के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। सर्वेक्षण कार्य आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया गया है। किसी जिले की बहु–क्षेत्रीय जिला विकास योजना की तैयारी इस ढंग से की जाएगी कि इन जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं में स्थान दिया जा सके।

6.6 सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता उपयुक्त किश्तों में 100ः अनुदान आधार पर दी जाएगी जो स्वीकृत बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार की गई संतोषजनक प्रगति से जुड़ी होगी। कार्यक्रम के तहत धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल स्वीकृत जिला विकास योजनाओं के आधार पर जारी की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु एक बार प्रस्ताव के अनुमोदित हो जाने पर पहली किश्त जारी की जाएगी। धनराशि का जारी किया जाना राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों से मिली निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगा :–

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना, यदि गठन नहीं हुआ है तो ।

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना, यदि गठन नहीं हुआ है तो ।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विभाग को अधिसूचित किया जाना जो अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की स्पष्ट जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके।

(घ) उस विभाग में एक ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया जाना जो विशेषकर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, उसकी निगरानी, रिर्पोटिंग और मूल्यांकन कर सके। यह प्रकोष्ठ सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी सुविधाओं से सज्जित होगा।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए उपलब्ध करायी गई निधि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन है जो जिलों में पहले से प्रदत्त राज्य सरकारों की निधियों का स्थान नहीं ले सकती। अल्पसंख्यक बहुल जिलों से निधियों के विचलन को रोकने के लिए सम्बद्ध जिलों में पिछले वर्ष प्रदत्त निधि को बेंचमार्क के तौर पर लिया जाएगा।

(च) इस बात से सहमत होना कि ऐसी केन्द्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों में राज्य के हिस्से की धनराशि जिले की अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराना जिन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(छ) इस बात से सहमत होना कि इस कार्यक्रम के तहत सृजित वास्तविक संपत्तियों का संचालन और उनका रख–रखाव किया जाएगा।

निगरानी तंत्र

6.7 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति तथा उपायुक्त/क्लेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति इस कार्यक्रम के लिए समितियों के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तरीय समिति अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विकास योजना तैयार करेगी। जिला और राज्य स्तरीय दोनों समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि योजनाओं का कोई दोहरीकरण नहीं है, निधि का विचलन नहीं है तथा निधि का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम नहीं है और इस कार्यक्रम की धनराशि योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त है।

6.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 'एमएसडीपी शक्ति प्रदत्त समिति' बहु–क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत परियोजनाओं का आकलन, उनकी अनुशंसा और उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगी। शक्तिप्रदत्त समिति केन्द्र स्तर पर निगरानी समिति के रूप में भी कार्य करेगी तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निगरानी समिति का कार्य करेगी।

कार्यान्वयन की स्थिति

6.9 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 89 जिलों से संबंधित योजनाओं पर विचार किया गया तथा 41 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः तथा 48 जिलों की योजनाओं को आंशिक स्वीकृति प्रदान की गई। असम में कोकराझार जिले की एक योजना की प्रतिक्षा है, क्योंकि मामला कानूनी प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2008–09 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक ₹ 1829.21 करोड़ की राशि जारी की गयी है। वर्ष 2010–11 के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 585.34 करोड़ की राशि जारी की गई है।

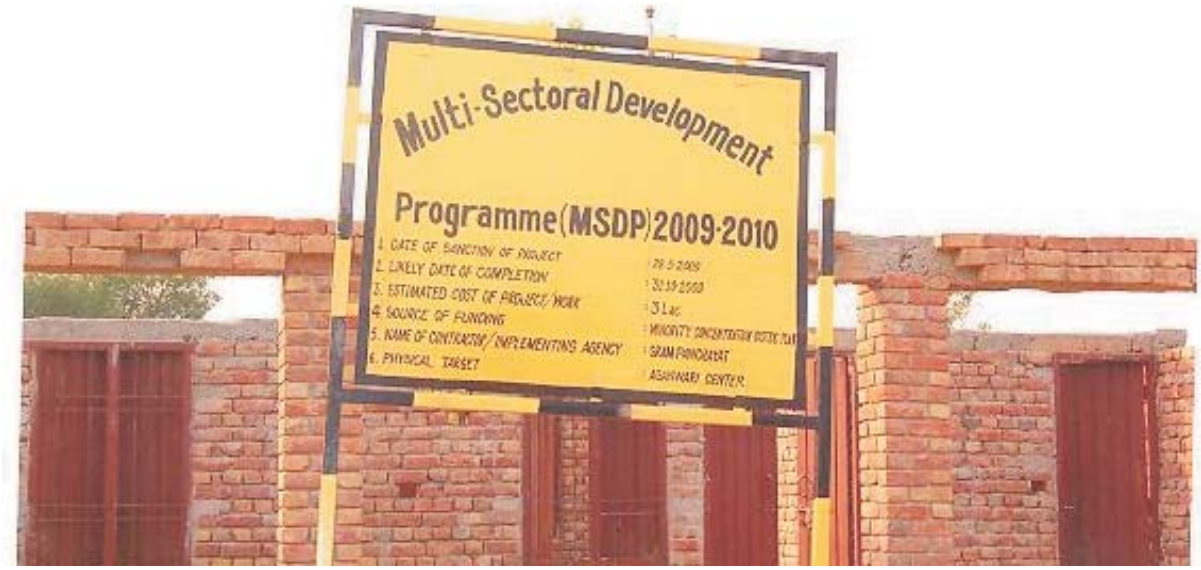

एम एस डी पी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला–सिरसा (हरियाणा) में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अक्तूबर, 2008 से, जब पहली बार धनराशि जारी की गयी थी, बजटीय प्रावधान, जारी की गयी धनराशि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित व्यय के ब्यौरे नीचे की सारणी में दिए गए

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय द्वारा वस्तुतः जारी धनराशि	राज्यों/संघ राज्यों द्वारा संसूचित व्यय	व्यय का प्रतिशतत
2008-09	540	280	270.85	268.25	99.04
2009-10	990	990	972.43	484.99	49.87
2010-11 (31 दिसम्बर, 2010 तक)	1400	-	585.34	2.63	0.44
योग			1828.62	755.87	41.34

गठन के समय से (31 दिसम्बर, 2010) तक स्वीकृत और जारी धनराशि के ब्यौरे **अनुलग्नक**–V में हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कार्यक्रम के तहत यह अपेक्षित होता है कि वे पहले जारी धनराशि के माध्यम से पूरा कर चुके और चालू कार्यों के फोटोग्राफ अगली किश्त जारी किए जाने हेतु अनुरोध करते समय मंत্রालय को प्रस्तुत करें। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा राज्यों के अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पूर्ण हो चुकी और चालू परियोजनाओं के फोटोग्राफ प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

एम एस डी पी कार्यक्रम के अन्तर्गत दुब्राजपुर, वीरभूम जिला (पश्चिम बंगाल) में निर्मित जन स्वास्थ्य केन्द्र।

अध्याय–7

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

7.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान 25 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु ₹ 1400 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इनमें से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। वर्ष 2010–11 (31.12.2011 तक) के दौरान ₹ 343.34 करोड़ की राशि जारी की गई तथा 34.05 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से 47.47 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

7.3 वर्ष 2009–10 के दौरान 17.29 लाख छात्रवृत्तियों की वार्षिक उपलब्धि की तुलना में 31 दिसम्बर, 2010 तक 34.05 लाख छात्रवृत्तियों की उपलब्धि महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। राज्य–वार/समुदाय–वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां **अनुलग्नक**–VI पर दी गयी हैं।

7.4 मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता की स्थिति में सुधार लाया जाए। इस प्रयोजन से मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रत्येक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की सूची को उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेबसाइटों को मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। छात्रों की सहायतार्थ एक हेल्पलाइन दूरभाष नं0 24363282 की व्यवस्था की गयी है, जो कार्य दिवसों के दिन कार्य करता है।

अध्याय–8

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

8.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत नवम्बर, 2007 में 100% केन्द्रीय सहायता से केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा पारदर्शी ढंग से अधिसूचित चुनिंदा एवं पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए दी जाती है। पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय ₹ 2 लाख से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित होती हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं है तो इन्हें पात्र छात्रों को दे दी जाती है।

8.2 योजनावधि (2007–12) के दौरान 15 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ₹ 1150 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इनमें से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। वर्ष 2010–11 (31.12.2010 तक) के दौरान ₹ 184.24 करोड़ राशि जारी की गयी और 4.20 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। इनमें से 51% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

8.3 वर्ष 2009–10 के दौरान 3.64 लाख छात्रवृत्तियों की वार्षिक उपलब्धि की तुलना में दिसम्बर, 2010 तक 4.20 लाख छात्रवृत्तियों की उपलब्धि महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।

8.4 वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के राज्य–वार और समुदाय–वार ब्यौरे **अनुलग्नक**–VII पर हैं।

अध्याय–9

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

9.1 यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 20 हजार छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

9.2 छात्रवृत्तियों में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राओं के अनुपलब्ध होने पर इनका उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है।

9.3 इस योजना में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 70 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ₹ 20 हजार वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

9.4 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया हुआ होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो, तो उन्हें 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.5 इस योजना की शुरूआत के समय से दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक और वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि इस प्रकार रही है –

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक रूप से स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या				धनराशि (करोड़ ₹ में)
		नई	नवीकरण	योग	छात्राओं को दी गई छात्रवृत्तियां (%)	
2007-08* (शुरू)	20,000	17258	0	17258	5009(29.02%)	40.90
2008-09*	20,000+ नवीकरण	17099	9096	26195	8660(33.06%)	64.73
2009-10*	20,000+ नवीकरण	19285	16697	35982	11684(32.47%)	97.43
2010-11*	20,000+ नवीकरण	18505	18427	36932	12370(33.49%)	97.22

* राज्य–वार/समुदाय–वार उपलब्धि के ब्यौरे **अनुलग्नक**–VIII में हैं।

9.6 इस वर्ष अर्थात् 2010–11 के दौरान इस छात्रवृत्ति योजना का विस्तार 32 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों तक है, जबकि पिछले तीन वर्ष के दौरान इस योजना का विस्तार क्रमशः 28 (2007–08), 29 (2008–09) और 31 (2009–10) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों तक था।

9.7 यह मंत्रालय वर्ष 2011–12 से मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में आनलाइन स्कालरशिप मैनेजमेंट सिस्टम (ओएसएमएस) शुरू करना चाहता है। यह सिस्टम जब सफल हो जाएगा तो इसे अन्य स्कालरशिप योजनाओं में भी लागू किया जाएगा।

9 नवम्बर, 2010 को सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संपन्न हुई बैठक में साफ्टवेयर की विस्तृत विशेषताओं के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से आये बैठक में उपस्थित सहभागियों ने मैनुअल सिस्टम से आनलाइन सिस्टम में प्रस्तावित शुरूआत के विचार का स्वागत किया।

साफ्टवेयर विकसित करने के लिए एनआईसी को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन–पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देने के समय साफ्टवेयर बन कर तैयार हो जाए।

अध्याय–10

कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता की योजना

10.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से स्थानांतरित "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" नामक योजना को संशोधित कर जुलाई, 2007 में आरम्भ किया गया है। योजना को 16.10.2008 से पुनः संशोधित किया गया। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे केन्द्र से शत–प्रतिशत सहायता प्राप्त होती है तथा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से अनुशंसित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

10.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें तथा पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग प्राप्त कर सकें।

10.3 छात्रों/अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। उनके माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों/अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और कोचिंग पाठ्यक्रमों के लिए निष्पादन क्षमता होनी चाहिए।

10.4 कोचिंग के प्रकार और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में हैः–

क्र. सं.	कोचिंग के प्रकार	कोचिंग संस्थानों के लिए कोचिंग शुल्क	छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका राशि
	I	II	III
1.	ग्रुप 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹ 1500 और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹ 750
2.	ग्रुप 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 15,000	–– तदैव ––
3.	ग्रुप 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 10,000	–– तदैव ––
4.	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000	–– तदैव ––
5.	निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000	–– तदैव –

क्र. सं.	कोचिंग के प्रकार	कोचिंग संस्थानों के लिए कोचिंग शुल्क	छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका राशि
	I	II	III
6.	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग/शिक्षण	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त ट्यूशन कक्षाओं के लिए संस्थान द्वारा यथाप्रभारित	लागू नहीं
7.	रेलवे तथा पुलिस/सुरक्षा बलों में आरक्षी और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कोचिंग (अधिकतम पाँच दिन की अवधि के लिए)	समिति द्वारा निर्धारित और संस्थान द्वारा यथाप्रस्तावित सामान्य दर पर	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹ 100/– और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹ 50/–

10.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 20,000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए ₹ 45 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010–11 (31.12.2010 तक) के दौरान 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 संस्थानों को 4725 छात्रों को कोचिंग देने के लिए ₹ 11.06 करोड़ की राशि जारी की गयी।

अध्याय–11

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना

11.1 प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नवम्बर, 2007 में शुरू की गई थी जिसके तहत संस्थानों/संगठनों को अल्पसंख्यकों की समस्याओं/अपेक्षाओं से संबंधित उद्देश्यपरक अध्ययन करने के साथ–साथ योजना की समवर्ती निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिए व्यावसायिक प्रभार प्रदान किया जाता है।

11.2 योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए समाचार–पत्र, आकाशवाणी और टेलीविजन के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान का प्रावधान है।

11.3 योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के मध्य 4 दिसम्बर, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी/मूल्यांकन का कार्य 150 राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों की नियुक्ति के माध्यम से करेगा और समझौता ज्ञापन की अवधि विस्तार की प्रक्रिया चल रही है।

11.4 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को रेल मंत्रालय और डाक विभाग में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व संबंधी विशेष अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

11.5 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय क्षरा संचालित स्कालरशिप योजनाओं के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य भारतीय समाज–विज्ञान अनुसंधान परिशद (आई सी एस एस आर) को दिया गया है। 20 राज्यों में 24 जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संबंध में अध्ययन करने का कार्य भी आई सी एस एस आर द्वारा किया जाएगा।

प्रचार–प्रसार और मीडिया अभियान

11.6 श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) के सहयोग से एक वार्षिक मीडिया प्लान तैयार किया गया था तथा वर्ष 2010–11 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया था। मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं, निःशुल्क कोचिंग तथा सामाजिक आमेलन विषय पर डी ए वी पी के माध्यम से वर्ष 2010–11 में (31.12.2010 तक) देश भर में अंग्रेजी में 194, हिन्दी में 631, उर्दू के राष्ट्रीय समाचारों में 495 और स्थानीय भाषा के सामाचार–पत्रों में 473 विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। आकाशवाणी के

राष्ट्रीय समाचारों, विविध भारती, एफएम और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर हिन्दी और स्थानीय भाषा में रेडियो जिंगल्स प्रसारित कराए गए। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी–1) और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से टेलीविजन कामर्शियल जिंगल्स भी प्रसारित कराए गए।

22 जुलाई, 2010 को अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद संसद सदस्यों से बातचीत करते हुए।

अध्याय–12

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

12.1 मंत्रालय को वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान में विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए ₹ 2600 करोड़ आबंटित किए गए हैं, जिसे वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 2500 करोड़ कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए योजना–वार निर्धारित धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्धारित राशि (₹ करोड़ में)	
		बजट अनुमान 2010–11	संशांधित अनुमान 2010–11
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	11.50	11.50
2.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.50	1.50
3.	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना	0.50	0.50
4.	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान	0.40	0.40
5.	व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	13.50	13.50
6.	अल्पसंख्यक बहुल 90 चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	154.30	148.03
7.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	45.00	45.00
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	26.50	26.50
9.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	3.00	3.00
10.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	1.50	0.01
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	1.30	0.02
12.*	राज्य वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाना	0.70	0.02
13.*	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	0.20	0.01
14.*	भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	0.10	0.01
	योग	260.00	250.00

12.2 गठन के समय से लेकर 31 दिसम्बर, 2010 तक के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा देश भर में 998 गैर–सरकारी संगठनों को कुल ₹ 130.67 करोड़ की वित्तीय सहायता में से पूर्वोत्तर राज्यों में 29 गैर–सरकारी संगठनों को ₹ 4.56 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया।

12.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम की योजनाओं का संचालन अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम राज्यों को छोड़कर शेष पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से होता है। सावधि और माइक्रो ऋण योजनाओं के तहत 31 दिसम्बर, 2010 तक पूरे देश में अल्पसंख्यकों को दिए गए ₹ 1557.11 करोड़ के ऋण में से पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा ₹ 114.52 करोड़ (7.35%) रहा, जो 35990 लाभार्थियों के लिए था। वर्ष 2010–11 में कुल ₹ 282.62 करोड़ के आबंटन में से ₹ 20.47 करोड़ (7.24%) का आबंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2010 तक ₹ 3.30 करोड़ की राशि जारी की गई है।

अध्याय–13

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

13.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। ये एजेंसियां सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा पदनामित हैं जो लाभार्थियों की पहचान/ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है जिस कारण उनकी वितरण प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

13.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। योजना के तहत 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा और 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना होता है। वित्त वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना हेतु स्वीकृत ₹ 4.00 करोड़ की राशि में से 31 दिसम्बर, 2010 तक ₹ 3.83 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

अध्याय–14

मंत्रालय की नई योजनाएं

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण स्कीम

14.1 वक्फ परिसंपत्ति पूरे देश भर में फैली है, किन्तु अधिकांश राज्यों में वक्फ परिसंपत्तियों का प्रभावी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु वक्फ परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से विकसित करने की संभावनाएं हैं।

14.2 वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपने नौवें प्रतिवेदन में राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकण की अनुशंसा की थी।

14.3 वक्फ भूमि के रिकार्डों के रख–रखाव को कारगर बनाने, सामाजिक लेखा परीक्षा और पारदर्शिता लाने तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा वेबआधारित सिंगल सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राज्य वक्फ बोर्डों, जम्मू कश्मीर सहित, के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को 25 नवम्बर, 2009 को स्वीकृति मिली थी। वर्ष 2009–10 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए ₹ 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14.4 वक्फ परिसंपत्तियों के कम्प्यूटरीकरण और प्रबंधन की योजना के व्यापक उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं –

- परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध
- मुतावली रिटर्न्स मैनेजमेंट
- परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध
- वाद निस्तारण प्रबंध
- प्रलेख आदान–प्रदान प्रबंध
- वक्फ परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी प्रबंध
- मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामों, मुआज्जिनों, विधवाओं, बालिका विवाहों, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, मुसाफिरखानों, कौशल विकास केन्द्रों आदि से संबंधित कोष प्रबंध
- शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंध

14.5 कम्प्यूटरीकरण की योजना एक समान रूप से सभी 29 राज्य वक्फ बोर्डों तथा जम्मू कश्मीर जैसे अन्य वक्फ बोर्ड के लिए लागू होगी जिसके लिए धन उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय सहायता हेतु विशेष अनुरोध किया जाएगा। वर्ष 2010–11 और वर्ष 2011–12 के दौरान दो वर्षों की अवधि के लिए परियोजना के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों को भाड़े पर लेने तथा नई प्रणाली को स्थिर करने और वक्फ बोर्ड के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए न्यूनतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धनराशि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र अथवा उनके नामिती और राज्य वक्फ बोर्डों को सीधे जारी की जाएगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबद्ध राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय कर लिए जाने के बाद वक्फ बोर्डों द्वारा भेजी जाएगी।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

14.6 "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना" नामक योजना मंत्रालय द्वारा 27.01.2010 से शुरू की गयी। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। यह अल्पसंख्यक महिलाओं में सरकारी सिस्टम, बैंकों और सभी स्तर पर मध्यस्थों के साथ संपर्क करने के साधन, तकनीकी और जानकारी उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास की भावना भरने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए है।

14.7 इस योजना में गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है।

27 जनवरी, 2010 को अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना का शुभारंभ करते हुए।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

14.8 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत वे सभी विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त हो तथा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाएगा। ये अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगीं तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों में अनुसंधान करने वाले छात्रों को दी जाएगी। 30% अध्येतावृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

अध्याय–15

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

15.1 राज्य पुनगर्ठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, सविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा की राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके साथ तीन क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगांव और चैन्नई में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इन अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय सुरक्षापायों के क्रियान्वयन के संबंध में आयी शिकायतों के मामलों को निपटाते हैं और इन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के उच्चतम स्तर के राजनैतिक और प्रशासनिक समूहों की जानकारी में लातें हैं और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करतें हैं। अभी तक भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की 44 रिपोर्टों को संसद में पेश किया गया है।

15.2 भारत के संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को कुछ रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने और उनकी भाषा, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार तथा अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने व उन्हें चलाने का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए शासकीय मान्यता देने हेतु राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं, जैसा वे निर्दिष्ट करें। अनुच्छेद 350, सरकार के किसी भी प्राधिकारी को अपनी शिकायत निवारण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयोग की जानी वाली किसी भी भाषा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृ भाषा में देने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 350–ख में संविधान के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है।

15.3 भारत के भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 45वीं और 46वीं रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के पद पर विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) श्री नंदलाल जोटवानी को नियुक्त कर दिया गया है, जिन्होंने 10 दिसम्बर, 2010 को कार्यभार संभाल लिया है।

15.4 भाषायी अल्पसंख्यक समूहों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संवैधानिक रक्षोपाय प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सांविधिक रक्षोपायों का व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा आवश्यक प्रशासनिक उपाए करें। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक ने भाषा और संस्कृति के परिरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों पर जोर देने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया।

15.5 मंत्रालय ने भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक रनिंग शील्ड तथा प्रमाण–पत्र प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। विभिन्न स्तर पर प्रशासकों के मध्य संवेदनशीलता और जागरूकता लाने की दृष्टि से ऐसा प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। पिछले वर्ष इस कार्य के लिए केरल को उसके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार दिया गया।

15.6 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक ने 21 फरवरी, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया।

अध्याय–16

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

16.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

16.2 पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुसलमानों, इसाइयों, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

16.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केन्द्र सरकार द्वारा ख्यातिप्राप्त और सामर्थ्यवान और सत्यनिश्ठा वाले व्यक्तियों में से नामित 5 सदस्य होंगे। परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

16.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मानीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेश शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

16.5 वर्तमान आयोग का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके किया गया हैः–

1.	श्री वजाहत हबीबुल्लाह	अध्यक्ष
2.	डॉ एच टी संगलियाना	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती स्पालेस ऐंग्मों	सदस्य
4.	श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल	सदस्य
5.	श्री विनोद शर्मा	सदस्य
6.	सुश्री सईदा बिलग्रामी इमाम	सदस्य
7.	श्री केकी एन. दारूवाला	सदस्य

16.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हो, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

16.7 31 दिसम्बर, 2010 तक तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग की 1978–79 से 1992–93 तक की चौदह (14) वार्षिक रिपोर्ट और सांविधिक आयोग की वर्ष 1993–94 से 2005–06 तक और 2007–08 की (14) रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 10 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ वर्ष 2006–07 के दौरान संसद में रखा गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 2006–07 की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

16.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। मणिपुर और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोगों का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का अनुरोध किया है।

16.9 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दिसम्बर, 2004 को संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 लोक सभा में प्रस्तुत किये गये। यह संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि बाल पाटिल बनाम संघ सरकार के मामले में इसकी संपूर्ण स्तर में उच्चम न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणियों को सरकार संविधान एक सौ तीसरा (संशोधन) विधेयक, 2004 को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखे।

16.10 भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के संबंध में दिनांक 08.08.2005 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्णय दिया है :–

"अधिनियम की धारा 2(ग) के अधीन 'अल्पसंख्यक' होने के जैनों के दावों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पूर्व अब इसकी पहचान राज्य आधार पर करनी है।"

उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्थायी समिति की रिपोर्ट की जांच विधि और न्याय मंत्रालय सहित विभिन्न अन्य मंत्रालयों के परामर्श से की गयी। तत्पश्चात विधेयक का सरकारी तौर पर संशोधन तैयार किया गया। सरकारी संशोधनों को प्रस्तुत करने तथा इन विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने की नोटिस प्रारंभिक तौर पर 11.05.2007 के लोक सभा में दी गयी। बजट सत्र, 2007 के समापन हो जाने से यह रद्द हो गया।

इसी बीच संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में प्रस्तावित सरकारी संशोधनों के संबंध में चिंता व्यक्त किये हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन अभ्यावेदनों की जांच विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से की गयी। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिए नोटिस एक बार फिर

लोक सभा को 05.2.2009 को दी गयी। तथापि, 14वीं लोक सभा भंग हो जाने से इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो पायी और सरकारी संशोधनों सहित ये दोनों विधेयक रद्द हो गये।

16.11 बाल पाटिल मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इसी बीच सितम्बर, 2010 में यह मामला उच्चतम न्यायालय के तीन जजों की खंडपीठ के समक्ष भेज दिया गया है। सभी वैधानिक मुद्दों की इस समय जांच की जा रही है।

अध्याय–17

वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद

17.1 यह मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995 (पहले वक्फ अधिनियम, 1954) के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जो 01 जनवरी, 1996 से लागू है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। अधिनियम के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को छोड़कर जिसका अपना अधिनियम है, 29 राज्यों ने वक्फ बोर्ड स्थापित कर लिए हैं। राज्य वक्फ बोर्डों की सूची **अनुलग्नक**–IX के रूप में सलग्न है।

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना

17.2 वक्फ परिसंपत्ति पूरे देश भर में फैली है, किन्तु अधिकांश राज्यों में वक्फ परिसंपत्तियों का प्रभावी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु वक्फ परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से विकसित करने की संभावनाएं हैं।

17.3 वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपने नौवें प्रतिवेदन में राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकण की अनुशंसा की थी।

17.4 वक्फ भूमि के रिकार्डों के रख–रखाव को कारगर बनाने, सामाजिक लेखा परीक्षा और पारदर्शिता लाने तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा वेबआधारित सिंगल सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राज्य वक्फ बोर्डों, जम्मू कश्मीर सहित, के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को 25 नवम्बर, 2009 को स्वीकृति मिली थी।

17.5 वक्फ परिसंपत्तियों के कम्प्यूटरीकरण और प्रबंधन की योजना के व्यापक उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं –

- परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध
- मुतावली रिटर्न्स मैनेजमेंट
- परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध
- वाद निस्तारण प्रबंध
- प्रलेख आदान–प्रदान प्रबंध
- वक्फ परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी प्रबंध
- मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामों, मुआज्जिनों, विधवाओं, बालिका विवाहों, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, मुसाफिरखानों, कौशल विकास केन्द्रों आदि से संबंधित कोष प्रबंध
- शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंध

17.6 कम्प्यूटरीकरण की योजना एक समान रूप से सभी 29 राज्य वक्फ बोर्डों तथा जम्मू कश्मीर जैसे अन्य वक्फ बोर्ड के लिए लागू होगी, जिसके लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तपोषण के लिए विशेष अनुरोध किया जाएगा। दो वर्षों की अवधि के लिए इस परियोजना के कार्यों को वास्तविक रूप से संभालने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों को भाड़े पर लेने तथा नई प्रणाली को स्थिर करने और वक्फ बोर्डों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें न्यूनतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। बजट अनुमान वर्ष 2009–10 में इस योजना के लिए ₹ 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से ₹ 8.06 करोड़ की राशि उपयोग में लायी जा चुकी है। वर्ष 2009–10 के दौरान एन आई सी को ₹ 4.81 करोड़ और केन्द्रीय वक्फ परिषद सहित 11 राज्य वक्फ बोर्डों को सीधे ₹ 3.25 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र वक्फ बोर्डों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय के पश्चात भेजे जाऐंगे।

केन्द्रीय वक्फ परिषद

17.7 देश में वक्फ परिसंपत्तियों के समुचित प्रशासन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुददों पर भारत सरकार को सलाह देने के प्रयोजन से वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8–क (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1 पठित) के तहत दिसम्बर, 1964 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री केन्द्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। पिछली परिषद की अवधि 17 मार्च, 2010 को समाप्त हो गयी। नई परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2009–10 के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को 25 नवम्बर, 2010 को लोक सभा में और 29 नवम्बर, 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है।

17.8 परिषद अपने उद्देश्यों के अनुसार मुददों को उठाने के साथ–साथ निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में भाग लेता आ रहा है :–

(i) शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजनाः

खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमणों से बचाने तथा इसके विकास के लिए अधिक से अधिक आय प्राप्त करने, ताकि वक्फ के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके, को ध्यान में रखते हुए, परिशद इस योजना को 1974–75 से चला रही है और केन्द्र सरकार इसके लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाएं यथा वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, शीतसंग्रहागार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत भारत सरकार ने मंत्रालय के गठन के समय से मार्च 2010 तक कुल ₹ 34.66 करोड़ राशि का सहायता अनुदान जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत 2009–10 के दौरान ₹ 1.5 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी थी, जिसका केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा पूरा उपयोग कर लिया गया है।

निम्नलिखित परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत करके केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा उपयोग में लायी गयी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सहायता–अनुदान राशि ₹ 1.5 करोड़ के संबंध में ब्यौरा :–

क्रम सं0	पारियोजना का नाम	धनराशि
1.	न्यू मुस्लिम हास्टल, सरस्वतीपुरम, मैसूर कर्नाटक	₹ 2.35 लाख
2.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, मेवात (हरियाणा) के इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण	₹ 75.00 लाख
3.	महमूदा शिक्षम एडं महिला ग्रामीण विकास बहु–उद्देश्य (एसएमजीवी) वक्फ संस्था, नागपुर (महाराष्ट्र)	₹ 30.00 लाख
4.	हाजी समसुद्दीन नर्सिंग होम–कम–रिसर्च सेंटर, न्यूगी, लिलांग (मणिपुर)	₹ 10.00 लाख
5.	जामा मस्जिद परिपालना, तिरूर, मलपुरम (केरल)	₹ 10.00 लाख
6.	नुसरतहुल इस्लाम संगम, सोरनूर पलक्कड (केरल)	₹ 11.95 लाख
7.	हैदेरिया मस्जिद ओट्टापलम (केरल)	₹ 11.00 लाख
	योग :	₹ 150.30 लाख

(ii) लघु परियोजनाएं:

परिषद द्वारा वक्फ संस्थानों को संवितरित राशि का पुनर्भुगतान 2 वर्ष के स्थगन के बाद 20 अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाना होता है। ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा परिषद को वापस चुकाई गई ऋण राशि से परिषद के रिवाल्विंग फंड का निर्माण होता है। जिसे पुनः वक्फ सम्पत्तियों पर लघु परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस योजना के तहत परिषद ने वर्ष 1986–87 से 90 परियोजानाओं के लिए ₹ 4.97 करोड़ राशि का ऋण दिया है जिनमें 68 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 22 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(iii) शैक्षिक योजनाएं:

परिषद द्वारा प्राप्त सहायता–अनुदान को ऋण प्राप्तकर्ता वक्फों को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए जारी किया जाता है, जबकि परिषद योजना के तहत कार्यरत कार्मिकों पर होने वाले समस्त व्यय को वहन करता है। परिषद ऋण लेने वाले वक्फों से ऋण का पुनर्भुगतान हो जाने तक घटते शेष पर अपनी शैक्षिक निधि के लिए 4% की दर से दान प्राप्त करता है (31 दिसम्बर, 2009 तक दान का दर 6% था)। परिषद की शैक्षिक निधि इसी दान से तैयार होती है। इसके अतिरिक्त, रिवाल्विंग फंड (अर्थात लघु स्कीमों के वित्तपोषण के लिए) की बैंक जमा राशियों पर मिलने वाला ब्याज भी शैक्षिक निधि में जमा हो जाता है। इस प्रकार, परिषद इसी शैक्षिक निधि से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, जिनमें आई टी आई की स्थापना आदि भी शामिल हैं, का संचालन करती है। परिषद की शैक्षिक और महिला कल्याण समिति योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी मामलों की जांच करती है और तदनुसार संस्तुतियां करती है।

अध्याय–18

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

18.1 राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन का काम केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त दरगाह समिति को सौंपा गया है। उक्त अधिनियम और उसके उपनियम वेबसाइट www.gharibnawaz.in पर उपलब्ध हैं।

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 का प्रशासन

18.2 राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह का प्रशासन दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत है। दरगाह को प्राप्त धमार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति दरगाह समिति को दी गई है। दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति भी दरगाह समिति को दी गयी है। नई दरगाह समिति का गठन 24 अगस्त, 2007 को किया गया था। इस समय समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1.	जनाब ए एच खान चौधरी	अध्यक्ष
2.	जनाब बदरूद्दीन गुलाम मोईउद्दीन शेख,	उपाध्यक्ष
3.	जनाब प्रो0 सोहेल अहमद खान,	सदस्य
4.	जनाब प्रो0 (डॉ0) इब्राहिम,	सदस्य
5.	जनाब हाफिज वकील अहमद साहेब,	सदस्य
6.	जनाब मोहम्मद इलयास कादरी,	सदस्य
7.	जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली,	सदस्य
8.	जनाब मोहम्मद सुहेल मोईउद्दीन तिरमीजी,	सदस्य
9.	जनाब घोले इस्माइल मुअल्लिम,	सदस्य

18.3 दरगाह समिति के कार्य और शक्तियां

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ की चार दीवारी के भीतर के भवनों तथा सभी मकानों, दुकानों की उचित देखभाल तथा उन्हें अच्छी हालत में रखना।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की समस्त राशि और अन्य आय प्राप्त करना।
- यह देखना कि धर्मार्थ प्राप्त दान की राशि दानदाताओं की इच्छा के अनुरूप खर्च की जाती हैं।

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की आय तथवा राजस्व की ओर से देय या उस पर प्रभारित सभी अन्य भुगतान करना और वेतन भत्ते तथा अनुलाभ का भुगतान करना।
- खादिमों के विशोशाधिकारों को निर्धारित करना तथा यदि समिति इसे आवश्यक मानती है तो उन्हें उनकी ओर से लाईसेंस प्रदान कर दरगाह में उनकी उपस्थिति नियमित करना।
- सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना।
- दरगाह के साथ मिलकर सजदानसीन द्वारा प्रयोग की जानी वाली शक्तियों और कार्यप्रणाली का निर्धारण।
- दरगाह के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलंबन तथा उनकी बर्खास्तगी।
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गरीब वंशजों और उनके परिवारों तक भारत में रह रहे गरीब खादिमों और उनके परिवारों को शिक्षा और गुजारा के लिए वे प्रावधान करना जिसे समिति दरगाह की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सुसंगत समझे।
- जैसा समिति उचित समझे, नाजिम को कार्य और शक्तियां प्रदान करना।
- अन्य सभी कार्य करना जो दरगाह के दक्ष प्रशासन के लिए अनुषंगी अथवा सहायक हों।

18.4 उर्स तथा धर्म सघों का प्रबंधन :

जून, 2010 के वार्षिक उर्स और दिसम्बर, 2010 के लघु उर्स (मुहर्रम) का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया। दरगाह समिति, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा अवसंरचनात्मक प्रबंध किया गया था।

18.5 ज़ायरीन (तीर्थ यात्रिओं) को सुविधाएं

वार्षिक उर्स के दौरान पाक दरगाह पर आने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों के ठहरने की सुविधा के प्रावधान संबंधी योजना का कार्यान्वयन दरगाह समिति द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के सक्रिय सहयोग से स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 27 शयनशालाएं निर्माण करने की परिकल्पना है। प्रत्येक शयनशाला में लगभग 4000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। विभिन्न राज्य सरकारों ने तीर्थ यात्रियों के लिए अपने स्टेट पैवेलियन ब्लॉक विकसित करने के प्रति रूचि दिखायी है। परियोजना के तहत एक लाख तीर्थ यात्रियों के ठहरने और 6 हजार बसों/वाहनों को पार्क करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 27 शयनशालाओं, सामुदायिक रसोई घरों, टायलेट और हौज ब्लॉकों इत्यादि के निर्माण के लिए अनुमानित पूंजीगत परिव्यय लगभग ₹ 202 करोड़ है।

अध्याय–19

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

19.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को नियमित किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निगम दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे की पारिवारिक आय, जो इस समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹ 55000 वार्शिक और ₹ 40000 वार्षिक है, से संबद्ध अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभग्राहियों को स्वरोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

19.2 लाभग्राहियों तक पहुँच के लिए एनएमडीएफसी के दो चैनल हैं अर्थात् (1) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और (2) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से। वैयक्तिक लाभग्राही को एससीए कार्यक्रमों के तहत ₹ 5.00 लाख तक की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए 3% की ब्याज दर पर एससीए को निधि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लाभार्थियों को 6% की दर से और ऋण दिया जा सके। निगम स्वयं के लिए तथा मजदूरी रोजगार के लिए लक्ष्य समूहों की क्षमता निर्माण हेतु एससीए के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक ऋण की योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है।

19.3 माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत ₹ 25,000 तक के माइक्रो ऋण, एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक स्व–सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को दिए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एनजीओ को 1% की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से आगे ऋण के रूप में दिया जाता हैं। ऋण देने के कार्यकलापों के अलावा, एनएमडीएफसी, कौशल उन्नयन और विपणन सहायता हेतु प्रशिक्षण में लक्ष्यगत समूहों को सहायता प्रदान करता है। एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों के उन्नयन और स्थायित्व के लिए ब्याज रहित ऋण (अनुदान के रूप में समायोज्य) का भी प्रावधान है।

19.4 एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से शैक्षिक ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत एनएमडीएफसी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए योग्य अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 3% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 2,50,000 उपलब्ध कराता है।

19.5 अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एनएमडीएफसी के पास ₹ 1500 करोड़ की प्राधिकृत अंशपूंजी है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 975 करोड़ है (65%) और राज्य सरकारों का हिस्सा ₹ 390 करोड़ (26%) है, जबकि शेष ₹ 135 करोड़ (9%) अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा अंश दान दिया जाना होता है। भारत सरकार ने अभी तक एनएमडीएफसी की इक्विटी में ₹ 760.36 करोड़ (77.99%) का अंशदान दिया है, जबकि ₹ 163.21 करोड़ (41.85%) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया है। अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा ₹ 55000 दिया गया है।

19.6 एससीए कार्यक्रम के तहत दिनांक 31.12.2010 तक एनएमडीएफसी ने पच्चीस राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में 345733 लाभार्थियों को ₹ 1362.44 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। वर्ष 2010–11 में (31.12.2010 तक) 23835 लाभार्थियों को ₹107.26 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।

19.7 माइक्रो वित्त प्रबंध, एनएमडीएफसी द्वारा 1998–99 से कार्यान्वित किया जा रहा है। आरम्भ में इसे एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। बाद में इसके कार्यान्वयन में एससीए को शामिल किया गया। इसके गठन से दिनांक 31.12.2010 तक 293624 लाभार्थियों को माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत कुल ₹ 194.76 करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष (2010–11) में दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक 76599 लाभार्थियों के लिए एनजीओ/एससीए को ₹ 61.27 करोड़ का माइक्रो ऋण संवितरित किया जा चुका है।

19.8 अपने गठन से लेकर 31 दिसम्बर, 2009 तक निगम द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के तहत 639357 लाभार्थियों को ₹ 1557.11 करोड़ की राशि संवितरित की गई है। चालू वित्त वर्ष में 31.12.2010 तक 100434 लाभार्थियों की सहायता के लिए ₹ 168.53 करोड़ की समेकित राशि वितरित की गई है।

19.9 वर्ष 2007–08 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य चैलाइजिंग एजेंसियों को उनकी अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान देने की एक योजना शुरू की गई है। ये सहायता जागरूकता अभियानों, वितरण प्रणाली में सुधार, मानव शक्ति को प्रशिक्षण, ऋण वसूली आदि के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खर्च का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य सरकारों को 10 प्रतिशत का अंशदान करना होता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना हेतु स्वीकृत ₹ 4.00 करोड़ में से ₹ 3.83 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

19.10 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की वर्ष 2009–10 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2010 को और राज्य सभा में 13 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत किया गया था।

अध्याय–20

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

20.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1989 में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक स्वैच्छिक, गैर–राजनैतिक, गैर–लाभकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके की गई थी।

20.2 इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना, बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उनके लिए विशेष आवासीय स्कूलों की स्थापना करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

20.3 प्रतिष्ठान की आम सभा में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं। नामित सदस्यों को प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं।

20.4 इस प्रतिष्ठान की योजनाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं अर्थात् छात्राओं की शिक्षा पर बल देते हुए स्कूलों/हॉस्टलों का निर्माण एंव विस्तार, तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, और मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति। इस प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्कीमें निम्नलिखित हैं :–

(क) स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कालिजों की स्थापना और विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) प्रयोगशाला के उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थानों की स्थापना और उनके सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) हॉस्टलों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(ड.) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(च) मौलाना अबुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कार।

20.5 प्रतिष्ठान अपनी संचित निधि पर मिले ब्याज से योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जो इसकी आय का एक मात्र स्रोत है। संचित निधि प्रतिष्ठान को योजनागत सहायता के भाग के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की गई है। यह संचित निधि जो वर्ष 2006–07 में ₹ 100 करोड़ थी, अब ₹ 550 करोड़ है।

20.6 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की संचित निधि को बढ़ाने के लिए ₹ 500 करोड़ के कुल अनुमोदित योजनागत परिव्यय में से ₹ 350 करोड़ पहले ही जारी कर दिए गए हैं। शेष ₹ 150 करोड़ को शेष योजना अवधि अर्थात 2011–12 में जारी कर दिया जाएगा। इससे संचित निधि ₹ 700 करोड़ हो जाएगी।

20.7 इस प्रतिष्ठान ने, शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी संचित निधि में स्वैच्छिक अंशदान करने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी संपर्क किया है।

20.8 आरम्भ होने के समय से 31 मार्च, 2010 तक, प्रतिष्ठान ने स्कूलों/कालेजों/लड़कियों के छात्रावासों/पोलिटेक्निकों/आईटीआई के निर्माण और विस्तार के लिए तथा उपकरण, मशीनरी और फर्नीचर की खरीद के लिए देश भर में 998 गैर–सरकारी संगठनों को ₹ 130.67 करोड़ मंजूर किए हैं, और 41977 मेधावी छात्राओं को ₹ 48.20 करोड़ की छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– X और XI** में दिए गए हैं। मंत्रालय और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2010–11 में 100 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी जानी है और 18000 छात्रवृत्तियां वितरित की जानी हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए सहायता–अनुदान के आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार, छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए प्राप्त आवेदनों की भी जांच की जा रही है।

संगठन को दुरूस्त रखने के लिए किये गये उपाय

20.9 सहज कार्यकरण, वर्धित जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सिस्टम को दुरूस्त रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(i) कर्मचारी संख्या को पुनर्गठित करके संगठनात्मक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(ii) बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर के अधिकारी को प्रतिष्ठान के सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है।

(iii) प्रतिष्ठान को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिस पर आवेदन तथा आवेदनों की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा होगी। गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान तथा छात्रा को स्कालरशिप के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic पर उपलब्ध है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिष्ठान के स्कीम और कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कवर हो जाएं, एम ए ई एफ के संसाधनों को राज्य–वार तरीके से वितरित किया गया है। वर्ष 2008–09 के पूर्व एम ए ई एफ द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को अपनी सहायता–अनुदान के लिए कोई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने वर्ष 2008–09 से अपनी योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया है।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्कीमों और कार्यक्रमों के संबंध में सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्तर पर आवधिक अंतराल पर पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

20.10 प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में इण्डियन सोसल इंस्टीच्यूट द्वारा 2009–10 में मूल्यांकन–सह–परिसंपत्ति सत्यापन अध्ययन किया गया था। मोटे तौर पर एजेंसी ने अन्य बातों के साथ–साथ मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि करने, अनिवार्य आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, निधियों का समुचित उपयोग करने आदि की अनुशंसा की है।

20.11 इन्हीं सिफारिशों के आधार पर प्रतिष्ठान की संचित निधि की मात्रा बढ़ायी गयी है, प्रतिष्ठान के प्रमुख कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और निगरानी तथा निरीक्षण प्रक्रिया कारगर बनायी गयी है।

अध्याय–21

जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग

21.1 माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान के मामले में (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011) के मामले में अपने निर्णय के अंतर्गत कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाने संबंधी दिशानिर्देश तय किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य स्थल के सभी प्रभारी व्यक्तियों और नियोक्ताओं द्वारा बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक और निजी संगठनों में यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी उचित उपाय करेंगे तथा मंत्रालयों/विभाग/संगठन में कार्यस्थल पर किसी महिला से प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु कदम उठाए जाएंगे।

21.2 माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय में दिनांक 31.8.2009 को एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। वर्तमान में समिति का पुनर्गठन कार्य चल रहा है।

21.3 मंत्रालय के जेंडर बजटिंग सेल का पुनर्गठन दिसम्बर, 2010 में कर दिया गया है। इस सेल में दो पुरूष और दो महिला अधिकारी हैं। इस सेल का इरादा मंत्रालय में जेंडर सापेक्ष बजट प्रस्तुत करने का है। इस सेल की महिलाओं और बालिका लाभार्थियों को लाभ प्रदान कना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए बैठकों का आयोजन किया गया है। इस सेल का पर्यवेक्षण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशा0) द्वारा किया जाता है।

21.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 3 विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, यथा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना। इन तीनों योजनाओं के तहत कुल छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09 और 2009–10 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से क्रमशः 32.01% और 32.47% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गईं; मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09 और 2009–10 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से क्रमशः 50.89% और 48.47% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गईं तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09 और 2009–10 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से क्रमशः 55.12% तथा 55.10% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गईं। वर्ष 2010–11 में 31.12.2010 तक जिन छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं, उनकी प्रतिशतता इस प्रकार थी :–

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	–	47.47%
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	–	51.00%
मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	–	33.49%

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं में मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना के तहत प्रतिष्ठान द्वारा 31 मार्च, 2010 तक 41,977 छात्राओं को ₹ 48.20 करोड़ राशि की छात्रवृत्तियां संवितरित की गयीं।

21.5 एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेश ध्यान देता है। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों की निर्धन महिलाओं के लिए माइक्रो वित्त योजना चला रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माइक्रो वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को अनौपचारिक ढंग से गैर–सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी ने गठन के समय से 31 दिसम्बर, 2010 तक 2,93,624 लाभार्थियों को ₹ 194.67 करोड़ का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया है। लगभग 90% लाभार्थी महिलाएं हैं।

21.6 एनएमडीएफसी ने महिला समृद्धि योजना भी लागू की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को छह माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹ 25,000 तक का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

21.7 मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की एक स्कीम केवल महिलाओं के लिए कार्यान्वित की जाती है।

अध्याय–22

सूचना का अधिकार अधिनियम

22.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने सर्वसाधारण के मार्गदर्शन और सूचना के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है। यह मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov. पद पर उपलब्ध है। इस पुस्तिका में मंत्रालय के संगठनात्मक ढ़ांचे, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकलाप और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों और प्रलेखों से संबंधित सूचना उपलब्ध है। पुस्तिका में मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध है।

22.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत की उपलब्धियों के आकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्राओं के नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं और उसे मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि पूर्ण हुए और चालू कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होता है। मंत्रालय ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्प लाइन की भी व्यवस्था की है।

22.3 मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और सिविल समाज की भागीदारी की दिशा में किए गए सकारात्मक पहल के कारण ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने 14 जनवरी, 2011 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से यह अनुरोध किया है कि वे भी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रक्रिया को अपनाएं।

22.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और तीन संयुक्त सचिवों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। वर्ष 2010–11 (31.12.2010 तक) में इस अधिनियम के तहत 232 आवेदन और 6 अपील प्राप्त हुए थे, जिन्हें निस्तारित कर दिया गया। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों से संबंधित तिमाही स्थिति रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयुक्त को भेजी जाती है।

अध्याय–23

विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई

23.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थ समग्र नीति एवं नियोजन की तैयारी, समन्वय, मूल्यांकन और विनियामक ढांचे की समीक्षा तथा विकास कार्यक्रम की तैयारी कार्य को सुगम बनाने के लिए अस्तित्व में आया। मंत्रालय एक छोटा संगठन है जिसमें स्वीकृत अधिकारियों और स्टाफ की संख्या केवल 93 है, जिसमें 1 सचिव, 1 संयुक्त सचिव–सह–वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) तथा 3 संयुक्त सचिव हैं। यह मंत्रालय विशेषकर अधिकारी उन्मुख है तथा मध्यम स्तर के अधिकांश अधिकारी डेस्क अधिकारी पैटर्न पर कार्य करते हैं।

23.2 मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 93 पदों में से (जिनमें से अधिकांश संगठित सेवा से भरे हुए हैं) 73 पद भरे हुए हैं। मंत्रालय के गठन से अब तक सीधे तौर पर केवल 3 चपरासियों की ही भर्ती की गई है तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एक सहायक निदेशक को मंत्रालय में आमेलित किया गया है। शेष पद अल्प कालीन अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भरे गए हैं। इसलिए विकलांग व्यक्तियों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका है। तथापि, भविष्य में भर्ती करते समय विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय–24

सरकारी लेखापरीक्षा

24.1 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा एनएमडीएफसी, केन्द्रीय वक्फ परिषद, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान और दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर सहित मंत्रालय के लेखाओं और कार्य व्यवहारों की अनुपालन, वित्तीय और निष्पादन लेखा परीक्षा की जाती है। एनएमडीएफसी, केन्द्रीय वक्फ परिषद और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्टों सहित लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मंत्रालय और एनएमडीएफसी के लेखाओं और कार्य–व्यवहारों, जिनमें उनकी आज की तारीख तक की स्थिति भी शामिल है, के संबंध में संसद में प्रस्तुत की गयी उनकी रिपोर्टों में दर्शाये गये लेखा–परीक्षा पैराओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्रम सं0	रिपोर्ट संख्या	पैरा सं0 और विषय	की गयी कार्रवाई
1.	2007–08 की 13	7.10 संवितरण – मार्च, 2008 के महीने और 2007–08 की पिछली तिमाही के दौरान व्यय की जल्दबाजी। 8.4 अनुदान के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ से अधिक का बिना खर्च किया हुआ प्रावधान। 8.16 अवास्तविक बजटीय पूर्वानुमान	की गयी कार्रवाई संबंधी मसौदा टिप्पणियां डीजीएसीआर (व्यय) को पुनरीक्षण के लिए भेज दी गयी हैं।
2.	2008–09 की 1	8.4 विभिन्न विनियोजन/अनुदानों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत। 8.11 भारी विनियोजन के महत्वपूर्ण मामले जो अविवेकपूर्ण थे (पुनर्विनियोजन के मामले में केवल एक करोड़ रु0 से अधिक की राशि का उल्लेख) 8.13 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन की तुलना में अधिक की बचत। 8.15 अवास्तविक बजटीय पूर्वानुमान	की गयी कार्रवाई संबंधी मसौदा टिप्पणियां डीजीएसीआर (व्यय) को पुनरीक्षण के लिए भेज दी गयी हैं।
6.	2004 की सीए 12	12.5.4– मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधि के उपयोग में विलम्ब किये जाने के बावजूद निधि जारी करना।	की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को पुनरीक्षण के लिए भेजी गयी थी। अब वे इन पैराओं को समाप्त कर दिये हैं।

क्रम सं0	रिपोर्ट संख्या	पैरा सं0 और विषय	की गयी कार्रवाई
7.	2006 की सीए 11	1.2.43– बेसिक और कम किया हुआ ईपीएस का परिकलन लेखांकन मानक 20 की अपेक्षानुसार नहीं किया गया है।	की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को पुनरीक्षण के लिए भेजी गयी थी। अब वे इन पैराओं को समाप्त कर दिये हैं।
8.	वर्ष 2009 की सीए 22	2.5.4– राजस्व की पहचान– लेखांकन मानक 9 से विलोपन	

अध्याय–25

परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों के चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

25.1 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन में की गयी घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री ने 11 सितम्बर, 2009 को सरकारी विभागों के लिए निष्पादन अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा के मसौदे को अनुमोदित कर दिया।

इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि वह सरकार द्वारा समय–समय पर संसूचित घोषणा कार्यसूची, राष्ट्रपति के संबोधन, संबंधित मंत्री द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार करे। इस मंत्रालय ने 30 नवम्बर, 2009 को वर्ष 2009–10 के लिए अपना प्रथम परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए "सरकार की घटती राशि" से "सरकार की बढ़ती गुणवत्ता" में अंतरण की दिशा में इस कार्य की शुरूआत थी।

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 14 मई, 2010 को आयोजित सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों को सम्बोधित करते हुए अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद।

वर्ष 2009–10 के दौरान मंत्रालय के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस मंत्रालय को 92.76% समग्र संयुक्त अंक प्रदान किया जो 59 सरकारी विभागों को प्राप्त 89.40% औसत संयुक्त अंकों की तुलना में अधिक रहा।

25.2 वर्ष 2011–12 के लिए मंत्रालय का नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर जो आरएफडी 2010–11 के लिए 'सवोत्तम' हेतु अनुवर्ती एवं अनिवार्य आवश्यकता है, तैयार कर लिया गया है। इसे अप्रैल–2011 से मार्च, 2016 तक की मंत्रालय की नीति के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

25.3 मंत्रिमंडल सचिवालय में निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक वाले एक स्क्रीन शॉट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अनुलग्नक-I

अधिकारी/कर्मचारी संख्या
27 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार पदधारितों की स्थिति

क्र. सं.	पद/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव ग्रुप 'ए'	01	01	शून्य
2.	संयुक्त सचिव ग्रुप 'ए'	03	03	शून्य
3.	निदेशक/उप सचिव ग्रुप 'ए'	07	06	01
4.	अवर सचिव ग्रुप 'ए'	10	10	शून्य
5.	सहायक निदेशक ग्रुप 'ए'	03	02	01
6.	अनुसंधान अधिकारी ग्रुप 'ए'	01	01	शून्य
7.	सहायक निदेशक (राजभाषा) ग्रुप 'बी'	01	01	शून्य
8.	अनुभाग अधिकारी ग्रुप 'बी'	08	06	02
9.	प्रधान निजी सचिव ग्रुप 'ए'	01	01	शून्य
10.	सहायक ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	10	09	01
11.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	02	02
12.	वरिष्ठ अन्वेषक ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	01	03
13.	लेखाकार ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	शून्य
14.	निजी सचिव ग्रुप 'बी'	03	02	01
15.	आशुलिपिक ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	07	07	शून्य
16.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	शून्य
17.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	08	03	05
18.	उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड 'सी'	01	शून्य	01
19.	स्टाफ कार चालक	02	02	शून्य
20.	चपरासी ग्रेड 'डी'	14	14	शून्य*
21.	सहायक निदेशक (उर्दू) ग्रेड 'बी'	01	शून्य	01
22.	अनुवादक (उर्दू) ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	शून्य	01
23.	टाइपिस्ट (उर्दू) ग्रुप 'सी' (अ0रा0)	01	शून्य	01
	योग :	93	73	20

* 4 ग्रेड 'डी' चपरासी बाहर से लिए गए हैं।

अनुलग्नक-II

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में रिपोर्टिंग चैनल और संगठनात्मक ढांचा (25 जनवरी, 2011) की स्थिति के अनुसार

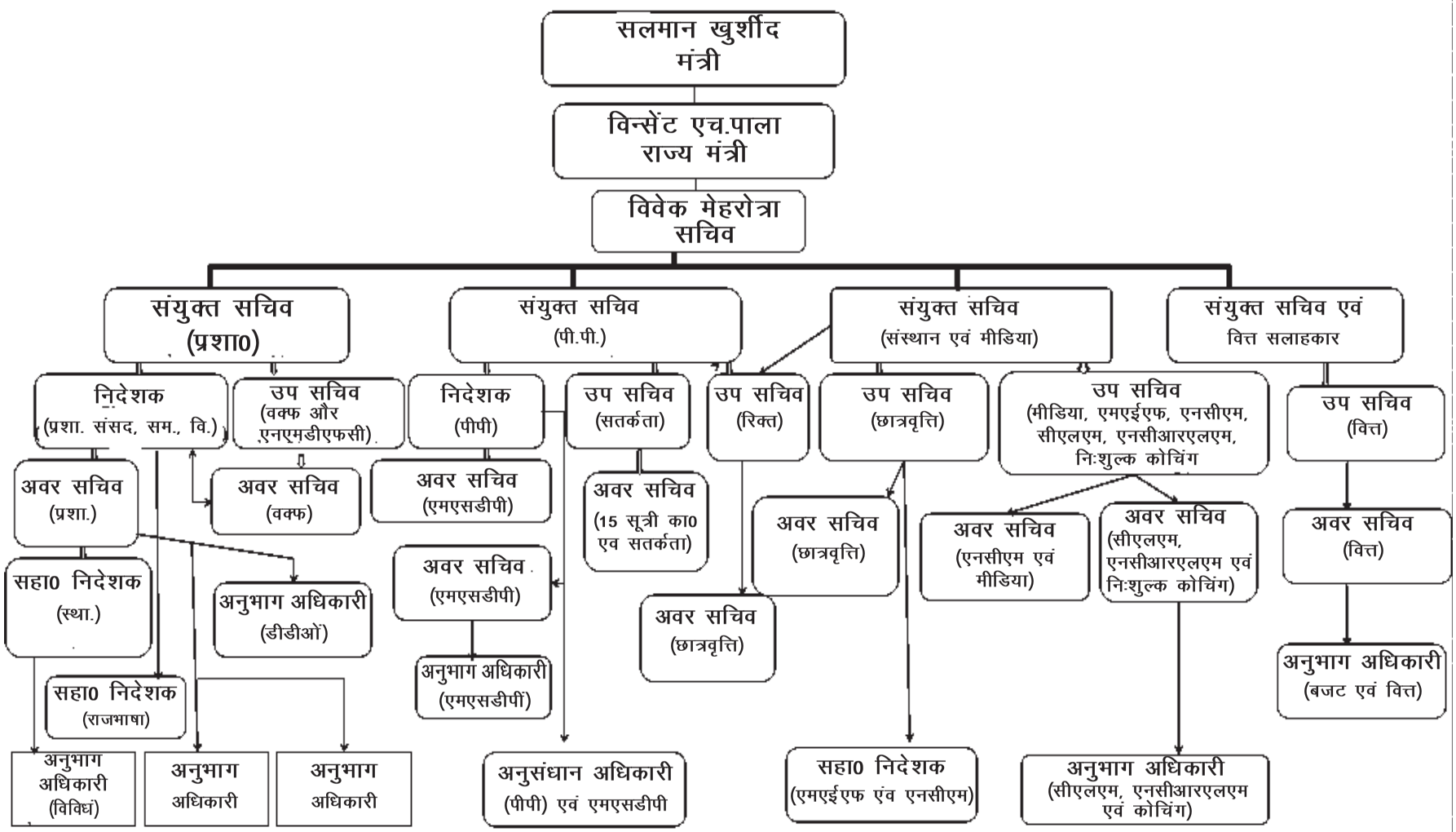

अनुलग्नक-III

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) परिव्यय, वर्ष 2010–11 में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय (31.12.2010 तक) का योजनागत स्कीम/कार्यक्रम–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	ग्यारहवीं योजना (परिव्यय)	बजट अनुमान 2009–10	संशोधित अनुमान 2009–10	वास्तविक व्यय 2010–11 (31.12.2010 तक)
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	500.00	125.00	125.00	125.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	45.00	15.00	15.00	11.07
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	500.00	115.00	115.00	115.00
4	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	35.00	22.00	22.00	14.88
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	20.00	4.00	4.00	3.83
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	0.00	15.00	5.00	0.00
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	30.00	30.00	0.00
8.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.00	13.00	6.00	3.13
9.*	अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	0.00	2.00	0.02	0.00
10.*	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	0.00	1.00	0.05	0.00
11.*	लघु अल्पसंख्यकों की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	0.00	1.00	0.01	0.00
	उप–योग (केन्द्रीय योजनाए)	**1100.00**	**343.00**	**322.08**	**272.91**

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	ग्यारहवीं योजना (परिव्यय)	बजट अनुमान 2009–10	संशोधित अनुमान 2009–10	वास्तविक व्यय 2010–11 (31.12.2010 तक)
ख.	**केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**				
1	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	600.00	135.00	135.00	97.22
2	अल्पसंख्यक बहुल चुनिंदा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2750.00	1399.50	1327.32	572.38
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	1400.00	450.00	450.00	343.54
4	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1100.00	265.00	265.00	184.24
5	सचिवालय	0.00	0.50	0.50	0.33
6.*	राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ किया जाना	0.00	7.00	0.01	
	उप–योग (सीएसएस)	5900.00	2257.00	2177.92.00	1197.71
	सकल योग (क+ख)	7000.00	2600.00	2500.00	1470.62

* योजना आयोग से इन योजनाओं को सिद्धान्ततः स्वीकृति न मिलने के कारण इन पर न तो विचार किया गया और न ही इन्हें स्वीकृति प्रदान की गयी।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची (श्रेणी 'क' और 'ख')

श्रेणी 'क'			
उन जिलों की सूची जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा दोनों मानदंडों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र. सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	1	अरूणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
2.	2	अरूणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
3.	3	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
4.	4	अरूणाचल प्रदेश	तिरप
5.	5	असम	कोकराझार
6.	6	असम	धुबरी
7.	7	असम	गेयालपारा
8.	8	असम	बोगांईगांव
9.	9	असम	बारपेटा
10.	10	असम	दारंग
11.	11	असम	मारीगांव
12.	12	असम	नागांव
13.	13	असम	कछार
14.	14	असम	करीमगंज
15.	15	असम	हैलाकांडी
16.	16	असम	कामरूप
17.	17	बिहार	अररिया
18.	18	बिहार	किशनगंज
19.	19	बिहार	पुर्णिया
20.	20	बिहार	कटिहार
21.	21	बिहार	सीतामढ़ी
22.	22	बिहार	पश्चिम चम्पारन
23.	23	बिहार	दरभंगा
24	24	झारखंड	साहिबगंज
25.	25	झारखंड	पकौर
26.	26	महाराष्ट्र	परभनी

क्र. सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
27	27	मणिपुर	थौबल
28	28	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
29	29	उड़ीसा	गजपती
30	30	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
31	31	उत्तर प्रदेश	बदायूं
32	32	उत्तर प्रदेश	बराबंकी
33	33	उत्तर प्रदेश	खीरी
34	34	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
35	35	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
36	36	उत्तर प्रदेश	रामपुर
37	37	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर
38	38	उत्तर प्रदेश	बरेली
39	39	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
40	40	उत्तर प्रदेश	बहराइच
41	41	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
42	42	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
43	43	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
44	44	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
45	45	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
46	46	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
47	47	पश्चिम बंगाल	मालदा
48	48	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
49	49	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
50	50	पश्चिम बंगाल	नादिया
51	51	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24–परगना
52	52	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53	53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार

अनुलग्नक-IV(ख)

	श्रेणी 'ख'		
	उप–श्रेणी 'ख 1'		
	उन जिलों की सूची जो सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं		
क्र. सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
54	1	अरूणाचल प्रदेश	तावांग
55	2	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग
56	3	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे
57	4	दिल्ली	नॉर्थ ईस्ट
58	5	हरियाणा	गुड़गांव
59	6	हरियाणा	सिरसा
60	7	कर्नाटक	गुलबर्गा
61	8	कर्नाटक	बीदर
62	9	मध्य प्रदेश	भोपाल
63	10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
64	11	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
65	12	उत्तर प्रदेश	मेरठ
66	13	उत्तर प्रदेश	मुजफरनगर
67	14	उत्तर प्रदेश	बागपत
68	15	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
69	16	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर
70	17	उत्तरांचल	हरिद्वार
71	18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
72	19	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
73	20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

अनुलग्नक-IV(ग)

	उप–श्रेणी 'ख 2' उन जिलों की सूची जो आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं		
क्र. सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
74	1	अण्डमान	निकोबार
75	2	असम	नॉर्थ कछार हिल्स
76	3	जम्मू व कश्मीर	लेह (लद्दाख)
77	4	झारखंड	रांची
78	5	झारखंड	गुमला
79	6	केरल	वेयानाद
80	7	महाराष्ट्र	बुलदाना
81	8	महाराष्ट्र	वाशिम
82	9	महाराष्ट्र	हिंगोली
83	10	मणिपुर	सेनापति
84	11	मणिपुर	तमेंगलांग
85	12	मणिपुर	चूड़चांदपुर
86	13	मणिपुर	उखरूल
87	14	मणिपुर	चंदेल
88	15	मिजोरम	लांगटलाई
89	16	मिजोरम	ममित
90	17	सिक्किम	नॉर्थ

अनुलग्नक-V

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरूआत से लेकर 31 दिसम्बर, 2010 तक जारी धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राज्य	स्वीकृत (केन्द्रीय अंश)	सिद्धान्ततः स्वीकृत (केन्द्रीय अंश)	योग (केन्द्रीय अंश)	कुल जारी धनराशि
1	उत्तर प्रदेश	89031.58	5019.35	94050.93	54156.68
2	पश्चिम बंगाल	63504.48	4914.90	68419.38	46972.15
3	हरियाणा	4310.90	500.00	4810.90	2491.90
4	असम	38166.91	2155.01	40321.92	25197.89
5	मणिपुर	12465.63	1073.00	13538.63	9376.03
6	बिहार	30684.65	1416.88	32101.53	19294.23
7	मेघालय	3039.67	0.00	3039.67	1527.82
8	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1238.83	0.00	1238.83	622.76
9	झारखंड	11325.38	3142.82	14468.20	9141.37
10	उड़ीसा	3119.93	0.00	3119.93	2558.48
11	मध्य प्रदेश	1487.50	0.00	1487.50	915.15
12	केरल	1415.49	75.00	1490.49	200.63
13	कर्नाटक	3970.05	0.00	3970.05	2003.14
14	महाराष्ट्र	5757.43	0.00	5757.43	2407.16
15	मिजोरम	3009.64	1351.98	4361.62	1199.31
16	सिक्किम	1355.23	86.67	1441.90	9.00
17	दिल्ली	407.50	1278.00	1685.50	155.00
18	जम्मू और कश्मीर	1394.03	120.00	1514.03	599.58
19	उत्तराखंड	3647.35	2278.79	5926.14	1578.97
10	अरूणाचल प्रदेश	5418.055	198.00	5616.055	2514.08
	सकल योग	284750.24	23610.40	308360.64	182921.33

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वर्ष 2010–11 (31.12.2010 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां

अनुलग्नक-VI

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मुस्लिम		इसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	**आंध्र प्रदेश	73700	161896	12400	10343	300	175	300	168	9	8	86709	172590	94079	78511	45.49	30.85
2	अरूणाचल प्रदेश #	200	0	2100	0	27		1500	0	9	0	3836	0	0	0	0	0.00
3	*असम	87000	37237	10400	763	200	144	500	115	9	0	98109	38259	19289	18970	49.58	8.37
4	**बिहार	144800	319861	600	51	200	116	200	79	9	0	145809	320107	185367	134740	42.09	34.12
5	छत्तीसगढ़	4300	5105	4200	946	700	851	700	74	9	0	9909	6976	3104	3872	55.50	1.31
6	गोवा	1000		3800		27		18		60		4905					0.04
7	गुजरात #	48500	0	3000	0	500		200	0	60	0	52260	0	0	0	0	0.00
8	हरियाणा	12900	13514	300	43	12400	11266	100	0	9	0	25709	24823	16974	7849	31.62	2.41
9	हिमाचल प्रदेश	1300	792	100	9	800	309	800	2	9	0	3009	1112	584	528	47.48	0.18
10	जम्मू और कश्मीर	71700		200		2200		1200		9		75309					0.00
11	झारखंड	39400	23953	11500	611	900	77	100	2	9	0	51909	24643	11294	13349	54.17	3.76
12	**कर्नाटक	68200	165121	10600	18494	200	326	4200	1680	9	15	83209	185636	82460	103176	55.58	18.29
13	**केरल	83000	263211	63845	190349	27	0	18	0	9	0	146900	453560	192266	261294	57.61	34.36
14	मध्य प्रदेश	40600	38834	1800	662	1600	356	2200	88	9	5	46209	39945	14823	25122	62.89	4.81
15	महाराष्ट्र	108400	265441	11200	23467	2300	4193	61500	150346	238	501	183638	443948	323939	120009	27.03	33.10
16	मणिपुर	2000		7800		27		18		9		9855					0.00
17	मेघालय	1000	117	17200	12694	27	14	18	21	9	0	18255	12846	5375	7471	58.16	1.63
18	मिजोरम	100	73	8200	8199	27	801	800	0	9	0	9136	9073	4314	4759	52.45	1.56
19	नागालैंड #	400	0	18900	0	27		18	0	9	0	19355	0	0	0	0	0.00
20	उड़ीसा	8100	12306	9500	5587	200	5	100	11	9	0	17909	17909	8910	9029	50.42	1.39
21	पंजाब	4000	5139	3100	1210	153618	138657	400	29	9	17	161127	145052	85927	59125	40.76	11.89
22	राजस्थान	50500	50500	800	126	8700	8355	100	8	9	9	60109	58998	37311	21687	36.76	5.54
23	सिक्किम	100	0	400	548	27	0	1600	1886	9	0	2136	2434	1220	1214	49.88	0.40
24	**तमिलनाडु	36600	127964	39900	113790	100	1	100	2	9	0	76709	241757	86132	155625	64.37	20.90
25	त्रिपुरा	2700		1100		27		1000		9		4836					0.08
26	**उत्तर प्रदेश	324500	460966	2200	260	7200	2810	3200	1775	9	1	337109	465812	267224	198588	42.63	65.27
27	उत्तराखंड	10700	1110	300	3	2200	19	100	0	9	0	13309	1132	673	459	40.55	0.23
28	**पश्चिम बंगाल	213600	797346	5400	5505	700	540	2600	4376	9	0	222309	807767	377945	429822	53.21	66.55
29	अंडमान एवं निकोबार	300		800		27		18		9		1155					0.01
30	चंडीगढ़	400		100		1500		18		9		2027					0.00
31	दादर एवं नगर हेवली	100		100		27		18		9		255					0.00
32	दमन एवं द्वीव	100	100	27	13	27	0	18	0	60	0	233	113	53	60	53.10	0.03
33	*दिल्ली	17100	6350	1400	45	5900	222	300	1	9	0	24709	6618	3129	3489	52.72	0.66
34	लक्षद्वीप #	600	0	27	0	27		18	0	9	0	682	0	0	0	0	0.00
35	पुडूचेरी	600		700		27		18		9		1355					0.03
	योग	1458500	2756936	254000	393718	202800	169237	84000	160663	700	556	2000000	3481110	1822392	1658748	47.65	347.79

*वर्ष 2009–10 के स्पिल ओवर मामले मात्र

#योजना में भाग नहीं लेते

**इनमें वर्ष 2009–10 के स्पिल ओवर मामले शामिल हैं।

अनुलग्नक-VII

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वर्ष 2010–11 (31.12.2010 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मुस्लिम		इसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		छात्रवृत्तियों की सं0		छात्रवृत्तियों की सं0			स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
														पुरूष	महिला	महिला का %	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	आंध्र प्रदेश**	14740	40418	2480	1319	60	51	60	3	2	0	17342	41791	21016	20775	50	34.33
2	अरूणाचल प्रदेश	40		420		11		300		2		773	0				
3	असम*	17400	182	2080	6	40	0	100	1	2	0	19622	189	102	87	46	5.60
4	बिहार	28960	24667	120	9	40	13	40	5	2	0	29162	24694	12844	11850	48	15.95
5	छत्तीसगढ़	860		840		140		140		2		1982	0				0.55
6	गोवा	200		760		11		9		13		993	0				
7	गुजरात	9700	11589	600	489	100	41	40	7	13	4	10453	12130	6182	5948	49	4.35
8	हरियाणा	2580	758	60	3	2480	1803	20	0	2	0	5142	2564	1630	934	36	1.48
9	हिमाचल प्रदेश	260	227	20	4	160	83	160	4	2	0	602	318	160	158	50	0.20
10	जम्मू और कश्मीर	14340		40		440		240		2		15062	0				
11	झारखंड	7880	8964	2300	723	180	28	20	6	2	0	10382	9721	5261	4460	46	6.07
12	कर्नाटक**	13640	32291	2120	6825	40	21	840	37	2	0	16642	39174	13969	25205	64	11.24
13	केरल	16600	33364	12757	25744	11	0	9	5	2	3	29379	59116	22249	36867	62	9.50
14	मध्य प्रदेश	8120		360		320		440		2		9242	0				1.20
15	महाराष्ट्र**	21680	29603	2240	1055	460	202	12246	1345	49	3	36675	32208	15666	16542	51	15.02
16	मणिपुर	400		1560		11		9		2		1982	0				
17	मेघालय	200	64	3440	190	11	2	9	0	2	0	3662	256	118	138	54	0.19
18	मिजोरम	20	5	1640	1033	11	0	160	51	2	0	1833	1089	514	575	53	0.92
19	नागालैंड	80	10	3780	57	11	0	9	1	2	0	3882	68	32	36	53	0.05
20	उड़ीसा	1620		1900		40		20		2		3582	0				1.03
21	पंजाब	800	310	620	117	30640	12828	80	45	2	1	32142	13301	4025	9276	30	6.88
22	राजस्थान**	10100	8744	160	21	1740	716	20	0	2	0	12022	9481	5133	4348	46	3.92
23	सिक्किम	20	0	80	97	11	0	320	387	2	0	433	484	189	295	61	0.22
24	तमिलनाडु **	7320	16618	7980	13870	20	0	20	0	2	0	15342	30488	10805	19683	65	9.15
25	त्रिपुरा	540		220		11		200		2		973	0				0.07
26	उत्तर प्रदेश**	64900	69587	440	74	1440	1193	640	988	2	1	67422	71843	37064	34779	48	35.14
27	उत्तराखंड	2140	150	60	9	440	12	20	0	2	0	2662	171	83	88	49	0.08
28	पश्चिम बंगाल	42720	69043	1080	1119	140	135	520	814	2	0	44462	71111	49255	21856	69	21.00
29	अंडमान एवं निकोबार	60	6	160	3	11	0	9	0	2	0	242	9	2	7	78	0.0093
30	चंडीगढ़*	80		20		300	2	9		2		410	2		2	100	0.06
31	दादर एवं नगर हेवली	20		20		11		9		2		62	0				
32	दमन एवं द्वीव	20	17	11	5	11	0	9	0	13	0	64	22	12	10	45	0.02
33	दिल्ली	3420		280		1180		60		2		4942	0				
34	लक्षद्वीप	120		11		11		9		2		153	0				
35	पुडूचेरी	120		140		11		9		2		282	0				0.03
	योग	**291700**	**346617**	**50800**	**52772**	**40560**	**17130**	**16800**	**3699**	**140**	**12**	**400000**	**420230**	**206311**	**213919**	**51**	**184.24**

* वर्ष 2009–10 के स्पिल ओवर मामले मात्र

**इनमें वर्ष 2009–10 के स्पिल ओवर मामले शामिल हैं।

वर्ष 2010–11 (31.12.2010 तक) के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और समुदाय–वार लक्ष्य (केवल 20,000 नई छात्रवृत्तियां) और उपलब्धि (नए और नवीकरण दोनो)

अनुलग्नक-VIII

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मुस्लिम		इसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*				
1	आंध्र प्रदेश	737	1186	124	86	3	3	3	0	0	0	867	1275	680	595	46.67	328.87
2	अरूणाचल प्रदेश	2		21		0		15		0	0	38	0			0.00	0.00
3	असम	870	1520	104	75	2	3	5	9	0	0	981	1607	1148	459	28.56	446.65
4	बिहार	1448	2942	6	4	2	0	2	0	0	0	1458	2946	2504	442	15.00	889.57
5	छत्तीसगढ़	43	67	42	68	7	11	7	2	0	0	99	148	63	85	57.43	39.22
6	गोवा	10	16	38	63	0	0	0	0	1	0	49	79	26	53	67.09	10.29
7	गुजरात	485	822	30	48	5	6	2	1	1	0	523	877	574	303	34.55	186.48
8	हरियाणा	129	162	3	0	124	139	1	0	0	0	257	301	244	57	18.94	80.66
9	हिमाचल प्रदेश	13	25	1	0	8	9	8	0	0	0	30	34	18	16	47.06	8.50
10	जम्मू और कश्मीर	717	1238	2	2	22	200	12	3	0	0	753	1443	1145	298	20.65	361.52
11	झारखंड	394	830	115	72	9	14	1	0	0	0	519	916	753	163	17.79	254.17
12	कर्नाटक	682	1569	106	265	2	3	42	21	0	0	832	1858	670	1188	63.94	495.42
13	केरल	830	1829	639	1706	0	0	0	0	0	0	1469	3535	1302	2233	63.17	949.92
14	मध्य प्रदेश	406	592	18	22	16	26	22	5	0	0	462	645	275	370	57.36	163.77
15	महाराष्ट्र	1084	1996	112	194	23	40	617	154	4	4	1840	2388	1260	1128	47.24	527.22
16	मणिपुर	20	20	78	78	0	0	0	0	0	0	98	98	45	53	54.08	39.63
17	मेघालय	10	19	172	197	0	0	0	0	0	0	182	216	109	107	49.54	64.03
18	मिजोरम	1	2	82	149	0	0	8	6	0	0	91	157	86	71	45.22	40.77
19	नागालैंड	4	0	189	273	0	0	0	0	0	0	193	273	160	113	41.39	137.08
20	उड़ीसा	81	141	95	48	2	0	1	2	0	0	179	191	126	65	34.03	53.42
21	पंजाब	40	51	31	37	1540	1913	4	5	0	0	1615	2006	997	1009	50.30	553.76
22	राजस्थान	505	796	8	18	87	79	1	0	0	0	601	893	692	201	22.51	193.14
23	सिक्किम	1	0	4	8	0	0	16	31	0	0	21	39	19	20	51.28	17.64
24	तमिलनाडु	366	820	399	989	1	0	1	0	0	0	767	1809	712	1097	60.64	472.63
25	त्रिपुरा	27	65	11	4	0	0	10	2	0	0	48	71	50	21	29.58	20.00
26	उत्तर प्रदेश	3245	6249	22	37	72	100	32	9	0	1	3371	6396	5075	1321	20.65	1636.93
27	उत्तराखंड	107	102	3	2	22	22	1	1	0	0	133	127	96	31	24.41	35.49
28	पश्चिम बंगाल	2136	6451	54	52	7	21	26	45	0	0	2223	6569	5711	858	13.06	1686.47
29	अंडमान एवं निकोबार	3	7	8	2	0	0	0	0	0	0	11	9	6	3	33.33	3.07
30	चंडीगढ़	4		1		15		0		0	0	20	0			0.00	8.63
31	दादर एवं नगर हेवली	1		1		0		0		0	0	2	0			0.00	
32	दमन एवं द्वीव	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0.00	0.30
33	दिल्ली	171	2	14		59	1	3		0	0	247	3	2	1	33.33	0.74
34	लक्षद्वीप	6		0		0		0		0	0	6	0			0.00	
35	पुडूचेरी	6	13	7	9	0		0		0	0	13	22	13	9	40.91	5.27
	योग	**14585**	**29533**	**2540**	**4508**	**2028**	**2590**	**840**	**296**	**7**	**5**	**20000**	**36932**	**24562**	**12370**	**33.49**	**9722.03**

* इसमें नवीकरण के मामले शामिल हैं

अनुलग्नक-IX

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1.	पंजाब वक्फ बोर्ड
2.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
4.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड
5.	तमिलनाडु वक्फ बोर्ड
6.	पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड
7.	असम वक्फ बोर्ड
8.	उड़ीसा वक्फ बोर्ड
9.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड
10.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड
11.	यू0 पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड
12.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड
13.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड
14.	पुडूचेरी राज्य वक्फ बोर्ड
15.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड
16.	हरियाणा वक्फ बोर्ड
17.	मणिपुर वक्फ बोर्ड
18.	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
19.	दिल्ली वक्फ बोर्ड
20.	लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वक्फ बोर्ड
22.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड
23.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड
24.	जम्मू और कश्मीर निर्दिष्ट वक्फ और निर्दिष्ट वक्फ परिसंपत्ति बोर्ड
25.	मेघालय वक्फ बोर्ड
26.	यू0 पी0 शिया वक्फ बोर्ड
27.	आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड
28.	दादर एवं नगर हवेली वक्फ बोर्ड
29.	चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड
30.	गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड

अनुलग्नक-X

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

दिनांक 31.12.2010 तक स्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्यवार सारांश

क्रम	सं.राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि (₹ में)	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
1	अंडमान	3500000	3
2	आंध्र प्रदेश	103130000	63
3	असम	22000000	14
4	बिहार	52001800	34
5	दिल्ली	9105500	11
6	गोवा	5300000	3
7	गुजरात	84711800	58
8	हरियाणा	21110000	17
9	हिमाचल प्रदेश	100000	1
10	जम्मू और कश्मीर	21642000	14
11	झारखंड	9300000	6
12	कर्नाटक	117316800	78
13	केरल	90100000	47
14	मध्य प्रदेश	42478000	40
15	महाराष्ट्र	187283500	142
16	मणिपुर	15800000	12
17	मेघालय	1500000	1
18	नागालैंड	2850000	2
19	उड़ीसा	3762000	7
20	पंजाब	6167000	6
21	राजस्थान	27250000	18
22	तमिलनाडु	40378200	27
23	उत्तरांचल	7000000	6
24	उत्तर प्रदेश	394866020	361
25	पश्चिम बंगाल	38140000	27
	योग	**1306792620**	**998**

दिनांक 31.12.2010 तक मेधावी छात्राओं को राज्यवार स्वीकृत छात्रवृत्ति के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

अनुलग्नक–XI

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		योग	
		छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्र–वृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)	छात्र–वृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख रु0 में)
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.12	5	0.52
2	आंध्र प्रदेश	53	5.3	110	11	145	14.5	111	11.1	223	26.76	828	99.36	1072	128.64	2542	296.66
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	असम	2	0.2	81	8.1	131	13.1	115	11.5	128	15.36	419	50.28	346	41.52	1222	140.06
5	बिहार	2	0.2	178	17.8	221	22.1	342	34.2	342	41.04	680	81.6	1159	139.08	2924	336.02
6	छत्तीसगढ	8	0.8	9	0.9	12	1.2	2	0.2	2	0.24	0	0	2	0.24	35	3.58
7	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	0	0	3	0.36
8	दिल्ली	7	0.7	50	5	48	4.8	26	2.6	51	6.12	72	8.64	171	20.52	425	48.38
9	दादर एवं नगर हेवली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	दमन एवं द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36	6	0.72	9	1.08
11	गोवा	0	0	8	0.8	6	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0.36	17	1.76
12	गुजरात	0	0	505	50.5	77	0.77	391	39.1	147	17.64	623	74.76	709	85.08	2452	267.85
13	हरियाणा	8	0.8	5	0.5	0	0	4	0.4	2	0.24	7	0.84	7	0.84	33	3.62
14	हिमाचल प्रदेश	4	0.4	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	1	0.12	9	0.92
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	319	31.9	34	3.4	21	2.1	55	6.6	21	2.52	25	3	475	49.52
16	झारखंड	2	0.2	40	4	62	6.2	65	6.5	119	14.28	670	80.4	691	82.92	1649	194.50
17	कर्नाटक	31	3.1	137	13.7	838	83.8	122	12.2	127	15.24	355	42.6	913	109.56	2523	280.20
18	केरल	80	8	150	15	159	15.9	229	22.9	462	55.44	2884	346.08	2402	288.24	6366	751.56
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	17	1.7	70	7	64	6.4	134	13.4	123	14.76	371	44.52	217	26.04	996	113.82
21	महाराष्ट्र	53	5.3	147	14.7	406	40.6	165	16.5	336	40.32	1390	166.8	1570	188.4	4067	472.62
22	मणिपुर	11	1.1	11	1.1	12	1.2	1	0.1	2	0.24	19	2.28	14	1.68	70	7.70
23	मेघालय	0	0	0	0	2	0.2	2	0.2	1	0.12	3	0.36	1	0.12	9	1.00
24	मिजोरम	0	0	2	0.2	13	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.50
25	नागालैंड	8	0.8	0	0	0	0	11	1.1	0	0	0	0	0	0.00	19	1.90
26	उड़ीसा	12	1.2	30	3	13	1.3	12	1.2	24	2.88	49	5.88	41	4.92	181	20.38
27	पुडूचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	6	0.72	7	0.84
28	पंजाब	4	0.4	14	1.4	15	1.5	0	0	13	1.56	8	0.96	83	9.96	137	15.78
29	राजस्थान	2	0.2	41	4.1	76	7.6	135	13.5	162	19.44	408	48.96	470	56.40	1294	150.20
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31	तमिलनाडु	34	3.4	120	12	91	9.1	21	2.1	122	14.64	990	118.8	1188	142.56	2566	302.60
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	3	0.3	3	0.3	2	0.24	1	0.12	0	0	9	0.96
33	उत्तर प्रदेश	174	17.4	452	45.2	727	72.7	1598	159.8	1016	121.92	839	100.68	2518	302.16	7324	819.86
34	उत्तराखंड	6	0.6	11	1.1	14	1.4	7	0.7	6	0.72	35	4.2	38	4.56	117	13.28
35	पश्चिम बंगाल	116	11.6	291	29.1	398	39.8	325	32.5	545	65.4	1386	166.32	1416	169.92	4477	514.64
	योग	634	63.4	2781	278.1	3571	357.1	3846	384.6	4011	481.32	12064	1447.68	15070	1808.40	41977	4820.60

CONTENTS

CHAPTER NOs	CHAPTER TITLES	PAGE NOs
1	Introduction	1-4
2	Highlights	5-7
3	Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities	8-12
4	Sachar Committee Report and follow-up action	13-18
5	Identification of Minority Concentration Districts (MCDs)	19-20
6	Scheme of Multi-Sectoral Development Programme (MSDP)	21-24
7	Pre-Matric Scholarship Scheme	25
8	Post-Matric Scholarship Scheme	26
9	Merit-cum-means based Scholarship Scheme	27-28
10	Scheme of Free Coaching & Allied Assistance	29-30
11	Research /Studies, monitoring and evaluation of development schemes including publicity	31-32
12	Implementation of Minorities Welfare Programmes/Schemes in North-Eastern States and Sikkim	33-34
13	Grant-in-Aid Scheme to State Channelizing Agencies of NMDFC	35
14	New Schemes of 2009-10	36-37
15	Commissioner for Linguistic Minorities	38-39
16	National Commission for Minorities	40-42
17	Waqf Administration and Central Waqf Council	43-45
18	The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955	46-47
19	National Minorities Development and Finance Corporation	48-49
20	Maulana Azad Education Foundation	50-51
21	Gender Specific Issues and Gender Budgeting	52-53
22	Right to Information Act, 2005	54
23	Policy decisions and activities undertaken for the benefit of persons with disabilities	55
24	Comptroller and Auditor General Audit Paras	56-57
25	Results-Framework Documents, Citizen's/Clients Charters and Grievances Redressal Mechanism	58-59
	ANNEXURES	60-74

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities.

1.2 With effect from 20th January, 2011, vide Cabinet Secretariat's OM No. 1/34/1/2011-Cab. dated 19th January, 2011, Shri Salman Khurshid assumed the charge of the office of the Minister of Water Resources with additional charge of the office of the Minister of Minority Affairs. On this same date, Shri Vincent H. Pala also assumed the charge of the office of the Minister of State in the Ministry of Minority Affairs and continued to hold the charge of the office of the Minister of State in the Ministry of Water Resources. The Secretary of the Ministry is assisted by three Joint Secretaries and a Joint Secretary & Financial Adviser (additional charge). The Ministry has a sanctioned strength of 93 Officers/Staff. A statement indicating the sanctioned strength and men in position in the Ministry is at **Annex-I.** The Organizational Chart of the Ministry is given at **Annex-II.**

ALLOCATION OF BUSINESS

1.3 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:-

(i) Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

(ii) All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

(iii) Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

(iv) Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

(v) Matters relating to National Commission for Minorities Act.

(vi) Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

(vii) Representation of the Anglo-Indian community.

(viii) Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(ix) Questions relating to the minority communities in neighboring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(x). Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

(xi) Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

(xii) The Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Waqf Council.

(xiii) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

(xiv) Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

(xv) Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

(xvi) Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

(xvii) National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

(xviii) Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

(xix) Any other issue pertaining to the minority communities.

CONSTITUTIONAL, STATUTORY AND AUTONOMOUS BODIES

1.4 The Ministry has the following constitutional/ statutory /autonomous bodies etc:-

i) Commissioner for Linguistic Minorities (CLM).

ii) National Commission for Minorities (NCM).

iii) Central Waqf Council (CWC).

iv) National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC).

v) Maulana Azad Education Foundation (MAEF).

vi) Durgah Khawaja Saheb, Ajmer

ADMINISTRATION OF ACTS

1.5 The Ministry is responsible for the administration and implementation of the following Acts:-

i) Durgah Khawaja Saheb Act, 1955.

ii) National Commission for Minorities Act, 1992.

iii) Waqf Act, 1995.

Shri Salman Khurshid, Minority Affairs Minister and Shri Vincent H. Pala, Minister of State, Minority Affairs holding discussions with Shri Vivek Mehrotra, Secretary, Ministry of Minority Affairs on 23rd January, 2011.

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.6 The Ministry issued all important orders/notifications bilingually. The Ministry observed the Hindi fortnight from the 1st to 15th September, 2010. Several competitions were organized during the fortnight and the prizes were also distributed.

VIGILANCE UNIT

1.7 Shri Ameising Luikham, Joint Secretary has been appointed as part-time Chief Vigilance Officer (CVO). He is assisted by a Deputy Secretary and an Under Secretary, who discharge these functions in addition to their other duties. The Ministry observed the Vigilance Awareness Week from 25th October to 1st November, 2010.

NATIONAL INTEGRATION WEEK

1.8 The Ministry observed the Quami Ekta Week (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2010 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and integration.

E-GOVERNANCE

1.9 The web-site of the Ministry is on URL www.minorityaffairs.gov.in. Basic information about the activities of the Ministry and its schemes/programmes, the Prime Minister's new 15-Point Programme for the Welfare of Minorities, report of the High Level Committee on the Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India and the follow-up action taken thereon, report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, report of the expert group on diversity index, report of the expert group on Equal Opportunity Commission, report of the inter-ministerial task force on implications of the geographical distribution of minorities in India, linked Organizations, tender notices, employment advertisements, press releases, photographs of the work done under Multi Sectoral Development Plan, progress reports and statistics etc. are available on the web-site. Names of the students who have been given scholarships under various schemes are also available on the website. In order to help the students, in addition to the details of the scholarship schemes, various Frequently Asked Questions (FAQs) have also been put on the website. The contents of the website are updated continuously.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

1.10 Under this Act, the Ministry of Minority Affairs has six Officers designated as Central Public Information Officers (CPIO) with the three Joint Secretaries designated as Appellate Authorities.

BUDGET

1.11 An outlay of ₹ 7000 crore was allocated to this Ministry for the various schemes/programmes in the Eleventh Five Year Plan (2007-12). Plan budget provision of ₹ 2600 crore was made in the Budget Estimates 2010-11, which was reduced in the Revised Estimates for 2010-11 to ₹ 2500 crore. A non-plan provision of ₹ 15.37 crore was made in the Budget Estimates for the year 2010-11, which was subsequently reduced to ₹ 14.50 crore in the Revised Estimates 2010-11. A statement showing the plan scheme/programme-wise Eleventh Plan outlay, Budget Estimates, Revised Estimates and the actual expenditure during the year 2010-11 (up to 31st December, 2010) is at **Annex-III.**

FILE TRACKING SYSTEM

1.12 In the Ministry, a File Tracking System has been functioning since November 2010. The software for this system was developed by NIC. This software allows the monitoring of the movement of files throughout the Ministry, captures details of all receipts and disposals of all correspondence received in the Ministry and action taken on these correspondences.

CHAPTER 2

HIGHLIGHTS

2.1 The Ministry completed five years of its existence on 29.1.2011.

2.2 The following new schemes were launched/approved during the financial year 2009-2010.

i) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students ;

ii) Computerization of Records of State Waqf Boards and Cental Wakf Council; and

iii) Scheme for Leadership Development of Minority Women .

2.3 A sub-scheme of utilisation of National Level Monitors for monitoring the schemes/programmes of this Ministry was launched on 4th December, 2009 under the plan scheme of Research/Studies, Monitoring & Evaluation of development schemes for minorities.

2.4 Out of the Annual Plan allocation of ₹ 2600 crore for the year 2010-2011 (RE ₹ 2500 crore), ₹ 1470 crore (58.82%) was spent upto 31st December, 2010.

2.5 Since its inception in January 2006, more than 67.43 lakh scholarships have been disbursed to minority students under the pre-matric, post-matric and merit-cum-means scholarship programmes of the Ministry till 31st December 2010. The scholarships disbursed to students of minority communities under these three scholarship programmes for the years 2008-09, 2009-10 and 2010-11 (up to 31st December 2010) are shown in the following table.

Statement Showing Distribution of Scholarships among Students of minority communities during 2008-09, 2009-10 and 2010-11 (Up to 31.12.2010)

(Number of students in lakh)

Scheme	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11 (up to 31.12.2010)**
Pre-matric	5.13	17.29	34.05
Post- matric	1.70	3.64	4.20
Merit-cum-means	0.27	0.36	0.37
Total	7.10	21.29	38.62

To improve awareness, Frequently Asked Questions (FAQs) pertaining to each scholarship/ coaching scheme have been uploaded on the website of the Ministry. Similarly, to improve transparency, the list of scholarships awarded in the States / Union Territories are being uploaded on their websites. Hyperlinks have been provided to the websites of the States / Union Territories on the Ministry's website. The information on the Ministry's website is regularly updated.

Under the Multi Sectoral Development Programme, out of 90 MCDs, plans of 89 districts have been considered, of which 41 districts plans have been approved in full and 48 plans in part. An amount of ₹ 1829.21 crore has been released to the States / Union Territories since 2008-09 up to 31st December, 2010.

The States/UTs under the programme are required to submit photographs of the ongoing and completed works. These photographs are uploaded on the website of the Ministry.

2.6 In compliance with the recommendations of the High Level Committee on Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India and the Joint Parliamentary Committee relating to amendment to the Waqf Act, 1995, the Wakf Amendment Bill, 2010 was introduced in the Lok Sabha. It was passed by the Lok Sabha on 7th May 2010 and the same was referred to the Rajya Sabha for approval. The said Bill, now stands referred to a Select Committee of the Rajya Sabha.

2.7 The corpus of Maulana Azad Education Fund (MAEF) has been enhanced from ₹ 100 crore in the year 2006-07 to ₹ 550 crore in the year 2010-11.

2.8 The authorized share capital of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) has been increased to ₹ 1500 crore out of which the equity share of the Government of India is ₹ 975 crore (65%) in 2010-11. The Government of India has contributed ₹ 760.36 crore (77.36%) to the equity share capital of NMDFC as on 31st December 2010. The contribution of the State Governments and others to the equity share capital of NMDFC as on 31st December 2010 stood at ₹ 163.21crore.

2.9 The National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM) headed by Justice Shri Ranganath Mishra was set up by the Government of India in October, 2004 to suggest criteria for identification of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities and to recommend measures for their welfare, including reservation in education and government employment. The Report of the NCRLM for the year 2009 was laid in Parliament on 18th December 2010.

2.10 Shri Nandlal Jotwani, Wing Commander (Rtd.) has joined as Commissioner for Linguistic Minorities on 10th December, 2010. The 45th and 46th Annual Reports of the Commissioner of Linguistic Minorities were laid in both the Houses of Parliament during the Winter Session of Parliament, 2010.

2.11 The Ministry with active participation of Commissioner for Linguistic Minorities, has started organizing national level conference of nodal officers from State Governments/UT Administrations, NGOs etc. to sensitize the States/UTs towards the safeguards of linguistic minorities in the country.

Shri Salman Khurshid, Minister of State, Minority Affairs, at a meet with the Press on 15th May, 2010.

CHAPTER 3

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

3.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

3.2 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

3.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis). In States, where one of the minority communities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States /UT are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

3.4 The progress of implementation of the programme is monitored by each of the Ministries/Departments concerned on a monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs reviews the overall progress on a quarterly basis with the Nodal officers of other Ministries. The progress is reviewed once in six months by the Committee of Secretaries and thereafter a report is submitted to the Union Cabinet. The Cabinet has already reviewed the progress of implementation eight times since the new programme was launched in June 2006. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are required to constitute State Level Committees to monitor the progress. Similar mechanism has also been envisaged at district level.

3.5 The list of schemes included in the New 15 Point Programme, which are amenable to earmarking, is as under:-

- Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres {Ministry of Women & Child Development}.
- Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme (KGBV) {Ministry of Human Resources Development}
- Swarna-jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) {Ministry of Rural Development}
- Swarnajayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) {Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}
- Industrial Training Institutes (ITIs) {Ministry of Labour & Employment}
- Bank credit under priority sector lending {Department of Financial Services}
- Indira Awas Yojana (IAY) {Ministry of Rural Development}

Achievements under schemes included in the Prime Minister's New 15 Point Programme considered amenable to earmarking during 2010-11 (for the period up to 31st December 2010) are given below:-

Sl.No.	**Name of the scheme and Ministry/Dept. concerned**	**Achievement (Physical)**
1.	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) D/o School Education & Literacy.	
(i)	No. of primary schools constructed.	3300
(ii)	No. of upper primary schools constructed.	811
(iii)	No. of additional classrooms constructed.	25604
(iv)	No. of new primary schools opened.	11501
(v)	No. of new upper primary schools opened.	1886
(vi)	No. of teachers sanctioned.	30759
(vii)	No. of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) sanctioned in educationally backward blocks having a substantial minority population.	All KGBVs sanctioned for minority concentration districts have been operationalised. No target is fixed for 2010-11.
2.	Swarojgaris assisted under Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY). M/o Rural Development	111785

3.	Below Poverty Line (BPL) families assisted under Indira Awas Yojana (IAY). M/o Rural Development.	363122
4.	Beneficiaries assisted under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY). M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	
(i)	Individual enterprises Urban Self-Employment Programme (USEP).	4300
(ii)	Skill Training for Employment Promotion amongst UrbanPoor (STEP-UP)**.**	9672
5.	Operationalisation of Anganwadi Centres under ICDS. M/o Women & Child Development**.**	3406

Sl. No	**Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned**	**Achievement (Financial) (₹ in crore)**
1.	Indira Awas Yojana (IAY): M/o Rural Development**.**	926.08
2.	Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	5.83
3.	Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) into Centres of Excellence. Ministry of Labour & Employment.	121.35
4.	Priority Sector Lending. D/o Financial Services.	128382.43

The following three new schemes have been included in the Programme in 2009-10:-

(a) National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) {Department of Drinking Water Supply};

(b) Urban Infrastructure and Governance (UIG); and

(c) Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) {Ministry of Urban Development}.

The achievements in 2010-11 under schemes included in the 15 Point Programme where the flow of funds/benefits to development projects in minority concentration areas is monitored, are given below:

Sl. No	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	Achievement (Financial) Project cost sanctioned and number of cities/towns covered having a substantial minority population. Percentage of total sanctions in brackets.
1.	Basic Services for Urban Poor (BSUP): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	₹ 5588.05 crore for 17 towns.
2.	Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP), M/o HUPA.	₹ 1817.38 crore for 132 cities/towns.
3.	Urban Infrastructure & Governance (UIG): M/o Urban Development (UD).	₹ 8623.66 crore in 17 towns
4.	Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT): M/o Urban Development (UD).	₹ 2620.31 crore for 108 towns/cities.
5.	National Rural Drinking Water Programme (NRDWP): D/o Drinking Water Supply (DWS).	₹ 2618.84 crore of the total sanctions covering 6706 habitations out of a total target of 20804 habitations in districts having a substantial minority population.

3.6 The benefits that flow to towns / cities having a substantial minority population, under Integrated and Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services to Urban Poor (BSUP) under National Urban Renewal Mission (JNNURM) {Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation}, are monitored under the Prime Minister's new 15 Point Programme.

The benefits that flow to blocks/ districts, towns/ cities having a substantial minority population under these new schemes included in the programme are monitored under the Prime Minister's new 15 Point Programme

3.7 The monitoring mechanism for implementation of Prime Minister's New 15 Point Programme has been strengthened. In 2009, the Government approved inclusion of two Members of Parliament from Lok Sabha and one Member of Parliament from Rajya Sabha, two Members of the Legislative Assembly to be nominated by the State Government in the State Level Committee for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. However, one of the Members included in the State Level Committee from Lok Sabha and Legislative Assembly should have been elected from any of the minority concentration districts in those states which have minority concentration districts (MCDs). In respect of District Level Committee for implementation of the Prime Minister's new 15 Point

Programme, besides one Member of Parliament from Rajya Sabha representing the State to be nominated by the Central Government, all Members of Parliament and all Members of Legislative Assembly representing the district would be included in the District Committee. 24 States/UTs have constituted both the Committees as on 31st December 2010.

CHAPTER 4

SACHAR COMMITTEE REPORT & FOLLOW UP ACTION

The Government took decisions on the recommendations of the Prime Minister's High Level Committee on Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India, pertaining to various Ministries/Departments. The status of implementation of the decisions taken by Government on the follow-up action on the recommendations of the Sachar Committee is as under:-

4.1 Department of Financial Services :

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. In 2007-08, 523 branches were opened in such districts. In 2008-09, 537 new branches were opened. In 2009-10, 743 new branches have been opened. During 2010-11, 308 branches have been opened up to 30th September 2010. A total of 2111 branches have been opened since 2007-08.

(ii) RBI revised its Master Circular on 5th July, 2007 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. Since 2007-08 up to December 2010, ₹ 128382.43 crore, which is 13% of total PSL, were provided to minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications for minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 4,67,082 accounts have been opened for minority women with ₹ 3373 crore as micro-credit in 2010-11.

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/districts/towns with substantial minority population. In 2010-11, 1905 awareness campaigns were organized in such areas.

(vi) Lead banks have organized 313 entrepreneurial development programmes in blocks/districts/towns with substantial minority population.

4.2 Ministry of Human Resource Development :

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy (53.67%: Census 2001). Under the scheme, all KGBVs sanctioned for minority concentration districts have been operationalised.

b) Universalization of access to quality education at secondary stage called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been approved. The scheme envisages preference to minority concentration areas in opening of Government schools. State Governments have been advised to accord priority to setting up new / upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme.

c) One model college each would be set up in 374 educationally backward districts (EBDs) of the country. Of 374 EBDs, 67 are in identified minority concentration districts.

d) Under the Sub-mission on polytechnics, financial assistance is provided to the States/UTs for setting up of polytechnics in un-served and under-served districts. 57 districts out of 90 minority concentration districts are eligible for consideration under the scheme. So far, 35 minority concentration districts have been covered for setting up polytechnics.

e) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. UGC has sanctioned 233 Women's hostels during 11th Plan in 19 Minority Concentration Districts.

f) The Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) has been launched with an allocation of ₹ 325 crore for the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers, and introduction of vocational subjects, etc. The other scheme, which provides financial assistance for Infrastructure Development of Private aided/unaided Minority Institutes (IDMI), has been launched with allocation of ₹ 125 crore for the Eleventh Five-Year Plan.

g) For subsequent access to higher education, the certificates issued by the State Madarsa Boards, whose certificates and qualifications have been granted equivalence by the corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/and by any other school examination board.

h) Academies for professional development of Urdu medium teachers have been set up at three Central Universities namely, Aligarh Muslim University, Jamia Milia Islamia University and Maulana Azad National Urdu University.

i) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urdu teachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers.

j) The States/UTs have been advised to undertake community based mobilization campaigns in areas having a substantial population of Muslims. In 2009-10, 19 districts having a substantial minority population were covered under Saakshar Bharat.

k) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are envisaged in the revised schemes. At present, JSSs are imparting vocational training in 33 out of the 88 Muslim dominated districts in the country.

l) The mid-day meal scheme has been extended to all areas in the country from the year 2008-09 and also covers upper primary schools. Blocks with a concentration of Muslim population are being covered under this scheme.

m) All State Governments/UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

n) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005.

o) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes. Besides, 1280 Centres of Equal Opportunity (CEOs) have been established in 51 universities during 2009-10 and 1345 and 1367 such centres are proposed to be established during 2010-11 and 2011-12 respectively.

4.3 Ministry of Minority Affairs :

(a) An expert group, constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008. This has been processed as per approved modalities, along with the report of the expert group on diversity index.

(b) A Bill to amend Waqf Act, 1995 was introduced in the Lok Sabha on 27th April, 2010 and passed on 7th May, 2010. It was then referred to the Rajya Sabha. The Bill has now been referred to a 13 Member Select Committee of the Rajya Sabha.

(c) The Government has accorded 'in-principle' approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). A consultancy firm has been appointed to work out the details for restructuring of NMDFC. The firm has submitted its draft reports which have been examined in the Ministry. The final report of the consultant is awaited.

(d) An Inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, has submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority in the implementation of their schemes in these 338 towns.

(e) Three scholarship schemes for minority communities namely, pre-matric scholarship from class-I to X, post-matric scholarship from class XI to PhD and merit-cum-means scholarship for technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels have been launched. Under these schemes, ₹ 610.48 crore have been sanctioned for award of scholarships to 38.62 lakh students belonging to minority communities up to 31st December 2010. Further, a fellowship scheme called Maulana Azad National Fellowship scheme for M.Phil

and Ph.D. scholars has been launched and 756 fellowships have been sanctioned for implementation by University Grants Commission (UGC) and 757 fellowships have been awarded to fellows/students from minority communities during 2009-10.

(f) The corpus of Maulana Azad Education Foundation (MAEF), which stood at ₹ 100 crore, was doubled to ₹ 200 crore in December, 2006. The corpus was increased by ₹ 50 crore in 2007-08 and by ₹ 60 crore in 2008-09. It was further increased by ₹ 115 crore during 2009-10 and ₹ 125 crore during 2010-11. Now corpus stands at ₹ 550.00 crore. Under the schemes of MAEF, since 2007-08, 280 NGOs have been given grants-in-aid for infrastructure development of educational institutions and 31145 scholarships were awarded to meritorious girls in classes-XI and XII.

(g) A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07. 4725 students/candidates belonging to minority communities have benefited under this scheme up to 31st December 2010.

(h) A Multi- sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Plans of 89 minority concentration districts in Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur, Bihar, Meghalaya, Jharkhand, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Uttrakhand, Mizoram, Jammu & Kashmir, Delhi, Madhya Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh have been approved and ₹ 1829.21crore released to State Governments and Union Territory Administrations up to 31st December 2010 since launching of the programme.

4.4 Ministry of Statistics and Programme Implementation :

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

4.5 Planning Commission :

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyse data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, has been set up in the Planning Commission.

(b) A comprehensive institutional structure for fostering skill development has been set up in Planning Commission to address the skill development needs of the country including minorities. It includes National Council on Skill Development, National Skill Development Coordination Board and a National Skill Development Corporation.

4.6 Department of Personnel and Training:

(a) A training module has been developed by the Indian Institute of Public Administration, for sensitization of government officials. The module has been sent to the Central/ State Training Institutes for implementation and it has been included in their training calendar.

Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) has prepared a module for sensitization of organized civil services and it has been incorporated in their training programme.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel & Training for posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas.

4.7 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report and submitted its report.

(b) Revised guidelines on Communal Harmony have been issued. The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005 has been introduced in the Rajya Sabha.

4.8 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

For facilitating the flow of funds under the Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) to towns and cities, having a substantial concentration of minority population, necessary steps have been taken to ensure that Detailed Project Reports (DPRs) for such towns and cities include adequate provisions for minorities.

(a) Under UIDSSMT, ₹ 2620.31 crore has been sanctioned for 108 towns having a substantial minority population.

(b) Under IHSDP, projects costing ₹ 1817.38 crore are for 131 towns having a substantial minority population.

(c) Governments of Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Lakshadweep, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act.

4.9 Ministry of Labour and Employment :

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter- alia, includes home based workers.

4.10 Ministry of Culture :

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State Waqf Boards to review the list of waqfs which are under the Archeological Survey of India.

4.11 Ministry of Health and Family Welfare :

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

4.12 Ministry of Panchayati Raj:

State Governments have been advised by Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Urban Development to improve representation of minorities in local bodies.

4.13 Ministry of Information & Broadcasting :

The Ministry of Information & Broadcasting launched a multi-media campaign in 2008-09. In addition to this, Ministry of Minority Affairs also carried out a multi-media campaign in 2010-11.

CHAPTER 5

IDENTIFICATION OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (MCDs)

5.1 In 1987, a list of 41 minority concentration districts was drawn up based on a single criterion of minority population of 20 percent or more in a district as per 1971 Census for enabling focused attention of government programmes and schemes on these districts.

5.2 In order to ensure that the benefits of schemes and programmes of government reach the relatively disadvantaged segments of society, it was decided to identify districts on the basis of minority population of Census 2001 and backwardness parameters. A fresh exercise was, therefore, carried out based on population figures and the following backwardness parameters of 2001 Census:

Religion-specific socio-economic indicators at the district level:

(i) literacy rate;

(ii) female literacy rate;

(iii) work participation rate; and

(iv) female work participation rate.

Basic amenities indicators at the district level :

(i) percentage of households with pucca walls;

(ii) percentage of households with safe drinking water;

(iii) percentage of households with electricity; and

(iv) Percentage of households with water closet latrines.

5.3 Although female literacy and work participation are included in the overall literacy and work participation rates, these are important enough to be considered separately as they constitute independent indicators of the level of development, especially gender equity.

5.4 The process of identification of minority concentration districts has been carried out as follows:-

(i) (a) Districts with a 'substantial minority population' of at least 25% of the total population were identified in 29 States/UTs.

(b) Districts having a large absolute minority population exceeding 5 lakh and the percentage of minority population exceeding 20% but less than 25% were identified in 29 States/UTs.

(c) In the six States/UTs, where a minority community is in majority, districts having 15% of minority population, other than that of the minority community in a majority in that State/UT were identified.

(ii) Thereafter, the position of these districts in terms of "backwardness" was evaluated against the two sets of socio-economic and basic amenities indicators. 90 Minority Concentration Districts(MCDs) having a substantial minority population, which are relatively backward and falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities indicators, have been identified in 2007 based on population data and the backwardness parameters of 2001 Census. Out of the 90 minority concentration districts, 53 districts have been classified in category 'A'. Category 'A' districts fall behind in both socio-economic and basic amenities parameters. The remaining 37 districts fall under category 'B' of which 20 districts fall behind in socio-economic parameters and 17 districts in basic amenities parameters These have been classified as sub-category 'B1' and 'B2' respectively. The lists of these districts are in **Annex IV-A, IV-B and IV-C.**

5.5 The Government while approving the identification of 90 MCDs directed for implementation of a special area development programme.

5.6 A baseline survey was assigned to the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficit' of these districts. The survey has been carried out by the research institutes affiliated to ICSSR, New Delhi.

CHAPTER 6

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MsDP)

6.1 The programme aims at improving the socio-economic and basic amenities parameters for improving the quality of life of the people and reducing imbalances in the Minority Concentration Districts (MCDs) during the Eleventh Five Year Plan period. Identified 'development deficits' would be addressed through a district specific plan for provision of better infrastructure for school and secondary education, sanitation, pucca housing, drinking water and electricity supply, besides beneficiary oriented schemes for creating income generating activities. Absolutely critical infrastructure linkages like connecting roads, basic health infrastructure, ICDS centers, skill development and marketing facilities required for improving living conditions and income generating activities and catalyzing the growth process would also be eligible for inclusion in the plan. The focus of this programme will be on rural and semi-rural areas of the identified 90 minority concentration districts.

6.2 The programme will be implemented by the line departments/agencies assigned projects by the Department in the State/UT dealing with minority affairs/welfare. Panchayati Raj Institutions/urban local bodies would be involved in the implementation of the MsD Plan wherever the mechanism is established. The State may, however, decide to execute the project through any qualified, reputed, experienced agency, including renowned and widely accepted NGOs, justification for which should be mentioned in the proposal.

6.3 Creation of new posts under this programme is strictly prohibited. It would be the responsibility of the State Government/UT administration to ensure that staff required for operationalisation of assets proposed to be created under this programme is already available or will be provided by them.

6.4 There would be no change in guidelines of any existing Central or Centrally Sponsored Scheme under implementation in the said district for which this scheme will provide additional funds. As far as possible, the focus of the programme will be on providing appropriate social and economic infrastructure rather than targeting individual beneficiaries. In case schemes for individual benefits are taken up under the programme, there will be no divergence from existing norms for selection of beneficiaries from the list of BPL families in the district, so that benefits from the additional funds flow to all BPL families and not selectively to families of minority communities. The multi-sectoral district development plan of a district have to be prepared in such a manner that these districts are saturated with schemes included in the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities within Eleventh Five Year Plan period.

6.5 A baseline survey was assigned to the Indian Institute of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficits' of these districts. The survey has been

carried out by the research institutes affiliated with the ICSSR. The multi-sectoral district development plan of a district have to be prepared in such a manner that these districts are saturated with schemes included in the Prime Minister's new 15 Point Programme for the Welfare of Minorities within the Eleventh Five Year Plan period.

6.6 Financial assistance will be sanctioned to the State Government/UT administration concerned on 100% grant basis in suitable installments linked with the satisfactory progress made as per approved Multi-sectoral Development Plan. Funds under the programme would be released to the States/UTs only against the approved district development plans. Once the proposal is approved for support by the Ministry of Minority Affairs, the first installment is released. The release is subject to a commitment from the State Government/UT administration that they will do the following:-

(a) Constitute the State Level Committee for implementation of the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, if not already done.

(b) Constitute the District Level Committee for implementation of the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, if not already done.

(c) Notify a department in the State/UT to deal with clear responsibilities for schemes of minority welfare.

(d) Set up a cell in that department exclusively to look after the implementation, monitoring, reporting and evaluation of this programme. This cell will be IT enabled.

(e) Ensure that the funds provided for the MCDs are additional resources for these districts and do not substitute State Government funds already flowing to the districts. To prevent diversion of funds from MCDs, the flow of funds to the district concerned in the previous year will be taken as a benchmark.

(f) Agree to provide the State share in such central schemes/ programmes, which are being topped up, to saturate the requirement in the district.

(g) Agree to operate and maintain the physical assets created under this programme.

Monitoring mechanism

6.7 The State Level Committee and the District Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme for the Welfare of Minorities under the chairmanship of the Chief Secretary and the Deputy Commissioner/Collector respectively shall serve as Committees for this programme. The District Committee shall prepare the development plan for MCD. Both the District and State Level Committees shall ensure that there is no duplication of schemes, funds are not diverted, the level of funding is not less than that of the previous year, and funds under this programme are adequate for monitoring and implementation of the plan.

6.8 A 'MsDP Empowered Committee' in the Ministry of Minority Affairs appraises, recommends and approves the projects in the MsD Plans. The Empowered Committee also serves as the Oversight Committee at the Centre and monitors the implementation of the programme. The State Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities headed by the Chief Secretary also serves as the Oversight Committee at the State/UT to monitor the implementation of the programme.

Status of Implementation

6.9 The Multi-sectoral Development Programme was launched in 2008-09. Out of 90 MCDs, plans of 89 districts have been considered, of which 41 districts plans have been approved in full and 48 plans in part. One district plan for Kokrajhar in Assam is awaited as the matter is still under litigation. An amount of ₹ 1829.21 crore upto 31st December, 2010 was released since 2008-09. During the year 2010-11, ₹ 585.34 crore have been released to States/UTs up to 31st December, 2010.

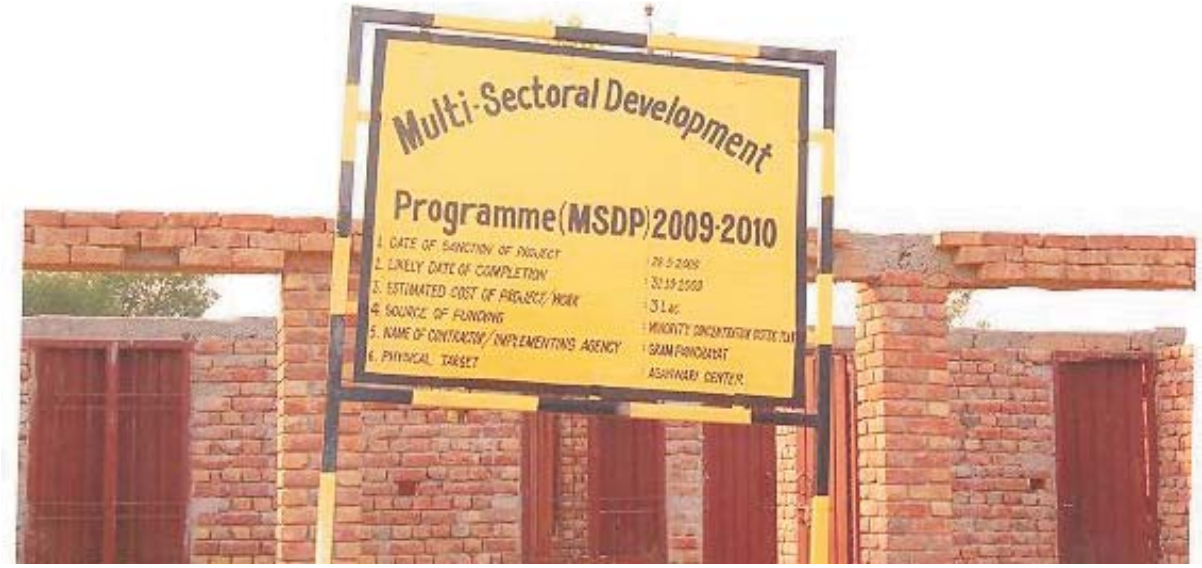

Construction of an Anganwadi Centre in Sirsa District (Haryana) in progress under MsDP Programme

The details of budgetary provisions, funds released and expenditure reported by the States/UTs for implementation of MsDP in MCDs since October, 2008 when funds were first released are given in the table below:-

(₹ in crore)

Year	BE	RE	Actual release by Ministry	Expenditure reported by State/UT	% of expenditure
2008-09	540	280	270.85	268.25	99.04
2009-10	990	990	972.43	484.99	49.87
2010-11 (upto 31st December, 2010).	1400	-	585.34	2.63	0.44
Total			1828.62	755.87	41.34

The details of funds approved and released since inception (upto 31st December, 2010) are at **Annex-V.**

The States/UTs under the programme are required to submit photographs of the ongoing and completed works from earlier releases while making request for release of subsequent instalment of funds to the Ministry. Photographs of completed and ongoing projects for MCDs in respect of Assam, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Haryana, U.P., Manipur, Meghalaya and Orissa States have been received and the same are uploaded on the website of the Ministry.

Public Health Centre constructed in Dubrajpur, Birbhum District (West Bengal) is in progress under MsDP Programme

CHAPTER 7

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

7.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. This scheme was launched on 1st April, 2008 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) on a 75:25 fund sharing ration between the Centre and States and is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations. Students with not less than 50% marks in the previous final examination, whose parents'/guardian's annual income does not exceed ₹ 1.00 lakh, are eligible for award of the pre-matric scholarship.

7.2 An outlay of ₹ 1400 crores has been provided in the XI Five Year Plan to award 25 lakh scholarships during the plan period (2007-12). 30% of scholarships have been earmarked for girl students. An amount of ₹ 343.34 crore was released and 34.05 lakh scholarships were awarded during the year 2010-11 up to 31st December, 2010. Of this 47.47% scholarships were for girl students.

7.3 The achievement of 34.05 lakh scholarships up to 31st December, 2010 is significantly higher than the annual achievement of 17.29 lakh scholarships during 2009-10. The state-wise, community-wise achievement both physical and financial is at **Annex VI.**

7.4 It has been a constant endeavour of the Ministry to improve transparency in the scholarship schemes- Pre-matric, Post-matric and Merit-cum-Means based Scholarships. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) pertaining to each scholarship scheme has been uploaded on the website of the Ministry. Similarly, the list of scholarships awarded in the States/UTs are being uploaded on their websites. Hyperlinks have been provided to the websites of the States/Union Territories. on the Ministry's website i.e. www.minorityaffairs.gov.in. The information on the Ministry's website is regularly updated. To assist the students, a helpline (Tel No. 23463282) has been established which remains functional during the office hours.

CHAPTER 8

POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

8.1 The Scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007 as a Central Sponsored Scheme (CSS) with 100% central funding and is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations. Scholarship is awarded for studies in India in a Government higher secondary school/college including residential Government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned. Students with not less than 50% in the previous year's final examination, whose parent's/guardian's annual income does not exceed ₹ 2 lakh are eligible for award of the scholarship. In case sufficient numbers of girl students are not available, it will be given to eligible boy students.

8.2 An outlay of ₹ 1150 crore has been provided for the 11th Five Yar Plan to award 15 lakh scholarships during the plan period (2007-12). 30% of scholarships have been earmarked for girl students. An amount of ₹ 184.24 crore was released to award 4.20 lakh scholarships during the year 2010-11 (upto 31.12.2010) of this, 51% were for girl students.

8.3 The achievement of 4.20 lakh scholarships upto December 2010 is significantly higher than the annual achievement of 3.64 lakh scholarships during the year 2009-10.

8.4 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial is at **Annex VII.**

CHAPTER 9

MERIT-CUM- MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

9.1 The merit-cum-means scholarship scheme is a centrally sponsored scheme launched in 2007. It is being implemented through State Governments/Union Territory Administrations. The entire expenditure is being borne by the Central government. Scholarships are available for pursuing professional and technical courses, at graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by the appropriate authority. Under the scheme 20,000 scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals.

9.2. 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by boy students, if adequate number of eligible girl students are not available.

9.3 70 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of ₹ 20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions.

9.4. To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed ₹ 2.50 lakhs.

9.5. The financial and physical achievement since the inception of the Scheme till 31st December 2010 are as under:-

Year	**Target**	**No. of scholarships actually sanctioned**				**Amount**
		Fresh	**Renewal**	**Total**	**Scholarships released to female students (%)**	**(₹ in crore)**
2007-08* (launched)	20,000	17258	0	17258	5009(29.02%)	40.90
2008-09*	20,000+ renewals	17099	9096	26195	8660(33.06%)	64.73
2009-10*	20,000+ renewals	19285	16697	35982	11684(32.47%)	97.43
2010-11*	20,000+ renewals	18505	18427	36932	12370(33.49%)	97.22

*Detailed state-wise/community-wise achievement is at **Annex-VIII.**

9.6. The coverage of scholarships this year, i.e., in 2010-11 is 32 States/UTs whereas in the preceding three years the coverage was 28 (2007-08), 29 (2008-09) and 31 (2009-10) States/UTs.

9.7. This Ministry intends to introduce an Online Scholarship Management System (OSMS) for Merit-cum Means based scholarship scheme as a pilot project from the year 2011-12. Depending on its success the system would be extended to other scholarship schemes.

In a meeting held with States/UTs on 9th November, 2010 under the chairmanship of Secretary, Ministry of Minority Affairs a presentation of the broad features of the software was made. The participants from States/UTs present in the meeting welcomed the idea of the proposed switch from the manual system to the online system.

The work order to NIC for developing the software has been issued. All efforts are being made to ensure that the software would be ready by the time the advertisement for applications under Merit cum Means Scholarship Scheme is issued.

CHAPTER 10

SCHEME OF FREE COACHING & ALLIED ASSISTANCE

10.1 The Free Coaching & Allied Scheme for candidates belonging to minority communities, transferred from the Ministry of Social Justice and Empowerment, was revised and launched in July, 2007. The scheme was further modified w.e.f. 16.10.2008. It is a Central Sector Scheme, with 100% central funding, to be implemented by the Ministry through coaching institutes recommended by the State Governments/Union Territories or Government/Public Sector institutions.

10.2 The objective of the scheme is to enhance the skills and knowledge of students and candidates from the minority communities to secure employment in Government Sector/ Public Sector Undertakings and jobs in the private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses of under-graduate and post-graduate levels and remedial coaching in such institutions to complete the courses successfully.

10.3 Candidates/students should belong to a minority community. The annual income of parents/guardians from all sources should not exceed ₹ 2.50 lakh. Candidates/students should have the requisite educational qualifications for the coaching course.

10.4 The Table below indicates the types of coaching and financial assistance provided.

Sl. No.	**Type of coaching**	**Coaching fee for coaching institute**	**Amount of stipend for candidate/student**
	I	II	III
1.	Group ' A' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/-	₹ 1500 /-for outstation candidates, ₹ 750/-for local candidates
2.	Group 'B' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 15,000/-.	-do-
3.	Group 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 10,000/-	-do-
4.	Entrance examination for technical/	As fixed by the institute, subject professional courses to a maximum ceiling of ₹ 20,000/-	-do-
5.	Coaching for jobs in private sectors	As fixed by the Institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/-	-do-

Sl. No.	Type of coaching	Coaching fee for coaching institute	Amount of stipend for candidate/ student
	I	II	III
6.	Remedial coaching/ tuition for the students pursuing technical/professional courses.	As charged by the institutes where the student is admitted to pursue technical/professional course, for the extra tuition classes.	Not applicable
7.	Coaching for recruitment of constables and equivalent in police/security forces and railways. (For a period not exceeding five days)	At nominal rates, as proposed by the institute and fixed by the committee.	₹ 100 /-for outstation candidates, ₹ 50/-for local candidates.

10.5 An outlay of ₹ 45 crore has been provided in the Eleventh Five Year Plan (2007-12) to cover 20,000 students. During the year 2010-11 (up to 31.12.2010), an amount of ₹ 11.06 crore was released to 19 institutes in 19 States/UTs benefitting 4725 students.

CHAPTER 11

RESEARCH/STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY.

11.1 The Central sector scheme of research/studies, monitoring and evaluation of development schemes including publicity, launched in November, 2007 provides for professional charges to institutions/organizations to undertake purposeful studies on the problems and requirement of minorities including surveys and concurrent monitoring of the schemes.

11.2 The scheme also provides for a multi-media campaign using the print, broadcast and electronic media as well as outdoor publicity for dissemination of information to generate awareness relating to various schemes and programmes for the welfare of minorities.

11.3 Under the scheme, a Memorandum of Understanding (MOU) between Ministry of Minority Affairs and National Productivity Council (NPC), an autonomous organization under Ministry of Commerce & Industry, was signed on 4th December, 2009. As per MOU, NPC would undertake monitoring/ evaluation of various schemes/ programmes of this Ministry by appointing 150 National Level Monitors and the extension of the MOU is under process.

11.4 Indian Institute of Public Administration (IIPA) has been assigned special study on representation of minorities in Ministry of Railways and Department of Posts. The Report from IIPA is still awaited.

11.5 Indian Council of Social Science Research (ICSSR) has been assigned to carry out evaluation studies on the scholarship schemes run by Ministry of Minority affairs. Also, end line studies on MsDP for 24 Districts in 20 States would also be carried out by ICSSR.

PUBLICITY and MEDIA CAMPAIGN

11.6 An annual media plan was prepared with the help of Directorate of Advertising & Visual Publicity and a multi media campaign was carried out by the Ministry of Minority Affairs during 2010-11. Print advertisements on social inclusion, free coaching and scholarship schemes of the Ministry were published through Directorate of Advertising and Visual Publicity, in 194 English,

631 Hindi, 495 Urdu and 473 vernacular language news papers throughout the country in 2010-11 (upto 31.12.2010). Radio jingles were also broadcast in Hindi and in vernacular languages on All India Radio in the national news, Vividh Bharati, FM and regional news channels. Besides, television commercial jingles were telecast on Doordarshan National Network (DD-I) and Regional Kendras of Doordarshan.

Shri Salman Khurshid, Minister of State, Minority Affairs, in interaction with Members of Parliament on 22nd July, 2010.

CHAPTER 12

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES /SCHEMES IN NORTH EASTERN STATES AND SIKKIM

12.1 The Ministry has been allotted an outlay of ₹ 2600 crore in B.E. 2010-11 for various plan schemes which has been reduced to ₹ 2500 crore in R.E. 2010-11.

The scheme-wise earmarked allocation for North Eastern States and Sikkim is given below:-

S.No	Name of the Scheme	Amount Earmarked (₹ in Crore)	
		B.E. 2010-11	R.E 2010-11
1.	National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC).	11.50	11.50
2.	Free coaching and allied scheme for minorities	1.50	1.50
3.	Research/studies, monitoring and evaluation of development schemes for minorities including publicity	0.50	0.50
4.	Grants-in-aid to state channeling agencies (SCAs)	0.40	0.40
5.	Merit-cum-means scholarship for professional and technical courses	13.50	13.50
6.	Multi-sectoral Development Programme in 90 selected Minority Concentration Districts	154.30	148.03
7.	Pre-matric scholarship for minorities	45.00	45.00
8.	Post-matric scholarship for minorities.	26.50	26.50
9.	Maulana Azad National Fellowship for minority students	3.00	3.00
10.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	1.50	0.01
11.	Computerization of records of State Waqf Boards	1.30	0.02
12.*	Strengthening of State Waqf Boards	0.70	0.02
13.*	Interest subsidy on educational loans for overseas studies for the students belonging to minority communities.	0.20	0.01
14.*	Promotional activities for linguistic minorities.	0.10	0.01
	Total	**260.00**	**250.00**

* These schemes have not been appraised and approved for want of in principle approval of the Planning Commission.

12.2 Out of a total financial assistance of ₹ 130.67 crore to 998 Non- Governmental Organisations (NGO) throughout the country since inception and up to 31st December 2010, the Maulana Azad Education Foundation has sanctioned grant in aid of ₹ 4.56 crore to 29 NGOs working in the North- Eastern States.

12.3 National Minorities Development Finance Corporation (NMDFC) gives special focus to availability of credit to the minorities residing in the North- Eastern Region. NMDFC schemes are operational in the North-Eastern States through State Channelising Agencies (SCA) with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under Term Loan and Micro Credit schemes, out of ₹ 1557.11 crore disbursed to beneficiaries of the minority communities in the country till 31st December 2010, the share of North- Eastern States was ₹ 114.52 crore (7.35%) for 35,990 beneficiaries. In 2010-11, out of ₹ 282.62 crore allocated, ₹ 20.47 crore (7.24%) has been allocated for the North-Eastern region and ₹ 3.30 crore has been released up to 31st December 2010.

CHAPTER 13

GRANT IN-AID SCHEME TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

13.1 The National Minorities Development & Finance Corporation implements its schemes through the State Channelising Agencies (SCAs). These are agencies so designated by the concerned State Governments which identify the beneficiaries, channelise the lendings and also make recoveries from the beneficiaries. However, most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

13.2 The Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improvement of the infrastructure of the SCAs during 2007-08. Under the scheme, 90% of the expenditure is to be borne by the Central Government and the State Government make matching contribution of 10%. Out of ₹ 4 crore sanctioned for this scheme for the financial year 2010-11, ₹ 3.83 crore has been released till 31st December 2010.

CHAPTER 14

NEW SCHEMES OF THE MINISTRY

Scheme for Computerization of the Records of State Waqf Boards

14.1 The waqf properties are spread out all over the country but effective survey of waqf properties have not been done in most States. There is scope for large scale development of waqf properties to ensure substantial income for the welfare schemes of the community.

14.2 The Joint Parliamentary Committee on Waqf in its 9th Report recommended computerization of the records of State Waqf Boards.

14.3 In order to streamline record keeping of waqf lands, introduce transparency and social audit, and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to the these Boards, including that of J&K was recommended by Joint Parliamentary Committee on Waqf. The proposal was approved on 25th November, 2009. A provision of Rs 10 crore has been made for this scheme in BE 2009-10.

14.4 The broad objectives of the scheme for computerization and management of Waqf properties are as follows:

- Properties Registration Management.
- Muttawalli Returns Management.
- Leasing of Properties Management.
- Litigations Tracking Management.
- Documents Archiving & Retrieval Management.
- GIS of Waqf Properties.
- Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muazzins, widows, girls marriages, scholarships, schools, hospitals, dispensaries, musafirkhanas, skill development centres etc.
- Loans Management for development of urban waqf properties.

14.5 The scheme of computerization is to be applicable uniformly across all the 29 State Waqf Boards and any other Waqf Board like Jammu & Kashmir, making a special request for funding subject to availability of funds. The project also encompasses a handholding support period of 2 years during 2010-11 and 2011-12 with minimal financial support to hire some computer personnel by the State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. Funds will be released to NIC or their nominee and to the State Waqf Boards directly for effective implementation. Utilization Certificates will be routed by the Waqf Boards through State Governments concerned after due expenditure.

Scheme for Leadership Development of Minority Women

14.6 The Ministry launched the scheme named 'Scheme for Leadership Development of Minority Women' on 27.01.2010. The objective of the scheme is development of leadership among the minority women. It is to empower and instill confidence in minority women by providing tools, techniques and knowledge for interacting with Government systems, banks and intermediates at all levels.

14.7 The scheme is envisaged to reach out to women through non-governmental organizations/institutes by providing them financial support for conducting leadership development training.

Shri Salman Khurshid, Minister of State, Minority Affairs launching the scheme for Leadership Development of Minority Women on 20th January, 2010.

Maulana Azad National Fellowship for Minority Students

14.8 The objective of the scheme is to provide Fellowship in the form of financial assistance to students from the minority community pursuing higher studies such as M.Phil and Ph.D. The scheme will cover all Universities, institutions, recognized by University Grants Commission (UGC) under Section 2(f) and Section 3 of the UGC Act and will be implemented by the Ministry of Minority Affairs for minority community students through University Grant Commission. These Fellowships will be on the pattern of UGC Fellowship, awarded to research students pursuing M. Phil and Ph.D courses. 30% of the fellowships are earmarked for female scholars.

CHAPTER 15

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

15.1. The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was created in July 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7th Amendment) Act, 1956 consequent upon the recommendation of the States Reorganization Commission. As per Article 350-B, it shall be the duty of the Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Linguistic Minorities in India under the Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government/Administrations of the States/UTs concerned. The Commissioner for Linguistic Minorities has its headquarters at Allahabad with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM takes up all the matters pertaining to the grievances arising out of non-implementation of the Constitutional provisions and Nationally Agreed Scheme of Safeguards provided to linguistic minorities at the highest political and administrative levels of the State Governments and Union Territory Administrations and recommends remedial action. So far, 44 Reports of the CLM have been laid in Parliament.

15.2 Under the Constitution of India, certain safeguards have been granted to the linguistic minorities. Articles 29 and 30 of the Constitution seek to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their language, script or culture and establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for Presidential direction for official recognition of any language spoken by a section of the population of a State throughout that State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redressal of grievances to any authority in the Government in any of the languages used in the States /Union. Article 350 A provides for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minorities. Article 350-B provides for a Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

15.3. The Commissioner for Linguistic Minorities has submitted 45th and 46th Reports to the Ministry of Minority Affairs Shri Nandlal Jotwani, Wing Commander (Retd.) has been appointed as Commissioner for Linguistic Minorities by the President of India and he took over office on 10th December 2010.

15.4 To promote and preserve linguistic minority groups, the Ministry of Minority Affairs has requested the State Governments/Union Territories to give wide publicity to the constitutional safeguards provided to linguistic minorities and to take necessary administrative measures. The State Governments and UT Administrations were urged to accord priority to the implementation of the scheme of safeguards for linguistic minorities. Commissioner for Linguistic Minorities

launched a 10 point programme to lend fresh impetus to Governmental efforts towards the preservation of the language & culture of linguistic minorities.

15.5 The Ministry proposed to award States/Union Territories with a running shield & certificate for best performance in the implementation of the scheme of safeguards for linguistic minorities. This will be a recurring theme every year in order to sensitize and create awareness among administrators at various levels. Kerala was awarded last year for their best performances on this account.

15.6 The Commissioner for Linguistic Minorities observed the International Mother Language Day on 21st February 2010.

CHAPTER 16

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

16.1 In January, 1978, the Government of India vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of the minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

16.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October,1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Paris) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act,1992.

16.3 In terms of Section 3 (2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity provided that five members including the Chairperson shall be from amongst the minority communities. In accordance with Section 4 (1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

16.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in the laws enacted by the Central Government/State Governments for the protection of the interests of the minorities and look into specific complaints regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to the socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

16.5 The present Commission consists of the following persons:-

1.	Shri Wajahat Habibullah	Chairperson
2.	Dr. H.T. Sangliana	Vice-Chairperson
3.	Smt. Spalzes Angmo	Member
4.	Shri Harvendra Singh Hanspal	Member
5.	Shri Vinod Sharma	Member
6.	Ms. Syeda Bilgrami Imam	Member
7.	Shri Keki N. Daruwalla	Member

16.6 The National Commission for Minorities, in accordance with section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the annual report of the Commission,

together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/Union Territory Administrations are forwarded to them for taking necessary action in accordance with section 9(3) of the NCM Act, 1992.

16.7 Till the 31st December 2010, fourteen (14) Annual Reports of erstwhile Minorities Commission for the period 1978-79 to 1992-93 and fourteen (14) Reports of the statutory Commission for the years 1993-94 to 2005-06 and 2007-08 have been laid in Parliament. The first three Annual reports of the National Commission for Minorities, along with the Action taken Memoranda, were laid in both the Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry, ten Annual Reports along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein, were tabled in Parliament during year 2006-07. Action is under progress to table the Annual Reports of the NCM for the years 2006-2007 and 2007-08.

16.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Governments of Manipur and Uttarakhand have set up non-statutory Commissions. The Ministry has also requested the remaining State Governments/Union Territory Administrations to set up such Commissions.

16.9. The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004, to confer constitutional status on the National Commission for Minorities and the National Commission for Minorities (Repeal) Bill, 2004 were introduced in the Lok Sabha in December, 2004. It was referred to the Standing Committee of Parliament. The Committee in its report had recommended that the Government should keep in view the observations made by the Supreme Court, in the case of Bal Patil Vrs UOI in its entirety, while finalizing the Constitution One Hundred and Third (Amendment) Bill, 2004.

16.10. The Supreme Court of India in its judgment on this case delivered on 08/08/2005, inter-alia, held:

"Henceforth, before the Central Government takes decision on claims of Jains as a 'minority' under Section 2(c) of the Act, the identification has to be done on a state basis."

In light of the above judgement, the report of the Standing Committee was examined in consultation with various other Ministries including the Ministry of Law & Justice. Thereafter official amendments to the Bill were prepared. Notice for moving official amendments, and for consideration and passing of these Bills, was initially given to the Lok Sabha on 11.05.2007. This lapsed with the conclusion of the Budget Session, 2007.

In the mean time certain representations were received expressing concern on proposed official amendments to the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004. These representations were examined in consultation with the Ministry of Law and

Justice. After consideration of representations notice for moving official amendments, and for consideration and passing of these Bills, was once again given to the Lok Sabha on 05.02.2009. However, with the dissolution of the 14th Lok Sabha, this notice could not be taken up and both these Bills together with the official amendments lapsed.

16.11 The petitioners in the Bal Patil case had filed a review petition in the Supreme Court. In the mean time, in September, 2010, this stands referred to a three judge bench of the Supreme Court. All these legal issues are at present under examination.

CHAPTER 17

WAQF ADMINISTRATION AND CENTRAL WAQF COUNCIL

17.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Wakf Act, 1995, (erstwhile The Wakf Act, 1954) which came into force with effect from 1st January, 1996. The Act extends to whole of India except the State of Jammu and Kashmir. Twenty nine States have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J & K, which has its own Act. List of States Waqf Boards is at **Annex-IX.**

Scheme for computerization of the records of the State Waqf Boards

17.2 The Waqf properties are spread out all over the country but effective survey of waqf properties has not been carried out in most States. There is scope for large scale development of waqf properties to ensure substantial income for the welfare schemes of the community.

17.3 The Joint Parliamentary Committee on Waqf in its 9th Report recommended computerization of the records of the State Waqf Boards.

17.4 In order to streamline record keeping of the waqf lands,introduce transparency and social audit and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of the State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to these Boards, including that of J & K was recommended by Joint Parliamentry Committee on Waqf. The proposal was approved on 25th November, 2009.

17.5 The broad objectives of the scheme for computerization and Management of Waqf properties are as follows:-

- Properties Registration Management.
- Muttawalli Returns Management.
- Leasing of Properties Management.
- Litigations Tracking Management.
- Documents Archiving & Retrieval Management.
- GIS of Waqf Properties.
- Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muazzins, widows, girls marriages, scholarships, schools, hospitals, dispensaries, musafirkhanas, skill development centres etc.
- Loans Management for development of Urban Waqf properties.

17.6 The scheme of computerization is to be applicable uniformly across all the 29 State Waqf Boards including Waqf Board of Jammu & Kashmir, making a special request for funding subject to availability of funds. The project also encompasses a handholding support period of 2 years with minimal financial support to hire some computer personnel by State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. A provision of ₹ 10 crore was made for this scheme in BE 2009-10 out of which an amount of ₹ 8.06 crores was utilized. An amount of ₹ 4.81 crores has been released to NIC and ₹ 3.25 crores to 11 State Waqf Boards directly including CWC during 2009-10. Utilization Certificates are to be routed by the Waqf Boards through State Governments concerned after due expenditure.

Central Wakf Council

17.7 The Central Wakf Council, a Statutory Body under the aegis of the Ministry of Minority Affairs (Government of India) was established in December, 1964, under the provision of Section 8A of the Wakf Act, 1954 (now read as sub-section 1 of the section 9 of the Wakf Act, 1995) for the purpose of advising the Government of India on matters pertaining to working of the State Wakf Boards and proper administration of the Auqaf in the country. The Union Minister of Minority Affairs is the Ex-officio Chairperson of the Central Wakf Council. The term of the last Council expired on 17th March 2010 and the new Council is under the process of re-constitution. The Annual Report and audited Accounts of the CWC for the year 2009-10 was laid in the Lok Sabha on 25th November 2010 and in the Rajya Sabha on the 29th November 2010.

17.8 Apart from taking up the issues as per the objectives of the Council, it has also been participating in the development process of the society by way of implementing the following schemes:

(i) Schemes for Development of urban waqf Properties:

With a view to protect vacant waqf land from encroachers, and to augment the resources of the waqfs for enlarging the welfare activities, the Central Wakf Council has been implementing a non-Plan scheme as captioned above with yearly grant-in-aid from the Central Government since 1974-75. Under the scheme, loan is extended to various waqf institutions in the country for taking up economically viable buildings on the waqf land like commercial complexes, marriage halls, hospitals, cold storage etc. Under the scheme, the Govt. of India has released total grant-in-aid amounting to ₹ 34.66 crores since inception up to March, 2010. An amount of ₹ 1.5 crore was earmarked during 2009-10 under the scheme which has been fully utilized by Central Wakf Council.

The grant released by the Ministry of Minority Affairs amounting to ₹ 1.5 crore was utilized by CWC by sanctioning loan to the following projects:

S.No.	Name of Project	Amount
1.	New Muslim Hostel, Saraswatipuram, Mysore (Karanataka)	₹ 2.35 lakhs
2.	Construction of Engineering College of Harayana Waqf Board, Mewat (Harayana)	₹ 75.00 lakhs
3.	Mahmooda Shiksham and Mahila Gramin Vikas Bahu Uddaishya (S.M.G.V.) Wakf Sanstha, Nagpur (Maharashtra)	₹ 30.00 lakhs
4.	Haji Shamsuddin Nursing Home-cum-Research Centre, Nugie, Lilong (Manipur)	₹ 10.00 lakhs
5.	Jama Masjid, Paripalana, Tirur, Malapuram (Kerala)	₹ 10.00 lakhs
6.	Nusrathul Islam Sangam, Shornur, Palakkad (Kerala)	₹ 11.95 lakhs
7.	Hyderiya Masjid Ottapalam (Kerala)	₹ 11.00 lakhs
	Total :	₹ 150.30 lakhs

(ii) Minor Projects :

The loan amount disbursed by the Council to the waqf institutions is repayable in 20 half yearly instalments with a moratorium of two years. The amount thus repaid forms a revolving fund of the Council, which is again utilized for the Minor Projects on the waqf land. Under this scheme, the Council had advanced the loan amounting to ₹ 4.97 crores to 90 projects since 1986-87 out of which 68 projects have so far been completed and work on 22 projects is in progress.

(iii) Educational Schemes:

The grants-in-aid received by the Central Wakf Council is released to the waqfs in the form of interest free loans for the development of urban waqf properties. While the Council bears the entire expenditure on the staff working in the Scheme as well as other expenses, the Council receives 4% donation (up to 31st December 2009 the donation was 6%) for its Education Fund, from the loanee waqfs on reducing balance till the loan is repaid. The Education Fund of the Council is formed out of this donation. Moreover, the interest accrued on the Bank deposits of the Revolving Fund (meant for financing Minor Schemes) is also credited to the Education Fund. Thus, out of this Education Fund, the Council is running various educational programmes, which include establishment of I.T.I.s etc. The Education and Women Welfare Committee of the Council examines all the cases received under the scheme and makes recommendations accordingly.

CHAPTER 18

THE DURGAH KHWAJA SAHAB ACT, 1955

18.1 The Durgah of Khwaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah Khwaja Saheb Act, 1955, provides for the administration, control and management of the Durgah Endowment of the Durgah Khwaja Moinuddin Chishty (R.A.). Under this Central Act the administration, control and management of the Durgah Endowment has been vested in a representative Committee known as the Durgah Committee appointed by the Central Government. The said Act and Bye Laws are available on the website: w.w.w.gharibnawaz.in

Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955

18.2 The Durgah of Khawaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah is being administered under the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955. The administration, control and management of the Durgah Endowment vests in the Durgah Committee. A new committee of the Durgah was constituted on 24th August, 2007. At present the following are the members of the Committee:

1.	Janab A.H. Khan Choudhury	President
2.	Janab Badruddin Ghulam Mohiyuddin Sheikh	Vice President
3.	Janab Prof. Sohail Ahmad Khan	Member
4.	Janab Prof. (Dr.) Ibraheem	Member
5.	Janab Hafiz Vakil Ahmed Sahab	Member
6.	Janab Mohammed Ilyas Qadri	Member
7.	Janab Nawab Mohammed Abdul Ali	Member
8.	Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi	Member
9.	Janab Ghole Ismail Muallim	Member

18.3 Powers and Duties of the Durgah Committee

- To administer, control and manage the Durgah Endowment.
- To keep the buildings within the boundaries of the Durgah Sharif and all buildings, houses and shops comprised in the Durgah Endowment in proper order and in a state of good repair.
- To receive all moneys and other income of the Durgah Endowment.
- To see that the Endowment funds are spent in the manner desired by the donors.

- To pay salaries, allowances and perquisites and make all other payments due out of, or charged on, the revenues or income of the Durgah Endowment.
- To determine the privileges of the Khadims and to regulate their presence in the Durgah by the grant of them licenses in that behalf, if the Committee thinks it necessary so to do.
- To determine the powers and duties of the Advisory Committee.
- To determine the functions and powers, if any, which the Sajjadanashin may exercise in relation to the Durgah.
- To appoint, suspend or dismiss servants of the Dargah Endowment.
- To make such provision for the education and maintenance of the indigent descendants of Khawaja Moin-ud-din Chishti and their families and the indigent Khadims and their families residing in India as the Committee considers expedient consistently with the financial position of the Durgah.
- To delegate to the Nazim such powers and functions as the Committee may think fit.
- To do all other such things as may be incidental or conducive to the efficient administration of the Durgah.

18.4 Management of Urs and Congregations:

Annual Urs in June 2010 and Mini Urs (Muharram) in December 2010 were arranged successfully. Infrastructural arrangements were made by the Durgah Committee, Government of Rajasthan and the district administration, Ajmer.

CHAPTER 19

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

19.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994, with the objective to promote economic and developmental activities for backward sections among minorities. To achieve its objective, NMDFC is providing concessional finance for self-employment activities to eligible beneficiaries belonging to minority communities having family income below double the poverty line which at present is ₹ 55,000 p.a. and ₹ 40,000 p.a. in urban and rural areas respectively.

19.2 NMDFC has two channels to reach the ultimate beneficiaries (i) through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State/UT Government and (ii) through Non Governmental Organizations (NGOs). Under SCA programme, projects costing up to ₹ 5.00 lakhs to the individual beneficiaries are financed. Funds for this purpose are made available to the SCAs at interest rate of 3% for further loaning to the beneficiaries at 6%. The Corporation is also implementing schemes of Vocational Training & Educational Loan through the SCAs for capacity building of the target groups for self as well as wage employment.

19.3 Under micro financing scheme, micro-credit up to ₹ 25,000 is being given to each of the members of the Minority Self Help Groups (SHGs) through the NGOs. Funds for this purpose are made available to the NGOs at 1 % for further loaning at an interest rate of 5% per annum. In addition to loaning activity, NMDFC assists the targeted group in training for skill upgradation and marketing assistance. Under NGOs programme, there is also a provision of interest free loan (adjustable as grant) for promotion and stabilization of SHGs.

19.4 NMDFC is implementing the Educational Loan Scheme through the State Channelizing Agencies. Under this scheme, NMDFC provides ₹ 2,50,000 to the candidates belonging to minority communities at a concessional interest rate of 3% p.a. for pursuing professional and technical education.

19.5 To implement its programmes, NMDFC has authorized share capital of ₹ 1500 crores out of which, the share of Govt. of India is ₹ 975.00 crores (65%) and the share of State Govts. is ₹ 390.00 crores (26%) while the remaining ₹ 135.00 crores (9%) is to be contributed by institutions/individuals having interest in minorities. Govt. of India has so far contributed ₹ 760.36 crores (77.99%) in the equity of NMDFC, while ₹ 163.21 crores (41.85%) has been contributed by the various State Governments/UTs. An amount of ₹ 55000 has been contributed by institutions/individuals having interest in minorities.

19.6 Under SCA programme since inception till 31/12/2010, NMDFC has given Term Loan assistance to 3,45,733 beneficiaries spread over twenty five States and three Union Territories

with an amount of ₹ 1362.44 crore. In 2010-11 (up to 31st December, 2010) an amount of ₹ 107.26 crore has been disbursed to 23,835 beneficiaries.

19.7 Micro Financing is being implemented by NMDFC since 1998-99 initially through NGOs. Later, SCAs were also involved in implementation. Since inception till 31st December 2010, disbursement to the tune of ₹ 194.76 crore has been made under the micro financing scheme for 2,93,624 beneficiaries. In the current financial year (2010-11) up to 31st December, 2010, micro-credit loan of ₹ 61.27 crore has been disbursed to NGOs/SCAs for 76,599 beneficiaries.

19.8 Till 31st December 2009, since inception NMDFC has disbursed a consolidated amount of ₹ 1557.11 crore benefiting 6,39,357 beneficiaries under the above two programmes. During the current financial year till 31st December, 2010 a consolidated amount of ₹ 168.53 crores has been disbursed for assisting 1,00,434 beneficiaries.

19.9 A scheme for giving grants-in-aid to State Channelising Agencies for strengthening of their infrastructure had been launched by the Ministry of Minority Affairs during 2007-08. Assistance is being provided for awareness campaigns, improvement in delivery systems, training of manpower, debt recovery etc. Under the scheme, 90% of the expenditure is borne by the Central Government and the State Governments have to make contribution of 10%. Out of ₹ 4 crore sanctioned for this scheme for the financial year 2010-11, ₹ 3.83 crore has been released.

19.10 The Annual Report and audited Accounts of the NMDFC for the year 2009-10 was laid in the Lok Sabha on 9th December 2010 and in the Rajya Sabha on the 13th December 2010.

CHAPTER 20

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

20.1 The Maulana Azad Education Foundation (MAEF) was established in 1989 as a voluntary, non-political, non-profit making society registered under the Societies Registration Act, 1860.

20.2 The main objectives of MAEF are to formulate and implement educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker sections in general, to facilitate establishment of residential schools, especially for girls, in order to provide modern education to them and to promote research and encourage other efforts for the benefit of educationally backward minorities.

20.3 The General Body of the Foundation has 15 members - six ex-officio members and nine nominated members The latter are nominated by the President of the Foundation for a period of three years. Union Minister for Minority Affairs is the ex-officio President of the Foundation.

20.4 The schemes of the Foundation are mainly of two types, viz; Grants-in-aid to NGOs for construction and expansion of schools / hostels, technical / vocational training centres with emphasis on girl students and scholarships to meritorious girl students. The various schemes run by the Foundation are as under:

(a) Financial assistance to establish/expand schools/residential schools/colleges;

(b) Financial assistance for purchase of laboratory equipment and furniture etc;

(c) Financial assistance for setting up/strengthening vocational/technical training centre/institutes;

(d) Financial assistance for construction of hostel buildings;

(e) Maulana Azad National Scholarships for meritorious girl students;

(f) Maulana Abdul Kalam Azad Literacy Awards.

20.5 The Foundation is implementing its schemes out of the interest earned on its corpus fund, which is its main source of income. The corpus fund has been provided by the Government to the Foundation as part of plan assistance. The corpus fund, which stood at ₹ 100 crore in the year 2006-07 now stands at ₹ 550.00 crore.

20.6. Out of a total approved plan outlay of ₹ 500 crore to augment the corpus fund of the MAEF during the 11th Plan period, ₹ 350 crore have already been released. The balance of ₹ 150 crore will be released in the remaining year of the current plan period, i.e. 2011-12 which would take the corpus to ₹ 700.00 crore.

20.8 Since its inception and up to 31st March, 2010, the MAEF has sanctioned ₹ 130.67 crore to 998 NGOs throughout the country for construction, expansion of schools & colleges, girls hostels, polytechnics, ITIs, purchase of equipment, machinery and furniture and has distributed

scholarships to 41977 girl students amounting to ₹ 48.20 crore. State-wise details are at **Annex-X and Annex-XI.** As per the MOU signed by this Ministry with MAEF, 100 NGO's are to be assisted the year 2010-11 and 18,000 scholarships are to be distributed. The applications for grant-in-aid for the current financial year are under process. Similarly for disbursement of scholarships, the applications received are being scrutinized.

Steps Taken to Revamp the Organization

20.9 To ensure smooth functioning, increased accountability and transparency and to revamp the system, the following steps have been taken:-

(i) Organizational infrastructure is being strengthened by restructuring of staff.

(ii) A Senior Administrative Grade (SAG) level Officer of the Central Government has been posted on deputation, as Secretary to the Foundation to ensure better management and accountability.

(iii) The organization is being fully computerized with facility for on-line applications and checking the status of application. All important information with regard to grants-in-aid to NGOs and scholarship to girl child are available on the website of MAEF i.e. www.maef.nic.in.

(iv) The resources of MAEF have been distributed in a State-wise manner in order to make sure that every State/UT is covered under the scheme and programme of the Foundations. Prior to 2008-09, no physical and financial targets were set by the MAEF for its Grants-in-aid scheme to NGOs. From the year 2008-09 the MAEF has started setting targets for this scheme.

(v) Review meetings on the schemes and programmes of MAEF are being held at periodic intervals at the level of Secretary, Ministry of Minority Affairs.

20.10 An evaluation cum asset verification study on the schemes and programmes of the Foundation was carried out by Indian Social Institute in 2009-10. Broadly, the agency, inter alia, recommended enhancement of corpus fund of MAEF, computerization of vital data, proper utilization of funds, etc.

20.11 Based on these recommendations, the size of the corpus fund of the Foundation has been enhanced, the major activities in the organization have been computerized and monitoring and inspecting procedure has been streamlined.

CHAPTER 21

GENDER SPECIFIC ISSUES AND GENDER BUDGETING

21.1 Hon'ble Supreme Court in its judgments in the case of Vishaka Vs. State of Rajasthan (AIR 1997 SUPREME COURT 3011) laid down certain guidelines for instituting an anti-sexual harassment policy at the work place. Hon'ble Supreme Court stated that all employers and persons in charge of work place whether in public or in private sector, should take appropriate steps to prevent sexual harassment and without prejudice to the generality of this obligation, the organizations, be it public or private, should take certain steps to prevent and enquire any complaint based on sexual harassment received from the women workforce in the Ministry/Department/Organization.

21.2 In pursuance of the directions given by Hon'ble Supreme Court, an Internal Complaint Committee has been set up in the Ministry on 31.8.2009. This Committee is presently under re-constitution .

21.3 The Gender Budgeting Cell of the Ministry was re-constituted in December 2010. The cell consists of two male and two lady officers. The cell is intended to bring about gender responsive budget in the Ministry. The Cell has held meetings to review the schemes / programmes of the Ministry to ascertain the flow of benefits to the women and girl beneficiaries. The Cell is supervised by the Joint Secretary (Administration) of the Ministry.

21.4 Three exclusive scholarship schemes for students belonging to the minority communities have been approved viz. a Merit-cum- means based scholarship scheme, a Post-matric scholarship scheme and a Pre-matric scholarship scheme. All three schemes provide for earmarking 30% of the available scholarships for girl students from the minority communities. Under the Merit-cum-means based scholarship scheme, 32.01% and 32.47% of the scholarships sanctioned in the years 2008-09 and 2009-10 respectively were awarded to girl students; under Pre-matric scholarship scheme, 50.89% and 48.47% of scholarships sanctioned for 2008-09 and 2009-10 respectively were awarded to girl students while 55.12 % and 55.10% of scholarships sanctioned in 2008-09 and 2009-10 respectively were awarded to girl students under Post-matric scholarship scheme. In 2010-11 upto 31st December 2010, the percentage of girl students awarded scholarships was as follows :

Pre-Matric Scholarship Scheme	-	47.47%
Post Matric Scholarship scheme	-	51.00%
Merit-cum-Means based scholarship scheme	-	33.49%

Under one of the schemes of the Maulana Azad Education Foundation (MAEF) viz. award of scholarships to meritorious girl students, the MAEF has disbursed scholarships to 41977 girl students amounting to ₹ 48.20 crore up to 31st March 2010.

21.5. NMDFC provides special focus to the credit needs of women. It has been operating the micro financing scheme mainly focusing on economically poor minority women. The micro-financing scheme of NMDFC mainly aims at empowerment of women by meeting their credit needs in an informal manner through NGOs/SHGs. Since inception, NMDFC has helped 2,93,624 beneficiaries with micro credit of ₹ 194.67 crore upto 31st December, 2010. Around 90% of the beneficiaries are women.

21.6. NMDFC has introduced the scheme of Mahila Samridhi Yojna which links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to ₹ 25000 with an interest rate of 4% p.a. for starting their income generation-activities.

21.7 A scheme for Leadership Development of Minority women is implemented by the Ministry exclusively for women.

CHAPTER 22

RIGHT TO INFORMATION ACT

22.1 In accordance with the provisions of Section 4(1) (b) of the Right to information Act, 2005 this Ministry has brought out a handbook for information and guidance of the general public. This is available at the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in. This provides information about the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

22.2 To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions, Statistics of achievements under each scheme / Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyperlink is provided in the website of the Ministry. Further under the MsDP, the States/UTs are required to submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes / programmes in the Ministry.

22.3 Because of the affirmative actions taken by the Ministry to bring about transparency, responsiveness and greater participation of civil society, the Cabinet Secretariat on 14th January 2011 has requested all Secretaries of all Ministries / Departments of the Government of India for adoption of the procedures implemented by the Ministry.

22.4 The Ministry of Minority Affairs has designated six CPIOs and the three Joint Secretaries as Appellate Authorities under this Act. In 2010-11(upto 31st December, 2010), 232 applications and 6 appeals under the RTI Act were received and disposed of. A quarterly Report of status of RTI applications and appeals is sent to the Central Information Commissioner.

CHAPTER 23

POLICY DECISIONS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING THE YEAR FOR THE BENEFIT OF THE PERSONS WITH DISABILITIES

23.1 The Ministry of Minority Affairs came in to existence on 29th January, 2006 to ensure more focused approach towards the issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities. The Ministry has a small set up consisting of sanctioned strength of only ninety three officers and staff with one Secretary, three Joint Secretaries and one Joint Secretary-cum Financial Advisor (additional charge). The Ministry essentially is officer oriented and most of the middle level officers work on the Desk Officers' pattern.

23.2 Out of 93 sanctioned strength of officers/staff (most of which are filled from organized services) 73 posts have been filled up in the Ministry. Since inception of the Ministry only 3 posts of Peon have been filled up from open market and one post of Assistant Director has been filled by absorption of the officer on deputation. Rest of the posts have been filled up through short-term deputation. The benefits of reservation, therefore, could not be given to the persons with disabilities so far. Provisions regarding reservation for persons with disabilities will, however, be complied with during recruitment in future.

CHAPTER 24

GOVERNMENT AUDIT

24.1 The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) conducts compliance, financial and performance audits of the accounts and transactions of the Ministry including those of NMDFC, CWC, MAEF and Dargah Khwaja Saheb, Ajmer. The audited accounts together with the Annual Reports of NMDFC, CWC and MAEF are laid in Parliament.

The Audit paragraphs of the C&AG which have appeared in his various Reports laid in Parliament relating to the accounts and transactions of the Ministry and NMDFC together with their status as on date are shown in the table below:-

S.No	Report No.	Paragrah number and subject	Action Taken
1.	13 of 2007-08	7.10 Disbursements- Rush of expenditure during the month of March 2008 and last quarter of 2007-08. 8.4 Unspent provisions exceeding ₹ 100 crore under a Grant. 8.16 Unrealistic budgetary assumptions.	Draft Action Taken Notes have been sent toDirector General of Audit, Central Revenues (Expenditure), for vetting.
2.	1 of 2008-09	8.4 Savings of ₹ 100 crore or more under various Grants/appropriation. 8.11 Significant cases of major appropriation which were injudicious on account of non utilization (Cases of re-appropriation of amount more than rupees one crore only mentioned). 8.13 Savings were more than the supplementary grant/appropriation . 8.15 Unrealistic budgetary assumptions.	Draft Action Taken Notes have been sent to Director General of Audit, Central Revenues (Expenditure), for vetting.
6.	CA 12of 2004	12.4.5 Disbursement of loans / financial assistance by NMDFC to SCAs of MP, UP, Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and Orissa, despite delays in utilization by the SCAs.	Action Taken Notes were sent to the office of CAG for vetting. They have since dropped these paragraphs.

S.No	Report No.	Paragrah number and subject	Action Taken
7.	CA 11 of 2006	1.2.43 Basic and diluted Earning Per Share not computed as per requirement of Accounting Standard-20.	Action Taken Notes were sent to the office of CAG for vetting. They have since dropped these paragraphs.
8.	CA 22 of 2009	2.5.4 Revenue recognition-Departure from Accounting Standard-9.	

CHAPTER 25

RESULTS-FRAMEWORK DOCUMENT, CITIZEN'S / CLIENTS CHARTERS AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM.

25.1 Pursuant to the announcement made in the President's address to both Houses of Parliament on 4th June 2009, the Prime Minister approved the outline of the Performane Monitoring and Evaluation System for the Government Departments on 11th September 2009.

According to this system, each Department is required to prepare a Results Framework Document consisting of priorities set out by the Minister concerned, President's address and announcements, agenda as spelt out by the Government from time to time. This Ministry completed the preparation of its first RFD for the year 2009-10 on 30th November 2009. This was the beginning of an exercise to bring about transparency and accountability in the Government with a shift from "reducing quantity of government" to "increasing quality of government".

Shri Salman Khurshid, Minister of State, Minority Affairs, addressing the Principal Secretaries/Secretaries of States/UTs for the welfare of Minorities, at the conference held on 14th May, 2010.

Based on the evaluation of the performance of the Ministry during the year 2009-10, the Cabinet Secretariat has awarded the Ministry an overall composite score of 92.76% which was higher than the average composite score of 89.40 % for 59 Departments of the Government.

25.2 The Citizen's / Clients Charter of the Ministry for the year 2011-2012 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement for RFD 2010-11 has been formulated. This, together with the Strategy of the Ministry for the period April 2011 to March 2016 have been uploaded on the Cabinet Secretariat's website.

25.3 A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

Annex-I

INCUMBENCY POSITION
(as on 31st January 2011)

S.NO.	POST/Pay Band/Grade Pay/Group	Sanctioned Strength	Number of Posts Filled	Number of Posts Vacant
01.	SECRETARY/Rs.80,000/- Fixed/Gr. 'A'	01	01	Nil
02.	JOINT SECRETARY/G.P. 10000/- / Gr. 'A'	03	03	Nil
03.	DIRECTOR/DEPUTY SECRETARY/G.P. 8700/- / 7600/- Gr. 'A'	07	06	01
04.	UNDER SECRETARY/G.P. 6600/-/ Gr. 'A'	10	10	Nil
05.	ASSISTANT DIRECTOR/G.P. 5400/- / Gr. 'A'	03	02	01
06.	RESEARCH OFFICER/5400/- /Gr. 'A'	01	01	NIL
07.	ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)/G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	01	Nil
08	SECTION OFFICER/G.P. 4800/- /Gr. 'B'	08	06	02
09.	SR. PRINCIPAL PRIVATE SECY., G.P. 7600/- / Gr. 'A'	01	01	NIL
10.	ASSISTANT/G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	10	09	01
11.	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	02	02
12.	SENIOR INVESTIGATORS/G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	01	03
13	ACCOUNTANT/G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	01	01	Nil
14.	PRIVATE SECRETARIES/G.P. 4800/- / Gr. 'B'	03	02	01
15.	STENO GRADE 'C'/G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	07	07	Nil
16.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/G.P. 4600/- /Gr. 'B' (NG)	01	01	Nil
17.	STENO GRADE 'D'/G.P. 2400/- Gr. 'C'	08	03	05
18.	UDC. G.P. 2400/Gr. 'C'	01	Nil	01
19..	STAFF CAR DRIVER/G.P. 1900/- /Gr. 'C'	02	02	Nil
20.	PEONS/G.P. 1800/- /Gr. 'D'	14	14*	Nil
21.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU)/G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	Nil	01
22..	TRANSLATOR (URDU)/G.P. 4200/- /Gr. 'B' (NG)	01	Nil	01
23.	TYPIST (URDU)/G.P. 1900/- / Gr. 'C'	01	Nil	01
	Total	**93**	**73**	**20**

* Four Peons have been outsourced.

Annex-II

ORGANIZATIONAL CHART and channels of reporting in the MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(as on 10th February, 2011)

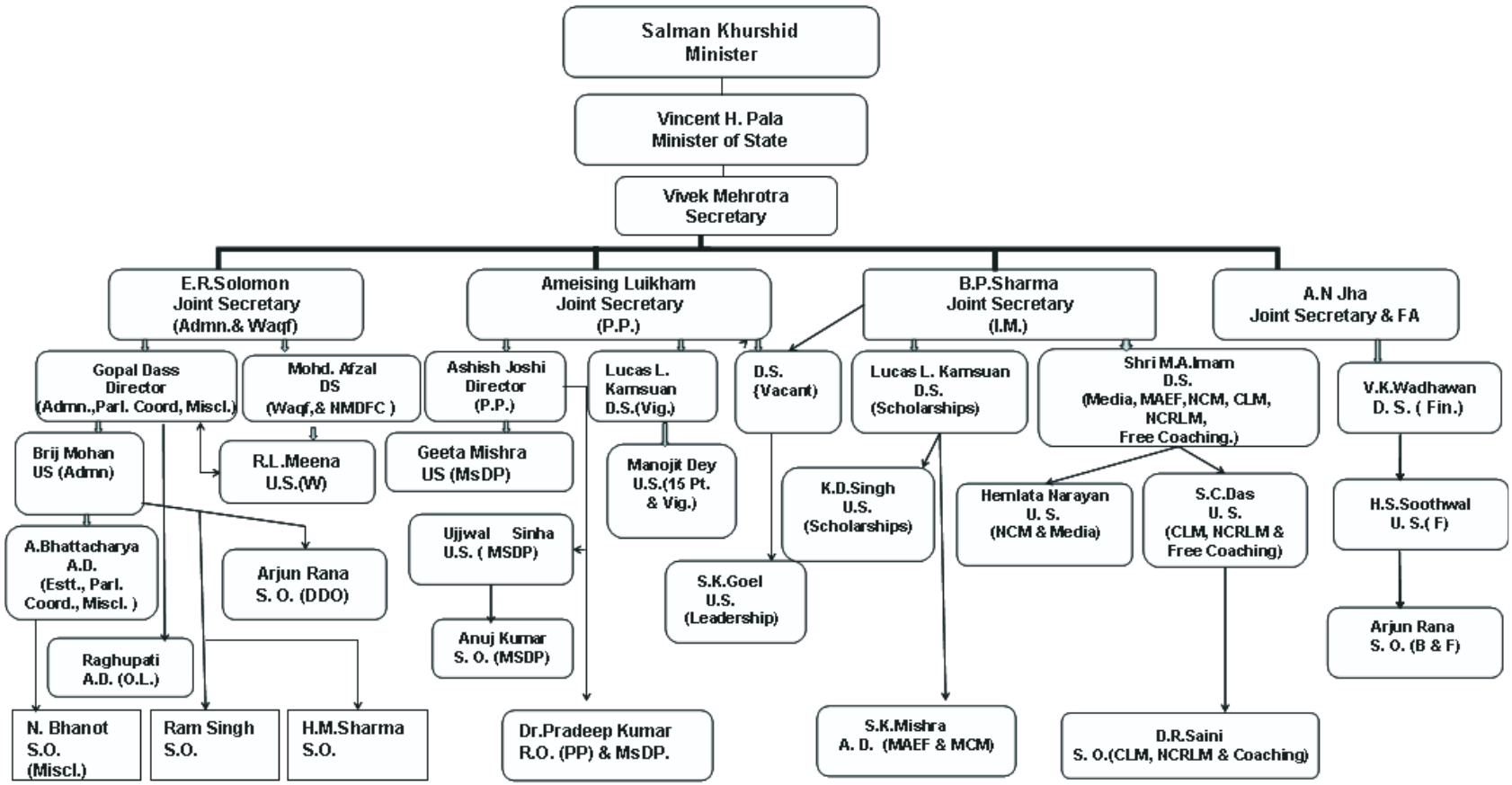

Admn.	: Administration,
B & C	: Budget and Cash
Coord.	: Coordination
CLM	: Commissioner for Linguistic Minorities
Estt.	: Establishment
Fin.	: Finance
Parl.	: Parliament

Gen.	: General
I.M.	: Institution & Media
NCM	: National Commission for Minorities
P.P.	: Planning & Programme
MCM	: Merit-Cum-Means Scholarships
MAEF	: Maulana Azad Education Foundation
Vig.	: Vigilance
Miscl.	: Miscellaneous

Annex-III

STATEMENT SHOWING SCHEME/PROGRAMME-WISE ELEVENTH FIVE YEAR PLAN (2007-12) OUTLAY, BUDGET ESTIMATES, REVISED ESTIMATES, AND ACTUAL EXPENDITURE DURING 2010-11 (UPTO 31st DECEMBER,2010)

(₹ in crore)

S. No	Name of Scheme/Programme	Eleventh Plan Outlay	Budget Estimates 2010-11	Revised Estimates 2010-11	Actual Expenditure 2010-11 (Upto 31.12.2010)
A.	**Central Sector Schemes**				
1	Grant-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	500.00	125.00	125.00	125.00
2	Coaching & Allied Scheme for Minorities	45.00	15.00	15.00	11.07
3	Contribution to the Equity of NMDFC	500.00	115.00	115.00	115.00
4	Research/Studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	35.00	22.00	22.00	14.88
5	Grant-in-aid to State Channelising Agencies(SCAs) engaged for implementation of NMDFC programme	20.00	4.00	4.00	3.83
6.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	0.00	15.00	5.00	0.00
7.	Maulana Azad National Fellowship for minority students	0.00	30.00	30.00	0.00
8.	Computerization of records of State Waqf Boards	0.00	13.00	6.00	3.13
9.*	Interest subsidy on educational loans for overseas studies for the students belonging to minority communities.	0.00	2.00	0.02	0.00
10.*	Promotional activities for linguistic minorities.	0.00	1.00	0.05	0.00
11.*	Scheme for containing population decline of small minorities	0.00	1.00	0.01	0.00
	Sub-Total (CS)	**1100.00**	**343.00**	**322.08**	**272.91**

S. No	Name of Scheme/Programme	Eleventh Plan Outlay	Budget Estimates 2010-11	Revised Estimates 2010-11	Actual Expenditure 2010-11 (Upto 31.12.2010)
B.	**Centrally Sponsored Schemes**				
1	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	600.00	135.00	135.00	97.22
2	Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts.	2750.00	1399.50	1327.32	572.38
3	Pre-matric Scholarships for Minorities	1400.00	450.00	450.00	343.54
4	Post-matric Scholarships for Minorities	1100.00	265.00	265.00	184.24
5	Secretariat	0.00	0.50	0.50	0.33
6.*	Strengthening of State Waqf Boards	0.00	7.00	0.01	
	Sub-total (CSS)	5900.00	2257.00	2177.92.00	1197.71
	Grand Total (A+B)	7000.00	2600.00	2500.00	1470.62

* These schemes have not been appraised and approved for want of in principle approval of the Planning Commission.

Annex-IV(A)

LIST OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (CATEGORY 'A' & 'B')

CATEGORY - 'A'			
List of districts which have both socio-economic and basic amenities parameters below national average			
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
1	1	Arunachal Pradesh	East Kameng
2	2	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri
3	3	Arunachal Pradesh	Changlang
4	4	Arunachal Pradesh	Tirap
5	5	Assam	Kokrajhar
6	6	Assam	Dhubri
7	7	Assam	Goalpara
8	8	Assam	Bongaigaon
9	9	Assam	Barpeta
10	10	Assam	Darrang
11	11	Assam	Marigaon
12	12	Assam	Nagaon
13	13	Assam	Cachar
14	14	Assam	Karimganj
15	15	Assam	Hailakandi
16	16	Assam	Kamrup
17	17	Bihar	Araria
18	18	Bihar	Kishanganj
19	19	Bihar	Purnia
20	20	Bihar	Katihar
21	21	Bihar	Sitamarhi
22	22	Bihar	Pashchim Champaran
23	23	Bihar	Darbhanga
24	24	Jharkhand	Sahibganj
25	25	Jharkhand	Pakaur
26	26	Maharashtra	Parbhani

Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
27	27	Manipur	Thoubal
28	28	Meghalaya	West Garo Hills
29	29	Orissa	Gajapati
30	30	Uttar Pradesh	Bulandshahar
31	31	Uttar Pradesh	Budaun
32	32	Uttar Pradesh	Barabanki
33	33	Uttar Pradesh	Kheri
34	34	Uttar Pradesh	Shahjahanpur
35	35	Uttar Pradesh	Moradabad
36	36	Uttar Pradesh	Rampur
37	37	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar
38	38	Uttar Pradesh	Bareilly
39	39	Uttar Pradesh	Pilibhit
40	40	Uttar Pradesh	Bahraich
41	41	Uttar Pradesh	Shrawasti
42	42	Uttar Pradesh	Balrampur
43	43	Uttar Pradesh	Siddharthnagar
44	44	Uttar Pradesh	Bijnor
45	45	West Bengal	Uttar Dinajpur
46	46	West Bengal	Dakshin Dinajpur
47	47	West Bengal	Maldah
48	48	West Bengal	Murshidabad
49	49	West Bengal	Birbhum
50	50	West Bengal	Nadia
51	51	West Bengal	South 24-Parganas
52	52	West Bengal	Barddhaman
53	53	West Bengal	Koch Bihar

Annex-IV(B)

	CATEGORY - 'B'		
	Sub-category 'B 1'		
	List of districts which have socio-economic parameters below national average		
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
54	1	Arunachal Pradesh	Tawang
55	2	Arunachal Pradesh	West Kameng
56	3	Arunachal Pradesh	Papum Pare
57	4	Delhi	North East
58	5	Haryana	Mewat
59	6	Haryana	Sirsa
60	7	Karnataka	Gulbarga
61	8	Karnataka	Bidar
62	9	Madhya Pradesh	Bhopal
63	10	Uttar Pradesh	Lucknow
64	11	Uttar Pradesh	Saharanpur
65	12	Uttar Pradesh	Meerut
66	13	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar
67	14	Uttar Pradesh	Baghpat
68	15	Uttar Pradesh	Ghaziabad
69	16	Uttaranchal	Udham Singh Nagar
70	17	Uttaranchal	Hardwar
71	18	West Bengal	Haora
72	19	West Bengal	North 24 Parganas
73	20	West Bengal	Kolkata

Annex-IV(C)

	Sub-category 'B 2' List of districts which have basic amenities parameters below national average		
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
74	1	Andamans	Nicobars
75	2	Assam	North Cachar Hills
76	3	Jammu & Kashmir	Leh (Ladakh)
77	4	Jharkhand	Ranchi
78	5	Jharkhand	Gumla
79	6	Kerala	Wayanad
80	7	Maharashtra	Buldana
81	8	Maharashtra	Washim
82	9	Maharashtra	Hingoli
83	10	Manipur	Senapati
84	11	Manipur	Tamenglong
85	12	Manipur	Churachandpur
86	13	Manipur	Ukhrul
87	14	Manipur	Chandel
88	15	Mizoram	Lawngtlai
89	16	Mizoram	Mamit
90	17	Sikkim	North

Annex-V

AMOUNT RELEASED UNDER MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME SINCE INCEPTION (UPTO 31ST DECEMBER, 2010)

(₹ in Lakh)

S.N.	State/ District	Approved (Central Share)	In-Principle (Central Share)	Total (Central Share)	Total release
1	U.P	89031.58	5019.35	94050.93	54156.68
2	West Bengal	63504.48	4914.90	68419.38	46972.15
3	Haryana	4310.90	500.00	4810.90	2491.90
4	Assam	38166.91	2155.01	40321.92	25197.89
5	Manipur	12465.63	1073.00	13538.63	9376.03
6	Bihar	30684.65	1416.88	32101.53	19294.23
7	Meghalaya	3039.67	0.00	3039.67	1527.82
8	Andaman and Nicobar Island	1238.83	0.00	1238.83	622.76
9	Jharkhand	11325.38	3142.82	14468.20	9141.37
10	Orissa	3119.93	0.00	3119.93	2558.48
11	Madhya Pradesh	1487.50	0.00	1487.50	915.15
12	Kerala	1415.49	75.00	1490.49	200.63
13	Karnataka	3970.05	0.00	3970.05	2003.14
14	Maharashtra	5757.43	0.00	5757.43	2407.16
15	Mizoram	3009.64	1351.98	4361.62	1199.31
16	Sikkim	1355.23	86.67	1441.90	9.00
17	Delhi	407.50	1278.00	1685.50	155.00
18	Jammu and Kashmir	1394.03	120.00	1514.03	599.58
19	Uttrakhand	3647.35	2278.79	5926.14	1578.97
10	Arunachal Pradesh	5418.055	198.00	5616.055	2514.08
	Grand Total	284750.24	23610.40	308360.64	182921.33

State/UT-wise & Community-wise distribution of Pre-matric scholarships for students belonging to the minority communities for the year 2010-11 (As on 31st January, 2011)

Annex-VI

S.No.	States/Uts	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount Sactioned (₹ In crore)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A				
1	**Andhra Pradesh	73700	161896	12400	10343	300	175	300	168	9	8	86709	172590	94079	78511	45.49	30.85
2	Arunachal Pradesh^	200	0	2100	0	27		1500	0	9	0	3836	0	0	0	0	0.00
3	*Assam	87000	37237	10400	763	200	144	500	115	9	0	98109	38259	19289	18970	49.58	8.37
4	**Bihar	144800	319861	600	51	200	116	200	79	9	0	145809	320107	185367	134740	42.09	34.12
5	Chhattisgarh	4300	5105	4200	946	700	851	700	74	9	0	9909	6976	3104	3872	55.50	1.31
6	Goa	1000		3800		27		18		60		4905					0.04
7	Gujarat ^	48500	0	3000	0	500		200	0	60	0	52260	0	0	0	0	0.00
8	Haryana	12900	13514	300	43	12400	11266	100	0	9	0	25709	24823	16974	7849	31.62	2.41
9	Himachal Pradesh	1300	792	100	9	800	309	800	2	9	0	3009	1112	584	528	47.48	0.18
10	Jammu & Kashmir	71700		200		2200		1200		9		75309					0.00
11	Jharkhand	39400	23953	11500	611	900	77	100	2	9	0	51909	24643	11294	13349	54.17	3.76
12	**Karnataka	68200	165121	10600	18494	200	326	4200	1680	9	15	83209	185636	82460	103176	55.58	18.29
13	**Kerala	83000	263211	63845	190349	27	0	18	0	9	0	146900	453560	192266	261294	57.61	34.36
14	Madhya Pradesh	40600	38834	1800	662	1600	356	2200	88	9	5	46209	39945	14823	25122	62.89	4.81
15	Maharashtra	108400	265441	11200	23467	2300	4193	61500	150346	238	501	183638	443948	323939	120009	27.03	33.10
16	Manipur	2000		7800		27		18		9		9855					0.00
17	Meghalaya	1000	117	17200	12694	27	14	18	21	9	0	18255	12846	5375	7471	58.16	1.63
18	Mizoram	100	73	8200	8199	27	801	800	0	9	0	9136	9073	4314	4759	52.45	1.56
19	Nagaland ^	400	0	18900	0	27		18	0	9	0	19355	0	0	0	0	0.00
20	Orissa	8100	12306	9500	5587	200	5	100	11	9	0	17909	17909	8910	9029	50.42	1.39
21	Punjab	4000	5139	3100	1210	153618	138657	400	29	9	17	161127	145052	85927	59125	40.76	11.89
22	Rajasthan	50500	50500	800	126	8700	8355	100	8	9	9	60109	58998	37311	21687	36.76	5.54
23	Sikkim	100	0	400	548	27	0	1600	1886	9	0	2136	2434	1220	1214	49.88	0.40
24	**Tamil Nadu	36600	127964	39900	113790	100	1	100	2	9	0	76709	241757	86132	155625	64.37	20.90
25	Tripura	2700		1100		27		1000		9		4836					0.08
26	**Uttar Pradesh	324500	460966	2200	260	7200	2810	3200	1775	9	1	337109	465812	267224	198588	42.63	65.27
27	Uttarakhand	10700	1110	300	3	2200	19	100	0	9	0	13309	1132	673	459	40.55	0.23
28	**West Bengal	213600	797346	5400	5505	700	540	2600	4376	9	0	222309	807767	377945	429822	53.21	66.55
29	Andaman & Nicobar	300		800		27		18		9		1155					0.01
30	Chandigarh	400		100		1500		18		9		2027					0.00
31	Dadra & Nagar Haveli	100		100		27		18		9		255					0.00
32	Daman & Diu	100	100	27	13	27	0	18	0	60	0	233	113	53	60	53.10	0.03
33	*Delhi	17100	6350	1400	45	5900	222	300	1	9	0	24709	6618	3129	3489	52.72	0.66
34	Lakshadweep ^	600	0	27	0	27		18	0	9	0	682	0	0	0	0	0.00
35	Puducherry	600		700		27		18		9		1355					0.03
	Total:	1458500	2756936	254000	393718	202800	169237	84000	160663	700	556	2000000	3481110	1822392	1658748	47.65	347.79

T= Target A= Achievement *** Only Spill over cases of 2009-10.** **^ Do not participate.**

****Includes Spill over cases of 2009-10.**

State/UT- wise & community wise distribution of Post-matric Scholarships for Students belonging to the minority communities for the year 2010-11 (as on 31st December, 2010)

Annex-VII

S.No.	States	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		No. of scholarships		No. of scholarships			Amount Sactioned (₹ In crore)
														Male	female	% of female	
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A				
1	Andhra Pradesh**	14740	40418	2480	1319	60	51	60	3	2	0	17342	41791	21016	20775	50	34.33
2	Arunachal Pradesh	40		420		11		300		2		773	0				
3	Assam*	17400	182	2080	6	40	0	100	1	2	0	19622	189	102	87	46	5.60
4	Bihar	28960	24667	120	9	40	13	40	5	2	0	29162	24694	12844	11850	48	15.95
5	Chhattisgarh	860		840		140		140		2		1982	0				0.55
6	Goa	200		760		11		9		13		993	0				
7	Gujarat	9700	11589	600	489	100	41	40	7	13	4	10453	12130	6182	5948	49	4.35
8	Haryana	2580	758	60	3	2480	1803	20	0	2	0	5142	2564	1630	934	36	1.48
9	Himachal Pradesh	260	227	20	4	160	83	160	4	2	0	602	318	160	158	50	0.20
10	Jammu & Kashmir	14340		40		440		240		2		15062	0				
11	Jharkhand	7880	8964	2300	723	180	28	20	6	2	0	10382	9721	5261	4460	46	6.07
12	Karnataka**	13640	32291	2120	6825	40	21	840	37	2	0	16642	39174	13969	25205	64	11.24
13	Kerala	16600	33364	12757	25744	11	0	9	5	2	3	29379	59116	22249	36867	62	9.50
14	Madhya Pradesh	8120		360		320		440		2		9242	0				1.20
15	Maharashtra**	21680	29603	2240	1055	460	202	12246	1345	49	3	36675	32208	15666	16542	51	15.02
16	Manipur	400		1560		11		9		2		1982	0				
17	Meghalaya	200	64	3440	190	11	2	9	0	2	0	3662	256	118	138	54	0.19
18	Mizoram	20	5	1640	1033	11	0	160	51	2	0	1833	1089	514	575	53	0.92
19	Nagaland	80	10	3780	57	11	0	9	1	2	0	3882	68	32	36	53	0.05
20	Orissa	1620		1900		40		20		2		3582	0				1.03
21	Punjab	800	310	620	117	30640	12828	80	45	2	1	32142	13301	4025	9276	30	6.88
22	Rajasthan**	10100	8744	160	21	1740	716	20	0	2	0	12022	9481	5133	4348	46	3.92
23	Sikkim	20	0	80	97	11	0	320	387	2	0	433	484	189	295	61	0.22
24	Tamil Nadu**	7320	16618	7980	13870	20	0	20	0	2	0	15342	30488	10805	19683	65	9.15
25	Tripura	540		220		11		200		2		973	0				0.07
26	Uttar Pradesh**	64900	69587	440	74	1440	1193	640	988	2	1	67422	71843	37064	34779	48	35.14
27	Uttarakhand	2140	150	60	9	440	12	20	0	2	0	2662	171	83	88	49	0.08
28	West Bengal	42720	69043	1080	1119	140	135	520	814	2	0	44462	71111	49255	21856	69	21.00
29	Andaman & Nicobar	60	6	160	3	11	0	9	0	2	0	242	9	2	7	78	0.0093
30	Chandigarh*	80		20		300	2	9		2		410	2		2	100	0.06
31	Dadra & Nagar Haveli	20		20		11		9		2		62	0				
32	Daman & Diu	20	17	11	5	11	0	9	0	13	0	64	22	12	10	45	0.02
33	Delhi	3420		280		1180		60		2		4942	0				
34	Lakshdweep	120		11		11		9		2		153	0				
35	Puducherry	120		140		11		9		2		282	0				0.03
	Total	**291700**	**346617**	**50800**	**52772**	**40560**	**17130**	**16800**	**3699**	**140**	**12**	**400000**	**420230**	**206311**	**213919**	**51**	**184.24**

T= Target
A= Achievement

*** Only Spill over cases of 2009-10.**
****Includes Spill over cases of 2009-10.**

State/UT- wise & Community- wise target (for fresh 20000 scholarships only) and achievement (both fresh & renewals) of Merit-cum means based scholarship scheme for students belonging to the minority communities for the year 2010-11

Annex-VIII

S.No.	States	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount Sactioned (₹ In crore)
		T	A*	T	A*	T	A*	T	A*	T	A*	T	A				
1	Andhra Pradesh	737	1186	124	86	3	3	3	0	0	0	867	1275	680	595	46.67	328.87
2	Arunachal Pradesh	2		21		0		15		0	0	38	0			0.00	0.00
3	Assam	870	1520	104	75	2	3	5	9	0	0	981	1607	1148	459	28.56	446.65
4	Bihar	1448	2942	6	4	2	0	2	0	0	0	1458	2946	2504	442	15.00	889.57
5	Chhattisgarh	43	67	42	68	7	11	7	2	0	0	99	148	63	85	57.43	39.22
6	Goa	10	16	38	63	0	0	0	0	1	0	49	79	26	53	67.09	10.29
7	Gujarat	485	822	30	48	5	6	2	1	1	0	523	877	574	303	34.55	186.48
8	Haryana	129	162	3	0	124	139	1	0	0	0	257	301	244	57	18.94	80.66
9	Himachal Pradesh	13	25	1	0	8	9	8	0	0	0	30	34	18	16	47.06	8.50
10	Jammu & Kashmir	717	1238	2	2	22	200	12	3	0	0	753	1443	1145	298	20.65	361.52
11	Jharkhand	394	830	115	72	9	14	1	0	0	0	519	916	753	163	17.79	254.17
12	Karnataka	682	1569	106	265	2	3	42	21	0	0	832	1858	670	1188	63.94	495.42
13	Kerala	830	1829	639	1706	0	0	0	0	0	0	1469	3535	1302	2233	63.17	949.92
14	Madhya Pradesh	406	592	18	22	16	26	22	5	0	0	462	645	275	370	57.36	163.77
15	Maharashtra	1084	1996	112	194	23	40	617	154	4	4	1840	2388	1260	1128	47.24	527.22
16	Manipur	20	20	78	78	0	0	0	0	0	0	98	98	45	53	54.08	39.63
17	Meghalaya	10	19	172	197	0	0	0	0	0	0	182	216	109	107	49.54	64.03
18	Mizoram	1	2	82	149	0	0	8	6	0	0	91	157	86	71	45.22	40.77
19	Nagaland	4	0	189	273	0	0	0	0	0	0	193	273	160	113	41.39	137.08
20	Orissa	81	141	95	48	2	0	1	2	0	0	179	191	126	65	34.03	53.42
21	Punjab	40	51	31	37	1540	1913	4	5	0	0	1615	2006	997	1009	50.30	553.76
22	Rajasthan	505	796	8	18	87	79	1	0	0	0	601	893	692	201	22.51	193.14
23	Sikkim	1	0	4	8	0	0	16	31	0	0	21	39	19	20	51.28	17.64
24	Tamil Nadu	366	820	399	989	1	0	1	0	0	0	767	1809	712	1097	60.64	472.63
25	Tripura	27	65	11	4	0	0	10	2	0	0	48	71	50	21	29.58	20.00
26	Uttar Pradesh	3245	6249	22	37	72	100	32	9	0	1	3371	6396	5075	1321	20.65	1636.93
27	Uttarakhand	107	102	3	2	22	22	1	1	0	0	133	127	96	31	24.41	35.49
28	West Bengal	2136	6451	54	52	7	21	26	45	0	0	2223	6569	5711	858	13.06	1686.47
29	Andaman & Nicobar	3	7	8	2	0	0	0	0	0	0	11	9	6	3	33.33	3.07
30	Chandigarh	4		1		15		0		0	0	20	0			0.00	8.63
31	Dadra & Nagar Haveli	1		1		0		0		0	0	2	0			0.00	
32	Daman & Diu	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0.00	0.30
33	Delhi	171	2	14		59	1	3		0	0	247	3	2	1	33.33	0.74
34	Lakshadweep	6		0		0		0		0	0	6	0			0.00	
35	Puducherry	6	13	7	9	0		0		0	0	13	22	13	9	40.91	5.27
	Total	**14585**	**29533**	**2540**	**4508**	**2028**	**2590**	**840**	**296**	**7**	**5**	**20000**	**36932**	**24562**	**12370**	**33.49**	**9722.03**

T= Target **A= Achievement** *** This includes renewals**

Annex-IX

List of States Wakf Boards

S.No	Name of State/UT
1.	Punjab Wakf Board
2.	Karnataka State Board of Wakf
3.	Chhattisgarh State Waqf Board
4.	Maharashtra State Board of Wakfs
5.	Tamilnadu Wakf Board
6.	Board of Wakfs, West Bengal
7.	Assam Board of Wakfs
8.	Orissa Board of Wakf
9.	Tripura Board of Wakf
10.	Himachal Pradesh Wakf Board
11.	UP Sunni Central Waqf Board
12.	Bihar State Sunni Wakf Board
13.	Bihar State Shia Wakf Board
14.	Puducherry State Wakf Board
15.	Kerala State Wakf Board
16.	Haryana Wakf Board
17.	Wakf Board Manipur
18.	Madhya Pradesh Wakf Board
19.	Delhi Wakf Board
20.	Lakshadweep State Wakf Board
21.	Andaman and Nicobar Islands Wakf Board
22.	Uttarakhand Wakf Board
23.	Rajasthan Board of Muslim Wakf
24.	Jammu & Kashmir Board for specified Wakf and specified Wakf properties
25.	Meghalaya Board of Wakfs
26.	UP Shia Wakf Board
27.	Andhra Pradesh State Wakf Board
28.	Dadra & Nagar Haveli Wakf Board
29.	Chandigarh Wakf Board
30.	Gujarat State Wakf Board

Annex-X

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Statewise Summary of Grant-in-Aid sanctioned upto 31 December, 2010

S.No.	State/U.Ts	Amount Sanctioned in ₹	Number of NGOs
1	Andaman	3500000	3
2	Andhra Pradesh	103130000	63
3	Assam	22000000	14
4	Bihar	52001800	34
5	Delhi	9105500	11
6	Goa	5300000	3
7	Gujarat	84711800	58
8	Haryana	21110000	17
9	Himachal Pradesh	100000	1
10	Jammu & Kashmir	21642000	14
11	Jharkhand	9300000	6
12	Karnataka	117316800	78
13	Kerala	90100000	47
14	Madhya Pradesh	42478000	40
15	Maharashtra	187283500	142
16	Manipur	15800000	12
17	Meghalaya	1500000	1
18	Nagaland	2850000	2
19	Orissa	3762000	7
20	Punjab	6167000	6
21	Rajasthan	27250000	18
22	Tamil Nadu	40378200	27
23	Uttaranchal	7000000	6
24	Uttar Pradesh	394866020	361
25	West Bengal	38140000	27
	TOTAL	**1306792620**	**998**

Annex-XI

Statement showing state-wise scholarship sanctioned to Meritorious Girls Students upto 31st December, 2010

Sl. No.	Name of State/UT	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		Total	
		No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (Rs. In lakhs)	No of scholar-ship	amount (₹. In lakhs)
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.12	5	0.52
2	Andhra Pradesh	53	5.3	110	11	145	14.5	111	11.1	223	26.76	828	99.36	1072	128.64	2542	296.66
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	Assam	2	0.2	81	8.1	131	13.1	115	11.5	128	15.36	419	50.28	346	41.52	1222	140.06
5	Bihar	2	0.2	178	17.8	221	22.1	342	34.2	342	41.04	680	81.6	1159	139.08	2924	336.02
6	Chhattisgarh	8	0.8	9	0.9	12	1.2	2	0.2	2	0.24	0	0	2	0.24	35	3.58
7	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	0	0	3	0.36
8	Delhi	7	0.7	50	5	48	4.8	26	2.6	51	6.12	72	8.64	171	20.52	425	48.38
9	Dadar & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36	6	0.72	9	1.08
11	Goa	0	0	8	0.8	6	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0.36	17	1.76
12	Gujarat	0	0	505	50.5	77	0.77	391	39.1	147	17.64	623	74.76	709	85.08	2452	267.85
13	Haryana	8	0.8	5	0.5	0	0	4	0.4	2	0.24	7	0.84	7	0.84	33	3.62
14	Himachal Pradesh	4	0.4	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	1	0.12	9	0.92
15	Jammu & Kashmir	0	0	319	31.9	34	3.4	21	2.1	55	6.6	21	2.52	25	3	475	49.52
16	Jharkhand	2	0.2	40	4	62	6.2	65	6.5	119	14.28	670	80.4	691	82.92	1649	194.50
17	Karnataka	31	3.1	137	13.7	838	83.8	122	12.2	127	15.24	355	42.6	913	109.56	2523	280.20
18	Kerala	80	8	150	15	159	15.9	229	22.9	462	55.44	2884	346.08	2402	288.24	6366	751.56
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	Madhya Pradesh	17	1.7	70	7	64	6.4	134	13.4	123	14.76	371	44.52	217	26.04	996	113.82
21	Maharashtra	53	5.3	147	14.7	406	40.6	165	16.5	336	40.32	1390	166.8	1570	188.4	4067	472.62
22	Manipur	11	1.1	11	1.1	12	1.2	1	0.1	2	0.24	19	2.28	14	1.68	70	7.70
23	Meghalaya	0	0	0	0	2	0.2	2	0.2	1	0.12	3	0.36	1	0.12	9	1.00
24	Mizoram	0	0	2	0.2	13	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.50
25	Nagaland	8	0.8	0	0	0	0	11	1.1	0	0	0	0	0	0.00	19	1.90
26	Orissa	12	1.2	30	3	13	1.3	12	1.2	24	2.88	49	5.88	41	4.92	181	20.38
27	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	6	0.72	7	0.84
28	Punjab	4	0.4	14	1.4	15	1.5	0	0	13	1.56	8	0.96	83	9.96	137	15.78
29	Rajasthan	2	0.2	41	4.1	76	7.6	135	13.5	162	19.44	408	48.96	470	56.40	1294	150.20
30	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31	Tamil Nadu	34	3.4	120	12	91	9.1	21	2.1	122	14.64	990	118.8	1188	142.56	2566	302.60
32	Tripura	0	0	0	0	3	0.3	3	0.3	2	0.24	1	0.12	0	0	9	0.96
33	Uttar Pradesh	174	17.4	452	45.2	727	72.7	1598	159.8	1016	121.92	839	100.68	2518	302.16	7324	819.86
34	Uttarakhand	6	0.6	11	1.1	14	1.4	7	0.7	6	0.72	35	4.2	38	4.56	117	13.28
35	West Bengal	116	11.6	291	29.1	398	39.8	325	32.5	545	65.4	1386	166.32	1416	169.92	4477	514.64
	TOTAL	634	63.4	2781	278.1	3571	357.1	3846	384.6	4011	481.32	12064	1447.68	15070	1808.40	41977	4820.60